बृहस्पतिवार,
१८ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १८ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मोतीझरा का इलाज

*१२८३. **डा० रामा राव :** (क) क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि मद्रास के दो डाक्टरों ने मोतीझरा के नए तथा क्रियाकारी इलाज को अन्तिम रूप से खोज लिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार ने उन के इलाज के प्रमाणीकरण तथा इसके क्रियाकारी होने के प्रमाणित करने के लिये उपाय किये हैं ?

(ग) क्या इन दो डाक्टरों को मान्यता प्रदान करने तथा उनके द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में पारिश्रमिक देने के लिये कोई उपाय किए गए हैं ?

(घ) क्या इस तरीके को सारे देश के अस्पतालों में प्रयोग में लाने के कोई उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) तक। भाग (क) के उत्तर को विचार में रखते हुए उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन दो माननीय डाक्टरों ने औषिधि अनुसन्धान के भारतीय परिषद् तक पहुंच की है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

हथ कर्घे से बनी वस्तुओं के लिये भाडे की रियायत

*१२८५. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हथ कर्घे से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में इस समय कोई और रियायत भी लागू हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे क्या क्या हैं ?

(ग) क्या अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड ने धागे के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार की रियायतों के दिए जाने की जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड से प्रार्थना की है ?

(घ) उन की रिपोर्ट क्या है ?

(ङ) उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खान) : (क) जी हां,

(ख) मुसाफ़िर या पारसल गाड़ियों से वस्तुओं के भेजने से पूरे पारसलों के स्थान पर आधे पारसलों के मूल किराये वसूल किए जाते हैं ।

माल-गाड़ी से इस बात के अनुसार कि माल को रेल की ज़िम्मेवारी पर या मालिक की ज़िम्मेवारी पर भेजा जाता है, हथकर्घे के कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के बारे में जो शिकंजे से बन्द नहीं की जाती हैं, शिकंजे से बन्द की जाने वाली कपड़े आदि के टुकड़ों तथा एसी अन्य वस्तुओं पर लागू कम दरों को प्रयुक्त करने १८ या १९ प्रतिशत की काट दी जाती है।

(ग) जी नहीं। रियायती दर पहले ही से धागे पर लागू हैं।

(घ) तथा (ङ). उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान्, यह रियायत कब से दी जायगी ?

श्री शाहनवाच खान : इस रियायत को प्रथम नवम्बर, १९४९ से लागू किया गया था।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या देश के अन्तिरिक स्थानों से पत्तनों तक के मार्ग पर विदेशों को हथकर्घे के कपड़े आदि के निर्यात को प्रोत्साहन देन के लिए कोई विशेष रियायतें दी गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : इस बारे में भी वही रियायतें लागू होती हैं।

श्री शाहनवाज़ खान : प्रश्न रेलवे सम्बन्धी रियायतों के बारे में है।

ट्रेक्टर

*१२९०. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के किसी राज्य में एसी सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्यों द्वारा ट्रेक्टरों की खरीद तथा प्रयोग के लिए बनाई गई हैं ?

(ख) क्या सरकार ने ट्रेक्टरों के प्रयोग की मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख)

(क) जी हां। कुछ सहकारी समितियां और कामों के इलावा इस का काम भी करती हैं।

(ख) किसानों को ट्रेक्टरों के प्रयोग की ओर प्रेरित करने के लिए कोई विशेष योजना विद्यमान नहीं है। फ़िर भी 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत किसानों द्वारा ट्रक्टरों की खरीद के लिए ऋण दिए जाते हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : निजीमालिकों के पास कितने ट्रेक्टर हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुल संख्या १५,००० के लगभग है। इस की गणना मैंने विभिन्न वर्षों में किये गये आयात से की है--उदाहरण से,

१९४९-५० आयात की गई संख्या		३३१८
१९५०-५१	"	४०३०
१९५१-५२	"	७१४८

श्री एस० वी० रामास्वामी : ट्रेक्टरों से कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के पास यह आंकड़े हैं। मेरे पास यहां पर कोई विस्तृत विवरण नहीं है।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना से पूर्व किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है तथा इस प्रकार की किसी समिति को क्या सहायता दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को स्वीकृत योजनाओं के अनुसार सहायता देती है। यह काम निश्चय ही राज्य सरकारों का है कि वह किसी समिति द्वारा ऐसी सहायता के पात्र होने की शर्तों को निश्चित करे।

श्री जसानी : मैं जान सकता हूं कि इस समय ये सहकारी समितियां किन राज्यों में काम कर रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक हमारी सूचना का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई तथा हैदराबाद में निश्चय ही से विद्यमान हैं।

श्री जसानी : क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी समितियां विद्यमान हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : : जो सूचना मुझे उपलब्ध है, उससे तो यह प्रकट नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं जान सकता हूं कि महाराष्ट्र में ट्रेक्टरों की खरीद तथा प्रयोग के लिए कितनी सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : महाराष्ट्र कोई पृथक् राज्य नहीं है। मैं बम्बई के सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं । बम्बई में राज्य सरकार ने सहकारी समितियों को ट्रक्टरों तथा सम्बन्धित आवश्यक पुरज़ों आदि की ख़रीद के लिए ट्रक्टरों की लागत के ६० प्रतिशता भाग तक कर्जों के देने की एक वित्त-योजन स्वीकार की है। ये ट्रेक्टर किसानों के प्रयोग के लिए खरीदे जाते हैं।

श्री भीखाभाई : मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान में इस प्रकार की कोई सहकारी समिति काम कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

महिला कामगारों की विमुक्ति

*१२९१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सत्य है कि हाल में डिबरुगढ़ (आसाम) के चाय के बाग़ान में एक दुमदुमा निवासी लक्ष्मीचारी नाम की एक महिला कामगार को बढ़ी हुई गर्भावस्था में सेवा से वमुक्त कर दिया गया है तथा उसे मातृक छुट्टी, चिकित्सा, तीमारदारी तथा राशन आदि से बिना किसी उस के अपने दोष के इस कारण वंचित कर दिया गया कि उस का पति सेवामुक्त किया जा चुका था तथा यदि एसा है तो क्या मां व बच्चा दोनों जन्म के समय मर गए थे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि दुमदुमा चाय मज़दूर संघ, आसाम की महिला कामगारों ने श्री लिली सेन गुप्ता के सभापतित्व में २६ अक्तूबर, १९५२ को विरोध प्रगट करने के लिए एक भारी सार्वजनिक सभा बुलाई थी;

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सरकार कई दायिताओं के कारणेां इस प्रकार से सेवामुक्त कर दिये जाने रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी, विशेषतः संसद में २४ जुलाई, १९५२ को दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या २०९६ के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए ?

श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां : लक्ष्मी छवी नामी महिला को उसके पति के सेवामुक्त कर दिए जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया था तथा शंक चाय बाग़ात से निकाल दिया गया था। इसके बाद वह और उसका नवजात बच्चा दोनों मर गए थे। मातृक सुविधाएं का दिया जाना आसाम मातृक सुविधाएं अधिनियम द्वारा विनियमित है तथा इस सम्बन्ध में इन्सपैक्टर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इस विशेष मामले में मालिक ने मातृक सुविधा के दावे को रद्द कर दिया था।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान २७ नवम्बर, १९५२ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या ७७४ के भाग (ख) तथा (घ) के उत्तरों की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : : इस विचार से कि महिलाओं को पुरुषों के समान मूल अधिकार दिए गए हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अधिकरण के निर्णय के, जिस की आड़ इस मामले में मालिक लोग लेना चाहते हैं, अनुसरण न करने का बिचार कर रही है ?

श्री आबिद अली : पिछले अधिकरण, द्वारा इस मामले में जो निर्णय दिया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है । हमें यह अच्छी प्रकार से विदित है । एक और अपील सम्मानित अपीलीय अधिकरण के इस समय सामने है तथा हम उस अधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । यदि वह निर्णय मज़दूरों के हित में न हुआ तो हमारा विचार उचित कार्य-वाही करने का है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार की नीति यह है कि महिलाओं को काम के बारे में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहियें ?

श्री आबिद अली : यह एक मूल अधि-कार है जिसे संविधान में पहले से दिया गया है ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को विदित है कि मातृक लाभ को न देने का यह तरीका पुराना है जिसे कई व्यापारिकव्यवसायों ने पहले अपनाया है ?

श्री आबीद अली : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सका हूं ।

श्रीमती ए० काले : व्यापारियों ने इस चालाकी से बहुत बार काम लिया है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है । जब कभी कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसे किसी न किसी बहाने सेवामुक्त किया जाता है । कई फ़र्मों की नीति यही है ।

श्री आबिद अली : जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं, एक अपील अभी अपीलीय अधिकरणें के सामने चल रही है । मैं सदन को पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि यदि निर्णय मज़दूरों के विरुद्ध हुआ तो सरकार इस प्रकार के मामलों में संरक्षण के निमित्त अग्रेतर कार्यावाही के करने का विचार कर रही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि कम्पनियों भारतीय चाय संघ तथा अन्य व्यवसायों के स्थायी आदेशों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जिस में किसी महिला से पुरुष की तुलना में पृथक प्रकार का व्यवहार किया जाय ।

राजस्व तथा व्यय मन्त्री (श्री त्यागी) : किसी पुरुष को मातृक सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मेरे मित्र ने स्थिति को गलत समझा है । यह प्रश्न मातृक सुविधाओं के बारे में नहीं है । प्रश्न काम के दिए जाने के अधिकार के बारे में है । जूंही पति को काम से निकाला जाता है, पत्नी को भी जवाब दे दिया जाता है । इस मामले में दुर्भाग्य से मातृक सुविधाओं के दिए जाने का भी सम्बन्ध था । दूसरे मामलों में हो सकता है कि मातृक सुविधाओं का प्रश्न न हो ।

सारा प्रश्न यह है कि यदि किसी पुरुष को काम से निकाल बाहर किया जाय तो उस की स्त्री को भी निकाल दिया जाता है तथा उस दृष्टिकोण से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्थायी आदेशों में पुरुष तथा स्त्री में कोई विभद रखा गया है ।

श्री आबिद अली: इस मामले में आसाम के श्रम विभाग का दृष्टिकोण यह है कि इस विशेष मामले में मज़दूर को क्षतिपूर्ति तथा मातृक सुविधाओं के दिए जाने का अधिकार था । क्योंकि मालिकों ने इस सुझाव से सहमत होने से इन्कार कर दिया है, उन पर मुकदमा

चलाए जाने के आदेश पहले से जारी किये जा चुके हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि दक्षिण भारत में जब किसी पुरुष को चाय के बाग़ात से निकाल दिया जाता है तो स्त्री को अपने आप काम से जवाब नहीं मिल जाता है ? उससे पूछा जाता है कि क्या वह भी काम छोड़ देना चाहती है तथा उसके न कर देने पर उसे काम पर रहने दिया जाता है ?

श्री आबिद अली : दुर्भाग्य से इस विशेष मामले में अपीलीय अधिकरण तथा २५ जून, १९५१ के दिन निर्णय देने वाले अधिकरण के सभापति का मत उस कार्यकर्ता के बहुत विरुद्ध रहा है । जहां तक दक्षिण भारत की प्रथा का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि देश के उस भाग में स्थिति कुछ और प्रकार की है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार वकीलों को इस बात की अनुमति देने के लिए तैयार है कि वे न्यायाधिकरण के सामने उपस्थित हो कर इस बात का अनुरोध कर सकें कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री आबिद अली : हम इस प्रश्न के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करेंगे ।

सियालदह विभाग के रेल कर्मचारी

***१२९२. श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी रेलवे के सियालदह विभाग के बहुत से रेल कर्मचारियों को अभी तक ऐसे रद्दी करार दिए गए रेल डब्बों में रहना पड़ रहा है जो मनुष्य के रहने के लायक नहीं हैं; तथा

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया ह कि सियालदह विभाग में युद्धकाल में अस्थायी रूप से ऐसे ढांचे खड़े किये गये हैं जिन्हें १९४७ तक गिरा दिया जाना था तथा जिन में रेल कर्मचारी बिना रोशनदानों, जल तथा स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के रह रहे हैं ?

रेल तथा यातायात मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खान) : (क) सरकार जानती है कि सियालदह विभाग के बहुत से रेल कर्मचारी अभी तक पुराने डिब्बों के ढांचों में रह रहे हैं ।

(ख) सियालदह विभाग में युद्धकाल में बनाए गए अस्थायी निवास-स्थानों में दूसरे स्थान के सदृश, रोशनदानों, जल की सुविधा तथा स्वच्छता आदि के बारे में सुधार किया गया है तथा इस संबंध में हाल में इन सुविधाओं के पर्याप्त न होने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार उन रेल कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अनुमान बता सकती है जो अभी तक इन रद्दी डब्बों में रह रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खान : ठीक ठीक संख्या ७३० है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जहां तक मुझे पता है, इस विचार से कि उचित अधिकारियों तक प्रतिनिधान किया गया है, तथा कि मुझे स्वयं इन अस्थायी रूप से खड़े किए गए ढांचों के देखने का अवसर मिला है, क्या मुझे युद्ध-काल में इन अस्थायी निवास-स्थानों में किए जा रहे सुधारों के बारे में सरकार से किसी ठीक अनुमान का पता चल सकता है ? मैं माननीय मन्त्री के इस कथन को सीधे पानने में असमर्थ हूं कि अब कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं क्योंकि स्वयं मुझ से य शिकायतें की गई हैं तथा सम्बन्धित अधिकारियों से भी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस विषय पर तर्क उपस्थित कर रहे हैं ।

रेल तथा यातायात मन्त्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : १०० पक्के क्वार्टर इससे पहले बन चुके हैं। स्वयं मुझे इस बात का बड़ा ख्याल है कि अधिक क्वार्टर बनें तथा मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि अगले दो वर्षों में हम उन सब लोगों को क्वार्टर दे सकेंगे। अगले वर्ष में कम से कम २५० या इससे अधिक क्वार्टरों का बनाना सम्भव हो सकेगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं यह समझूं कि कम से कम अगले एक वर्ष तक सियाल्दह विभाग के रेल कर्मचारियों को इन्हीं रद्दी डिब्बों में ही रहना पड़ेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम ने इस के लिए एक करोड़ रु० की व्यवस्था कर दी है तथा हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। हम से यदि बन पड़ा तो एक वर्ष में हम अधिक क्वार्टर भी बना सकेंगे, परन्तु मैं इतना ही कर सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बीच उन्हें अन्यत्र कोई स्थान दिया जायगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : बात यह है कि पर्याप्त क्वार्टर उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु यदि और कोई स्थान उपलब्ध हुआ तो निश्चय ही हम उन्हें दूसरी जगह देंगे।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या इन रेल डिब्बों में रहने वाले कर्मचारियों से किराया वसूल किया जाता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कोई किराया वसूल नहीं किया जाता है।

श्री नम्बियार : किराया वसूल किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री का कहना है कि किराया नहीं लिया जाता है।

श्री नम्बियार : यदि लिया गया हो तो क्या वह इसे वापस कर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभी मन्त्रियों तथा सदस्यों से उत्तरदायित्व के साथ वक्तव्य देने की आशा करते हैं। माननीय मन्त्री के अनुसार किराया नहीं लिया जाता है। यदि कोई खास मामला है तो इसे उन के ध्यान में लाया जा सकता है।

श्री नम्बियार : क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि यदि यह लिया जाता हो तो क्या वह इसे लौटा देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि किराया नहीं लिया जाता है। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

चितरंजन के इंजनों के कारखाने का कर्मचारी-संघ

*१२९३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन के इंजन-कारखाने के किसी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान की गई है; तथा

(ख) क्या रेल कर्मचारी संघ नाम के संघ ने स्वीकृति की सभी शर्तों को पूरा किया है तथा यदि किया है तो इसे अभी तक मान्यता क्यों प्रदान नहीं की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि एक दूसरे संघ 'रेल-कमचारी संघ' ने १९४९ में मान्यता के लिए प्रार्थना की थी ? यदि ऐसा है तो इस पर विचार करने पर इतना विलम्ब क्यों किया गया ?

श्री अलगेशन : यह सत्य है कि इस संघ ने मान्यता के लिये प्रार्थना की थी, परन्तु केन्द्रीय समझौता अधिकारी इस संघ के

सदस्यों के बारे में आंकड़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी प्रकार से वे दूसरे संघों के बारे में भी जांच कर रहे हैं तथा इस रिपोर्ट के तैयार होने पर इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया जायगा।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त की पहली जांच की रिपोर्ट कब मिली थी ?

श्री अलगेशन: इस समय समझौता अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं प्रथम जांच के समय को बतलाने में असमर्थ हूं।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या सरकार को विदित है कि चितरंजन के कारखाने के सदस्यों की संख्या आदि के बारे में हाल में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जांच की गई थी तथा यदि ऐसा है तो इस जांच का परिणाम क्या है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं पहले से उत्तर दे चुका हूं, हो सकता है कि इससे पहले जांच पड़ताल कुछ बार की गई हो, परन्तु अब की बार केन्द्रीय समझौता अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है तथा उस की रिपोर्ट के हमारे सामने उपस्थित होते ही कोई फैसला किया जायगा।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या संघ के जनरल सेक्रेटरी हरिदास चक्रवर्ती को, जो एक कर्मचारी थे, हाल में नौकरी से निकाल दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को हरिदास तथा अन्य छः व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें मजदूर संघों में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है को तनिधान प्राप्त हुए हैं ?

रेल तथा यातायात मन्त्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हमें उन से शिकायत प्राप्त हुई है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि उस शिकायत के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस बारे में मुझे माननीय सदस्य से भी एक पत्र मिला है तथा मैं उन्हें बतला दूं कि क्या इन पदाधिकारियों को या इन कर्मचारियों को उनकी मजदूर संघ में क्रियाशीलता के कारण नौकरी से नहीं निकाला गया है। माननीय सदस्य के पत्र मिलने पर मैं ने कुछ जांच की थी। मुझे जनरल मैनेजर से भी रिपोर्ट मिल चुकी है परन्तु अभी कुछेक और बातों के बारे में भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तथा हमने इस बारे में जनरल मैनेजर महोदय को फिर एक पत्र लिखा है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या चितरंजन के रेल बस्ती को रक्षित क्षेत्र समझा जा रहा है ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से कैसे पैदा होती है ?

श्री नम्बियार : वहां मजदूर संघ के काम करने की इजाजत नहीं है तथा चितरंजन के इंजन कारखाने के क्षेत्र में किसी सभा के करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात का अनुभव करें कि किसी विशेष प्रश्न से दूसरे सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि वह उस विशेष प्रश्न से संगत न होने पर भी विषय से अन्यथा संगत हों। इस प्रश्न का संबंध केवल विभिन्न संघों को मान्यता देने के विषय से है। क्या मजदूर संघों को क्रियाशीलता की अनुमति दी जाती है या किसी व्यक्ति

को सेवा से मुक्त किया जाता ह—इन प्रश्नों पर इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री नम्बियार : उसे एक रक्षित क्षेत्र समझा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के बारे में बहुत सी बातें पूछी जा सकती हैं तथा इस के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछे जासकते हैं ।

मनीपुर में मीयादी ज्वर, नमूनिया तथा मलेरिया

*१२९४. **श्री एल० जे० सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर के उत्तर-पूर्वी भाग में बीस ग्रामों में मीयादी ज्वर, नमूनिया तथा मलेरिया महामारी के रूप में फूट पड़े हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां पर इन रोगों के दमन करने के लिए डाक्टरों तथा औषधियों की पर्याप्त संख्या तथा मात्रा नहीं है ;

(ग) सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने तथा बीमारी को अधिक फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ;

(घ) क्या सरकार उन प्रभावित क्षेत्रों के जरूरत वाले लोगों में खाद्य पदार्थ आदि को बांट कर रही है ; तथा

(ङ) क्या कोई असरकारी संस्था सहायता-कार्य कर रही है ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) मनीपुर के उत्तर-पूर्वी भाग में नमूनिया तथा मियादी ज्वर नहीं फूटे थे। मलेरिया के कुछेक मामले हुए थे ?

(ख) जी नहीं ।

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच के पूरा कर लिये जाने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक सहायता दी गई थी । बीमारी को अधिक फैलने से रोक दिया गया है । अब बीमारी थम गई है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) मेरी सूचना के अनुसार तो कोई असरकारी संस्था काम नहीं कर रही है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं इस से पहले प्रभावित हो चुके ग्रामों के नाम जान सकता हूं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि सरकार ने इन प्रभावित क्षेत्रों में चावल के स्थान पर मक्की की बांट की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री एल० जे० सिंह : : क्या यह सत्य है कि यह महामारियां दुर्भिक्ष, बाढ़ तथा सरकार द्वारा दुर्भिक्ष से प्रभावित लगभग भूखे और दुर्बल लोगों में बांटी गई मक्की के कारण फूटी थीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं तथा सूचना दे रहे हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं सूचना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं । वह क्या सूचना चाहते हैं ?

श्री एल० जे० सिंह: इन बीमारियों के कारण क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप स्वयं ये कारण क्यों बतला रहे हैं ?

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि मलेरिया से अत्यन्त पीड़ित इस इलाके में सरकार की कोई मलेरिया-निरोधी योजनाएं हैं ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : जी हां, सरकार की मलेरिया निरोधी योजनाएं है तथा वे कार्य कर रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त: : मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों में मलेरिया का सामना करने के लिए कितने चलन्तु चिकित्सा दस्ते भेजे गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : केवल मलेरिया का ही सामना करने के लिये नहीं, बल्कि आगामी वर्ष के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के देने के लिए भी, मनीपुर राज्य को दो चलन्तु औषधालय दिए गए हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैंने इस विशेष इलाके के बारे में ही पूछा है कि कोई चलन्तु औषधालय वहां भेजा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सारे राज्य के लिए वहां पर पहले ही दो चलन्तु औषधालय मौजूद हैं ।

श्री मती चन्द्रशेखर : इसे अगले वर्ष में केवल मलेरिया का सामना करने के लिए ही नहीं बल्कि चिकित्सा सम्बन्धी पूरी सुविधाओं के देने के लिए अगले वर्ष भेजा जा रहा है ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि इस महामारी का सामना करने के लिये और क्या क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एक मलेरिया निरोधी योजना बनाई जा रही है तथा बहुत से भागों में उसे पूर्णत: कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्रीमती ए० काले० : इसका अर्थ यह है कि उक्त योजना अभी बनी नहीं है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह बनी हुई है ।

श्री डोरास्वामी : मलेरिया महामारी से कितनी मृत्युएं हुई हैं ?

श्री मती चन्द्रशेखर : मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं । माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ये एकत्र कर के उन्हें दे दिए जायेंगे ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि मनीपुर के पीड़ित व्यक्तियों के लिए रेड क्रास सोसाइटी ने १०,००० रु० दिए हैं तथा यदि, ऐसा है तो सरकार इस राशि को प्रभावित इलाके में किस प्रकार से व्यय करने का विचार करती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सकी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वहां रेड क्रास सोसाइटी या कोई और असरकारी संस्था सहायता कार्य कर रही है। रेड क्रास सोसाइटी ने इस प्रयोजन से १०,००० रु० एकत्र किए हैं तथा माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उस के व्यय पर सरकार का नियन्त्रण है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में मैं पहले बतला चुकी हूं कि असरकारी संस्थाओं के सहायता-कार्य के बारे में हमें कुछ पता नहीं है । मैं अधिक सूचना देने में असमर्थ हूं ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के डाक-विभागीय जीवन बीमा-पत्र

*१२९५. **श्री गिडवानी** : क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के डाक विभागीय जीवन-बीमा-पत्रों के सम्बन्ध में जारी किए गए उन आदेशों का क्या आधार है जिन के अनुसार भारत सरकार ने ३१ मार्च, १९४८ तक भारत में आने वाले

व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही अपने पर उत्तर-दायित्व लिया है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि उक्त आदेशों के अनुसार बहुत से विस्थापित सरकारी कर्म- चारियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है ;

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार ने उन के कष्ट को कम करने के क्या उपाय किये हैं ;

(घ) क्या यह सत्य है कि विभाजन से पहले भी डाक-विभागीय जीवन बीमा-पत्रों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व भारत सरकार पर ही था तथा कि किसी समय भी यह उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर नहीं था ?

संचरण उपमन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) ये आदेश भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के परस्पर समझौते के आधार पर जारी किए गए थे ।

(ख) बहुत ठीक ठीक कहते हुए, सरकार को पता है कि पाकिस्तान छोड़ भारत चले आने से पहले अपनी डाक-विभागीय जीवन-बीमों के समाप्त हो जाने या उन के सम्बन्ध में देय धन के भुगतान को न कर सकने के कारण कुछ सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है ।

(ग) पाकिस्तान सरकार तक ऐसे पारस्परिक प्रबन्धों के करने की बात पहुंचाई गई है जिस से भारत सरकार उन बीमों पर देय प्रीमियम को वसल करेगी तथा पाकिस्तान सरकार की ओर से दावों का फ़ैसला करेगी । इसी प्रकार से पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में भारत सरकार की ओर से ऐसे फ़ैसले करेगी । पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । इस बीच भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए १०० रु० प्रति मास की दर से सहायता की मंजूरी दी है जिन का कोई और निर्वाह-साधन नहीं है तथा जिन के बीमों की अवधि पूरी हो चुकी है ।

(घ) जी हां ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी ३१ मार्च, १९४८ के बाद पाकिस्तान छोड़ भारत बसने आये थे तथा कि सरकार ने उन के द्वारा बार बार प्रतिनिधान करने पर भी उन का विश्वास नहीं किया था ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में ठीक ठीक जानकारी के लिए मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने मित्र माननीय पुनर्वास मन्त्री की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि तब से कई विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के बीमों की अवधि पूरी हो चुकी है तथा उन्हें पाकिस्तान से प्राप्य धन में से कुछ नहीं मिला है ?

श्री राज बहादुर : यह भी ऐसी लेखा है जिसे पाकिस्तान सरकार रखती है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार से किसी एक मामले में भी, जिसमें पाकिस्तान सरकार को कुछ देना है, समझौते पर पहुंचने की आशा है ?

श्री राज बहादुर : मैं सभी मामलों के सम्बन्ध में नहीं कह सकता ।

तिलेय बांध में डूबी हुई रांची-पटना सड़क

*१२९५. **ए० बाबू रामनारायण सिंह :** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची-पटना सड़क का एक भाग तिलेय बांध में डूबा हुआ है जिस से कि यात्रियों की बहुत असुविधा का सामना होता है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में वर्णित तथ्य दामोदर घाटी योजना प्राधिकार द्वारा १९४९ में बतला दिया गया था तथा यदि ऐसा है तो भारत सरकार ने मार्ग को पलटने का आदेश क्यों नहीं दिया था तथा जनता को इस असुविधा से बचाने के लिए पिछली वर्षा ऋतु से पहले पहले इस टक्कर को पूरा क्यों नहीं कर लिया था ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) रांची-पटना सड़क का एक भाग लगभग २१/२ मास के लिए अगस्त के मध्य से ले कर नवम्बर, १९५२ के आरम्भ तक, जबकि नई टक्कर तैयार हो कर जनता के लिए खोल दी गई थी, डूबा रहा था। इस काल में यात्रियों को पार उतरने के लिए तख्तों के पुल आदि बनाए गऐ थे।

(ख) दामोदर घाटी निगम को १९५० के मध्य में वर्तमान सड़क के डूब जाने के सम्भावना के कारण आने जाने के साधनों के रुकने न देने के लिये टक्कर आदि के बनाने की आवश्यकता के बारे में सूचना दी गई थी।

कुछ विचार के बाद निगम ने सितम्बर १९५१ में एक दूसरी टक्कर के बनाने का सुझाव दिया। इन सुझावों को भारत सरकार ने नवम्बर १९५१ में स्वीकार कर लिया था।

निगम ने काम को समय के अन्दर पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया था परन्तु नींव की कठिनाइयों के कारण वे भाखरा पुल को नवम्बर १९५२ से पहले पूरा नहीं कर सके।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं जान सकता हूं कि इस तकलीफ का उत्तरदायित्व किस पर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तरदायित्व बाढ़ पर है।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है या बिहार सरकार पर ?

श्री अलगेशन : इस टक्कर को दामोदर घाटी निगम ने अपने द्वारा प्रस्तावित रेखा-करण के अनुसार बनाया है। उन्होंने सड़क के बनाने का काम पूरा कर लिया है परन्तु पुल के बनाने का काम अभी शेष था। अगस्त १९५२ तक तिलेय बांध का काम पूरा हो चुका था। दो ढाई महीनें तक नींव आदि का प्रबन्ध किया गया था, परन्तु निस्सन्देह थोड़ी बहुत असुविधा अवश्य रही, परन्तु अब सड़क को पूरा कर लिया गया है।

बाबू रामनारायण सिंह : बात यह है कि सड़क के डूबने के बारे में १९३९ से ही पता था। मेरा प्रश्न यह है कि टक्कर के बनाने के आदेश क्यों जारी नहीं किए गए थे तथा सड़क के डूबन से पहले पहले बनाने का काम क्यों पूरा नहीं कर लिया गया था। जनता को इतनी तकलीफ के पहुंचाने का कारण क्या था। इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री अलगेशन : केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार तथा दामोदर घाटी निगम का इस ओर ध्यान दिलाया था कि इस भाग का डूब जाना सम्भव हो सकता है तथा कि दूसरी ओर से ले जाने वाली सड़क बनाई जानी चाहिये। परन्तु फ़िर दामोदर घाटी निगम से झगड़ा उठ खड़ा हुआ जिसे कि व्यय के बहुत से भाग का करना चाहिये था क्योंकि यह स्थिति उन के द्वारा बनाए जाने वाले बांध के फ़ लस्वरूप उत्पन्न हुई है। इस विषय में कुछ झगड़ा हुआ था तथा कुछ देर लगा कर उन्होंने इस व्यय को स्वीकार कर लिया। ऐसा होते हुए भी दामोदर घाटी निगम ने यथासम्भव काम को शीघ्रता से करने का प्रयत्न किया, परन्तु वह पुल को समय पर नहीं बना सके।

दिल्ली—लखनऊ एक्सप्रेस

*१२९६. **श्री एस० एन० दास** : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस तथा दूसरी तेज़ गाड़ियों से उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उतरी बंगाल तथा आसाम को जाने वाले यात्रियों को लखनऊ में उतनी ही तेज़ गाड़ी को पकड़ने के लिये छः घंट से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार से दिल्ली-लखनऊ से उतनी ही तेज़ गाड़ी को मिलाने के लिये किसी तेज़ चलने वाली गाड़ी के जारी करने का विचार किया गया है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात मन्त्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खान) : २४ डाऊन दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस से तथा ६ डाऊन पंजाब मेल से उतर कर तुरन्त मिलने वाली दूसरी तेज़ गाड़ियां मौजूद हैं। फ़िर भी यह सत्य है कि १८ डाऊन दिल्ली-एक्सप्रेस तथा १० डाऊन दून एक्सप्रेस से उतर कर मिलने वाली तेज़ गाड़ियां लखनऊ से क्रमशः ३ १/२ घंटें तथा ५ १/२ घंटें के विराम से चलती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विलम्ब तथा इस मार्ग से यात्रा करने में अधिक समय के लगने के कारण, उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल तथा आसाम से आने वाले बहुत से संसद सदस्यों को दूसरे मार्ग से हो कर आना पड़ता है तथा उन्हें मिल रहे यात्रा भत्ते से अधिक किराया देना पड़ता है क्योंकि यह मार्ग दूसरे मार्ग से छोटा है ?

रेल तथा यातायात मन्त्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य ने इस बारे में मुझ से केवल तीन या चार दिन पहले ही बात की थी तथा उन के लिये इस बारे में प्रश्न के पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चाहिये था कि वह मुझे इस प्रस्तावना के सोचने के लिए कुछ समय देते।

श्री एस० एन० दास : इस प्रश्न की सूचना बहुत पहले दी जा चुकी थी।

श्री एल० बी० शास्त्री : अनुपूरक प्रश्नों के पूछने की तो आवश्यकता नहीं है।

श्री बर्मन : क्या सरकार बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम जैसे दूरवर्ती स्थानों से आने वाले सदस्यों से परामर्श करने की वांछनीयता पर विचार करेगी तथा असामान्य देर तथा लखनऊ पर विराम को कम करने के कोई उपाय करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्रण समिति से परामर्श करने का कोई सुझाव रखा गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि हम कुछ न कर पाए तो हम सम्भवतः सदस्यों से परामर्श करें।

श्री नम्बियार : क्या यह समिति कार्य कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात को अपने ढंग से कहते हैं। कहने का एक तरीका यह है कि कोई मंत्रणा समितियां कार्य नहीं कर रही हैं तथा दूसरा तरीका यह कि क्रियात्मक दृष्टि से वे लगभग बेकार हैं।

श्री बर्मन : श्रीमान्, क्या मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में इस बात को ला दूं कि कल मैंने जलपायगुरी के लिए एक टिकट खरीदना चाहा था तथा कनाट प्लेस के अधिकारियों ने मुझे बतलाया कि यह स्थान पाकिस्तान में है। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दिखाई जिस में

वस्तुतः ऐसे लिखा है। क्या माननीय मन्त्री ऐसी निन्दाजनक ग़लतियों के ठीक करने के उपाय करेंगे ?

राकफैलर स्थापना अनुदान

*१२९७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किस किस कृषि सम्बन्धी संस्था को आज की तिथि तक राकफैलर स्थापना अनुदान मिल चुके हैं ; तथा

(ख) क्या ऐसे अनुदानों के पाने के लिए किन्हीं शर्तों को पूरा करना पडता है ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) (१) इलाहाबाद एग्रीक्लचरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद ... १५०,००० डालर

(२) इन्टर्नेशनल सोसाइटी आफ प्लांट मोरफोलोजिस्ट (पौदों की बनावट के विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था).....२,००० डालर

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इलाहाबाद कृषि सम्बन्धी संस्था को किस प्रयोजन से यह अनुदान दिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, ऐसा बतलाया जाता है कि राकफैलर स्थापना ने ये दो अनुदान प्रथम मामले में सामान के लिए तथा दूसरे मामले में पौदों की बनावट के अध्ययन के लिए दिए थे।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि राकफैलर स्थापना ने यह राशि अमेरिकन टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विकास के प्रयोजनों से दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्। जहां तक मुझे मालूम है, इस बात का अमेरिकन टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा ये अनुदान प्रत्यक्ष रूप से मिले थे तथा कृषि मंत्रालय के माध्यम से नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२ के दूसरे त्रिमासिक भाग में, कोई राशि राकफैलर स्थापना द्वारा दा गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, ऐसा नहीं जान पडता है। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती ए० काले : : मैं जान सकती हूं कि क्या सूचना के एकत्र करने का काम इतना विस्तृत है कि इसे १० दिन में नहीं किया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्, यह बहुत कठिन है क्योंकि ये प्रार्थना पत्र विभिन्न संस्थाओं द्वोरा भेजे जाते हैं। प्रार्थनापत्रों के मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने की अवस्था में सूचना का एकत्र करना सम्भव नहीं है। यह जानना भी संभव नहीं है कि किसने प्रार्थनापत्र भेजा है तथा किसे वह मिला है। कभी कुभार संकेत मिलने पर ही हम सूचना के स्रोत को जान सकते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् क्या हम जान सकते हैं कि ये अनुदान सम्बन्धित सरकार से या कम से कम केन्द्रीय सरकार से परामर्श के बाद दिए जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, जिन दो अनुदानों का वर्णन मैं ने किया है, कृषि मंत्रालय से परामर्श के बिना तथा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि जिन दो संस्थाओं को अनुदान दिए गए हैं, वह सरकारी संस्थाएं हैं या असरकारी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से जान पड़ता है, सम्भवतः दोनों संस्थाएं असरकारी हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि इन अनुदानों पर लागू होने वाली क्या क्या शर्तें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार अपनी सूचना के बिना भी असरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशी उपहारों के स्वीकृत किए जाने की अनुमति देती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सामान्य रूप से पूछा गया है । मैं इसकी अनुमति नहीं देना चाहता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों की विभिन्न कृषि सम्बन्धी संस्थाओं को संघ सरकार के माध्यम से विदेशों से सहायता के निमित प्रार्थनापत्रों के भेजने के लिए कहा गया है ?

डा० पी एस० देशमुख : श्रीमान्, जहां तक कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है, इसका उत्तर नहीं में है ।

रेल कर्मचारी वेतन-क्रम

*१२९९. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों से नये वेतन-क्रम के निश्चित किये जाने के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण के रखने की कृपा करेगी जिसमें प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का वर्णन हो; तथा

(ग) क्या इन शिकायतों को निपटाने की कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों के एक बहुत बड़े भाग को १९४८–१९४९ में कार्यान्वित कर दिया गया था तथा वेतनों के नये क्रम के निश्चित किये जाने के बारे में अधिकतर शिकायतें उसी काल में की गई थीं । उसके बाद प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या बहुत थोड़ी है ।

(ख) सदन पटल पर ऐसी शिकायतों के बारे में किसी विवरण का रखना सम्भव नहीं है जिसमें ऐसी शिकायतों की संख्या का वर्णन हो । कारण यह है कि इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं; तथा

(ग) ऐसी शिकायतों के फैसले करने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या असगंति समिति की सिपारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मुझे खेद है कि इसका नाम संयुक्त-मंत्रणा समिति रखा गया था तथा इसकी स्थापना केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रमों सम्बन्धी सिपारिशों की कार्यान्विति में उत्पन्न हुई कुछ असंगतियों का दूर करना था । उन्होंने इस पर कई महीने विचार किया तथा उनसे किये गये सभी प्रतिनिधानों पर विचार किया । इस के बाद ही कुछ फैसले किये गये तथा सरकार ने संयुक्त मंत्रणा समिति की बहुत सी सिपारिशों को कार्यान्वित कर भी लिया है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, इस उत्तर से उत्पन्न होते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं

कि अब जो छोटी छोटी शिकायतें मिलेंगी, उन पर विचार किया जायेगा तथा क्या प्रार्थियों की बातों पर विचार किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का पहले से भाग (ग) में उत्तर दे चुका हूं कि इन शिकायतों के बारे में जांच की जा रही है तथा इनके बारे में फैसले किये जा हैं।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या यह सत्य है कि रेल-कर्मचारियों के दो संघों ने कुछ विवादग्रस्त मामलों को न्यायाधिकरणों को सौंपने के लिए प्रतिनिधान किया था ? यदि ऐसा है तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्य-वाही की है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, उन्हें अभी हाल में ही निर्दिष्ट किया गया है तथा मामले पर विचार हो रहा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने वेतन आयोग तथा बाद में बनाई गई संयुक्त-मंत्रणा समिति की सिपारिशों की कार्यान्विति में इतना विलम्ब क्यों किया है तथा इतने प्रतिनिधानों की आवश्यकता क्यों होने दी ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, उन्होंने कुछ समय नहीं लगाया है। वेतनों के नये क्रम को १–११–४७ को ही लागू कर दिया गया था। इसके बाद कुछेक असंगतियां अनुभव की गईं तथा उन से शिकायतें पैदा हुईं। इन शिकायतों को एक संयुक्त मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट किया गया जिसने अपना श्रमपूर्ण काम १९५० तक समाप्त कर लिया तथा इसके शीघ्र बाद संयुक्त मंत्रणा समिति की सिपारिशों के अनुसार फैसले किये गये। इस में कुछ समय भी नष्ट नहीं किया गया।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि सरकार ने सिपारिशों को तोड़ मरोड़ कर ग़लत रूप में पेश करने के अभिप्राय से कर्मचारियों की एक ही श्रेणी में तीन चार विभाग बना दिये तथा केवल उसी कारण से प्रतिनिधान किये गये थे ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मुझे खेद है। ऐसा मत रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अखिल भारतीय रेल-कर्मचारी संघ

***१३००. श्री नम्बियार :** क्या **रेल मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि क्या नवम्बर, १९५२ के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल रेलवे बोर्ड से मिलने आया था, परन्तु रेलवे बोर्ड ने उन से मिलने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्यों;

(ग) क्या यह सत्य है कि पहले से करार पाये समझौते के अनुसार उक्त संघ से सम्बद्ध प्रत्येक 'यूनियन' के प्रतिनिधि को अखिल भारतीय रेलवे संघ की रेलवे बोर्ड से समय-समय पर भेंट की अनुमति दी जाती रही है तथा यदि ऐसा है तो सम्बद्ध 'यूनियन' को इस बार इस सुविधा के देने से क्यों इन्कार किया गया है; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रस्तावित संयुक्त सभा में चर्चा के मामलों को 'रेट्स' अधिकरण को सौंपा जाता है तथा यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत सरकार की रेलों के सम्बन्ध में बनाई गई समझौते की वार्ता करने के व्यवस्थापन के अनुसार रेलवे बोर्ड तथा अखिल भारतीय रेलवे संघ की त्रिमासिक बैठक तिथि २६ नवम्बर, १९५२ की निश्चित की कई थी। प्रतिनिधियों की ठीक ठीक संख्या के बारे में प्रारम्भिक चर्चा होने के बाद वास्तव में यह बैठक ३ दिसम्बर, १९५२ को की गई थी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) प्रश्न के इस भाग में निर्दिष्ट आपस में ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्देशित समझौता-वार्ता मशीनरी के बनाने के लिए निश्चित की गई प्रक्रिया में रेलवे रेट्स अधिकरण को इस प्रकार के निर्देश करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चर्चा कभी इस कारण भी भंग हो गई थी कि रेल कर्मचारी संघ ने रेलवे बोर्ड द्वारा निश्चित की गई प्रतिनिधियों की संख्या को स्वीकार नहीं किया था ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, इस सभा में अखिल भारतीय रेल-कर्मचारी संघ के सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में कुछ मतभेद हो गया था । इसका अन्तिम निर्णय कर दिया गया था तथा सदस्यों की संख्या के बारे में समझौता हो गया था । जिस समय यह समझौता हो गया था, संघ के नेता ने मंत्रालय को सूचित किया कि बहुत से प्रतिनिधि दिल्ली से बाहर जा चुके हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि परस्पर तय पाई संख्या कितनी थी ?

श्री अलगेशन : यह संख्या आठ थी ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या पहले की प्रथा के अनुसार कि प्रत्येक सम्बद्ध संघ को एक प्रतिनिधि भेजना पड़ता था तथा कुल मिला कर आठ से अधिक प्रतिनिधि भेजे जाया करते थे ? यदि ऐसा है तो मैं जान सकता हूं कि इस कमी के कर देने का कारण क्या है ।

श्री अलगेशन : समझौता-वार्ता व्यवस्था के आरम्भ करने के बाद यह संख्या इतनी अधिक नहीं थी परन्तु इससे पहले छः मासिक सम्मेलन होता था । उन सम्मेलनों में प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में भेजा जा सकता था; ऐसा होते हुवे भी यह कभी नहीं हुआ कि प्रत्येक सम्बद्ध संघ को एक प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिला हो ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि अखिल भारतीय रेल संघ द्वारा की गई सिपारिशों को बोर्ड द्वारा न मानने की अवस्था में किस प्रणाली के अनुसार कार्य किया जाता है ? क्या मतभेद के मामलों को किसी न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है तथा यदि ऐसा होता है तो मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा करने के लिए रेलवे बोर्ड की पूर्व-स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है ।

श्री अलगेशन : एक दूसरे माननीय सदस्य द्वारा पहले पूछे गये एक प्रश्न से पता चल सकता है कि किसी समझौते के न होने की अवस्था में मतभेद के विशेष मामलों को न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है ।

श्री नम्बियार : क्या रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना ही ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । दोनों की इसके लिए सहमति आवश्यक है तथा तभी किसी मामले को किसी न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है ।

श्री नम्बियार : यदि रेलवे बोर्ड सहमत होने से इन्कार कर दे तो फिर किस प्रणाली के अनुसार काम किया जाता है ?

श्री अलगेशन : यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इससे पहले ऐसा कोई मामला हुआ है जिसमें बोर्ड किसी मामले को न्यायाधिकरण को सौंपे जाने के विषय में सहमत नहीं हुआ ?

श्री अलगेशन : इस प्रणाली को चले अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ तथा अभी तक ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ ।

महा नदी पर पुल

१३०१. श्री जांगड़े : (क) क्या **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा केन्द्रीय सरकार में रायगढ़ तथा सरायपल्ली के बीच चन्द्रपुर के निकट तथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सीमान्त पर कोई समझौता हो गया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह समझौता किस क्रम पर है तथा इसे कब अन्तिम रूप दिया जा रहा है ?

(ग) कितने समय में इस पुल के बन कर तैयार हो जाने का अनुमान किया जाता है ?

(घ) इस पुल के बनाने में अनुमानित व्यय कितना होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सम्बन्धित सरकारों ने सहमत हो कर कोई प्रस्थापनाएं उपस्थित नहीं की हैं ।

(ग) तथा (घ). प्रस्तावित पुल के बनाने का काम, जो एक राज्य की सड़क पर है, सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि किन किन स्थानों पर तथा किन किन नदियों पर केन्द्रीय सरकार पुलों को बना रही है ।

श्री अलगेशन : यह भी उसी अर्थात् महानदी पर है । केन्द्रीय सरकार उसी स्थान के निकट, जो माननीय सदस्य के मन में है, दो पुल बना रही है ।

श्री जांगड़ : मेरा मतलब मध्य प्रदेश से है ।

श्री अलगशन : सम्भवतः मैं इसे नहीं जानता हूं । हो सकता है कि ये उड़ीसा में हों। मैं नहीं जानता हूं कि क्या यह केवल मध्य प्रदेश में ही हैं ।

अखिल-भारतीय व्यापार प्रमाणीकरण बोर्ड

***१३०२. श्री के० सी० सोंधिया :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय व्यापार प्रमाणीकरण बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी योजना के बनाने के लिए स्थापित की गई समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट तैयार की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उसकी मुख्य-मुख्य सिपारिशें क्या हैं ?

(ग) इनके बारे में सरकार द्वारा कार्यवाही के किये जाने की कब तक सम्भावना है ?

(घ) यदि नहीं तो इस समिति द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां । रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा वह सरकार के पास ६-११-५२ को भेजी जा चुकी है ।

(ख) सरकार रिपोर्ट की इस समय छान-बीन कर रही है ।

(ग) रिपोर्ट की छान-बीन के काम को शीघ्रता से करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० के० बसु : भाग (ख) का मुख्य सिपारिशों की ओर निर्देश है तथा माननीय मंत्री का उत्तर कुछ और है ।

श्री दामोदर मेनन : जी हां, इसी बात के बारे में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मुख्य मुख्य सिपारिशें क्या हैं । उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि ये सिपारिशें विचाराधीन हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सरकार उन पर विचार न कर ले, उन्हें प्रकाशित नहीं किया जायगा। मैं इस बात को समझ सकता हूं तो माननीय सदस्य इसे क्यों नहीं समझ सकते। जब तक सरकार किसी रिपोर्ट पर अपना विचार समाप्त नहीं कर लेती, सामान्यतः रिपोर्ट को या सिपारिशों को प्रकाशित नहीं किया जाता है।

श्री के० के० बसु : तो वह ऐसा कह सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमान्, प्रश्न-संख्या १३०३।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : क्या मैं सुझाव दूं कि प्रश्न संख्या १३०७ को भी इसके साथ लिया जाय। यह भी उसी विषय के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां। प्रश्न संख्या १३०७ का भी इसी के साथ ही उत्तर दिया जा सकता है। इसका सम्बन्ध भी उसी प्रश्न से है।

बरार में फसलों का न होना

*१३०३. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश की बरार डिवीजन में अपने हाल के दौरे में यह देखा कि उस इलाके के कुछ ज़िलों में खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलें अब के बिल्कुल नहीं हुई हैं ?

(ख) उपरोक्त भाग (क) में वर्णन किये गये इलाके के दुर्भिक्ष से पीड़ित लोगों को जो माननीय मंत्री से मिले थे, मंत्री महोदय ने क्या आश्वासन दिया था ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कृषि मंत्री ने हाल में अमरावती ज़िले की अचलपुर तहसील तथा बुलढाना ज़िले की जलगांव, खामगांव तथा मल्कापुर तहसीलों का दौरा किया था। पिछली बार वर्षा के अभाव से जवार तथा कपास की फसलों को काफी हानि पहुंची है।

मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि राज्य के कृषि मंत्री भी अमरावती ज़िले के दौरे में मेरे साथ थे तथा राज्य के राजस्व मंत्री ने मेरे दौरे के एक दिन बाद उस इलाके का भ्रमण किया था।

(ख) कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मैं बिना आश्वासन के सहायता के देने में विश्वास करता हूं।

मध्य प्रदेश में खाद्यान्न की कमी

*१३०७. **श्री भटकर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में बरार के अमरावती तथा बुलढाना जिलों का दौरा किया है ?

(ख) जनता की तकलीफ को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछेक ग्रामों के निवासियों को खाद्याभाव के कारण ग्रामों को छोड़ कर चले जाना पड़ा था।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने जनता की तकलीफ को दूर करने के क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें जनता की तकलीफ को दूर करने के हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का वर्णन है।

(ग) इस प्रकार के कुछ मामलों को माननीय मंत्री के ध्यान में उनके दौरे के समय लाया गया था

(घ) यह कार्य सरकार का है कि वह विभिन्न उपायों के बारे में सुझाव दे तथा उन्हें कार्यान्वित करे। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता की सम्भावना पर केवल तभी गौर किया जायगा, जब इस बारे में निश्चित निर्देश होगा। राज्य सरकार को स्थिति का पता है तथा इस दिशा में उसने पहले कुछ कार्यवाही की है।

विवरण

प्रभावित क्षेत्रों में कष्ट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ये उपाय किये हैं:—

(१) लगान की माफी या स्थगन।

(२) कृषि पदों सम्बन्धी अधि-नियम के बरार विनियम के अन्तर्गत पट्टे के धन की वसूली का स्थगन।

(३) तकाबी की किस्तों की वसूली का स्थगन।

(४) तकाबी की उदारता से पेशगी देना।

(५) व्यवहार न्यायालयों की डिग्रियों की कार्यान्विति का स्थगन।

(६) जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के ले जाने में जंगलों सम्बन्धी रियायत का देना।

(७) चारे के देने के प्रबन्ध।

(८) प्रभावित इलाकों में काम के देने के लिए सहायता कार्यों का आरम्भ करना।

(९) सस्ते अनाज के विक्रय के लिए उचित दामों की दूकानों का खोलना।

(१०) नदियों तथा नालों के बहने के क्षेत्रों में ज़िर्राह को खोदकर पानी की मात्रा को पूरा करना; नदियों तथा नालों की सहायक नदियों या नालों का खोदना; ग्राम्य क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रयोग के कुंओं का गहरा करना तथा इस प्रयोजन से उचित राशि के अनुदानों का देना तथा नये कुंओं के बनाने के लिए तकावी का पेशगी रूप से देना।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार हमें बता सकती है कि दुर्भिक्ष का कितने एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: प्रभावित ग्रामों के बारे में राज्य सरकार ने आंकडे एकत्र किये हैं। मेरे पास एकड़-संख्या सम्बन्धी आंकडे नहीं हैं।

श्री के० जी० देशमुख : क्या सरकार ने प्रभावित मजदूरों की संख्या का कोई अनुमान किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री : (श्री किदवई) : उस इलाके में रहने वाले सभी मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ा है।

सेठ अचल सिंह : यूनियन सरकार में अगर कहीं पर अकाल पड़ जाय तो क्या रिलीफ देने की सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वहीं की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बिल्कुल नहीं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री : (श्री किदवई) : जिम्मेदारी वहीं की है।

श्री जसानी : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को किसी सहायता के लिए लिखा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक तो नहीं।

श्री भटकर : क्या सरकार को यह मालूम है कि मिनिस्टर साहब के वहां जाने के बाद लोगों की हालत और भी खराब हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह सत्य है। कुछ और ग्रामों पर भी दुर्भिक्ष का प्रभाव पड़ गया है।

श्री भटकर : रायलसीमा और मैसूर के मुआफिक हम जैसे कम चिल्लाने वाले लोगों के हिस्से पर भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली मदद मिलेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार सभी क्षेत्रों के सम्बध में एक से सिद्धान्तों के अनुसार काम करने की चेष्टा करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी दूसरे स्थान के दुर्भिक्ष के यहां पर उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है ।

श्री भटकर : नेशनल हाई वेज़ का नांदुरा और मलकापुर हिस्से का काम शुरू करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है ताकि लोगों को काम मिले ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका सम्बन्ध दूसरी मिनिस्ट्री से है, वह इस पर विचार करेगी।

श्री जी० वी० खेदकर : क्या सरकार को मालूम है कि बरार में पीने को पानी नहीं मिलता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : बरार में भी ऐसी स्थिति है और और जगह भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सम्बन्ध भी उसी क्षेत्र से है । वह इस बारे में देख रेख कर सकते हैं ।

डाक द्वारा अमेरिका को भेजी गई पुस्तकों आदि की जब्ती

***१३०४. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश के ऐसे प्रकाशकों को कुछ सहायता दी जाती है जो अमेरिका के पुस्तक-विक्रेताओं के आदेश मिलने पर यहां से साहित्यिक प्रकाशन भेजते हैं, परन्तु जिन्हें सूचना दी जाती है कि उस साहित्य को वहां पहुंचने पर जब्त कर लिया गया है;

(ख) क्या डाक सम्बन्धी विश्व प्रथा के अनुसार कोई देश ऐसा कर सकता है कि दूसरे देश में विधिवत डाक से भेजी गई वस्तुओं को, सम्बन्धित देश के डाक अधिकारियों को पहले से यह सूचना दिये बिना कि डाक से कुछ निश्चित या निश्चित श्रेणी के साहित्य के भेजने की अनुमति नहीं है, ज़ब्त करने का अधिकार है; तथा

(ग) क्या भारत सरकार का ध्यान 'पीपिल्स पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेड, बम्बई' द्वारा अमेरिका में विधिवत डाक से भेजे गये कुछ प्रकाशनों के ज़ब्त कर लिये जाने की ओर ध्यान दिलाया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, यदि वस्तुएं इस प्रकार की हों जिनका परिचालन पर उस देश में प्रतिबन्ध लगा हो। जहाँ कि वे भेजी जा रही हैं । भारतीय डाकघर इस मामले में किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता है । सम्बन्धित देश द्वारा उस देश में कुछ निश्चित वस्तुओं के भेजने तथा परिचालित करने पर लगाये गये प्रतिबन्धों सम्बन्धी आदेशों के प्रतिपालन का भार प्रेषकों पर है ।

(ख) डाक सम्बन्धी विश्व प्रथा की धारा ४९ एस. एल. (डी) के अन्तर्गत डाक द्वारा ऐसी वस्तुओं का भेजना मना है जिनकी उस देश में भेजने तथा परिचालन की मनाही हो तथा उसी धारा के अनुसार, यदि ऐसी वस्तुएं लिफ़ाफ़ों आदि में बन्द कर के ग़लती से डाकघरों को सौंप दी जायं तो उनके बारे में पता चलाने वाले प्रशासन के आंतरिक विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ग) अमेरिका में कुछ प्रकाशनों की ज़ब्ती की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, परन्तु ऐसा कहना पूर्णतः सत्य नहीं है कि उन्हें विधिवत डाक द्वारा भेजा गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, ये प्रकाशन उस देश

की सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुए भेजे गये थे, ऐसा वह सरकार समझती है। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, इस बात का पहले से सुनिश्चित करना प्रेषक का उत्तर-दायित्व है कि प्रकाशकों की अमेरिका में मंगाने की अनुमति है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं समझूं कि यदि साहित्य की कुछ पुस्तकों को डाक द्वारा भेजा जाय तथा डाक अधिकारी उसे स्वीकार कर लें तथा अमरीकी सरकार के कुछ विनियमों के अनुसार उन्हें उस देश में न आने दिया जाय तो उस साहित्य को वापस नहीं किया जाता तथा व्यापारी लोगों को काफ़ी असुविधा तथा कष्ट का सामना करना होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही तो कहा है। कोई भी सरकार किसी ऐसे साहित्य को ज़ब्त कर सकती है तथा अपने क्षेत्राधिकार में आने से रोक सकती है, जिस पर प्रतिबन्ध लगा हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस मामले में जब्ती का सवाल नहीं है क्योंकि अमेरीकी सरकार ने प्रेषकों को इसके ज़ब्त किये जाने की सूचना नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस अभिप्राय की एक सूची प्रकाशित करेंगे। उसे यहां सभी सदस्यों को कौन भेजेगा ?

श्री राज बहादुर : इस घोषणा का करना दूसरे देश का काम है कि किस प्रकार के साहित्य को प्रतिबन्धित प्रकार का समझा जाता है। इस बारे में फैसले का करना उनका काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात उनके अपने अधिकार की है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इसका मतलब यह है कि डाक सम्बन्ध विश्व प्रथा के अन्तर्गत जब लोग वस्तुओं को इस धारणा से भेजते हैं कि उसमें कुछ आपत्ति की बात नहीं तथा कि ऐसा करना पूर्णतः विधिवत है, परन्तु वे ज़ब्त हो जाती हैं तो क्या इसमें प्रतिकर का कोई प्रश्न नहीं है ?

संचरण मंत्री श्री (जगजीवन राम) : क़ानून से अज्ञानता रक्षा नहीं कर सकती।

चावल तथा गेहूं खाने वाले लोग

*१३०५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चावल तथा गेहूं खाने वाले लोगों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या चावल तथा गेहूं की विद्यमान मात्रा उपभोक्ताओं की खाने सम्बन्धी आदतों के अनुसार पर्याप्त है; तथा

(ग) यदि नहीं तो क्या वर्ष १९५३ के आयात के समय सरकार उपभोक्ताओं की मांग को उनकी खाने की आदतों के अनुसार पूरा करने का प्रयत्न करेगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत में उपजाये गये विभिन्न प्रकार के अनाजों की विभिन्न भागों में विभिन्न अनुपात से खपत होती है तथा चावल खाने वालों और गेहूं खाने वालों के ठीक ठीक अनुपात का पता लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) इस देश में जिसकी अधिक जन-संख्या को राशन से अनाज नहीं दिये जाते, यह अनुमान लगाना कठिन है कि क्या प्रत्येक प्रकार के अनाज की उपलब्ध मात्रा लोगों की खाने की आदतों के अनुसार ही है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि चावल की उपलब्ध मात्रा देश की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है।

(ग) जी हां, जहां तक सम्भव हो सके।

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों में चावल की कमी के कारण चावल खाने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता कम हो गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ऐसी आशा करते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह कैसे सम्भव हो गया कि हमने पंच वर्षीय योजना में कुल मात्रा का वर्णन कर रखा है ? इसका अनुमान किस आधार पर किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इसका अनुमान उपलब्धता के आधार पर किया गया है । उन्होंने प्रति व्यक्ति की दर की कल्पना करली है तथा उपलब्धता के आधार पर इसका अनुमान किया है ।

डा० एन० बी० खरे: क्या यह सब फर्ज़ी है ?

बाबू रामनारायण सिंह : हो सकता है।

श्री किदवई : अगर आप की समझ में ऐसी चीजों का कोई एक हिसाब लगाना कि कितना खर्च होता है, फ़र्जी होता है तो यह ज़रूर फर्ज़ी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसका अर्थ यह है कि १३ औंस से कम खाने वालों को नहीं गिना जाता है अथवा क्या यह कल्पना की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति १३ औंस खाता है ?

श्री किदवई : आबादी को आयु-क्रम से विभिन्न गुटों में बांटा गया है । कुछ बच्चे हैं । वह मात्रा का १।४ या १।२ या ३।४ खाते हैं । इस अनुगणना को वयस्क जनसंख्या के ८६ प्रतिशत भाग के आधार पर किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि देश में चावल की कमी है ?

श्री किदवई : हमारे पास जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े तो हैं । अतः हम जान सकते हैं कि कितनी आवश्यकता होगी ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या जो अनाज त्रुटिपूर्ण ढंग से गोदामों में रखने के कारण नष्ट हो चुका था, उसे उपलब्ध माल में गिना गया है ?

श्री किदवई : नष्ट हो गया सो नष्ट हो गया उसे गिनती से बाहर रखा जाता है ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या खाद्य मंत्री ने हमारे त्रावनकोर–कोचीन राज्य की यात्रा करते समय, लोगों को गेहूं खाने का परामर्श दिया था तथा लोगों से चावल खाने की आदत छोड़ने के लिए कहा था ?

श्री किदवई : जब मैं ने त्रावनकोर–कोचीन की यात्रा की थी, तो मुझे बताया गया था कि प्रत्यक उस व्यक्ति को, जो चावल का राशन चाहता है, गेहूं के राशन के लेने के लिये भी विवश किया जाता है, चाहे वह उसे न ही खाए। इस कारण मैं ने उस राज्य को गेहूं के राशन के स्वेच्छा से देने का परामर्श दिया था । कोई व्यक्ति चाहे तो उसे ले, चाहे तो न ले । तब से गेहूं को खपत बहुत कम हो गई है तथा क्रियात्मक रुप से है ही नहीं ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या खुराक में परिवर्तन का करना पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार के पास १९३८–३९ में चावल तथा गेहूं की खपत की दर सम्बन्धी कोई आंकड़े हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा । भारत की कुल जन-संख्या को (१) चावल और (२) गेहूं की कुल उपलब्ध मात्रा के समस्त प्रकार

के उपलब्ध अनाजों से अनपात के साथ गुणा करने से हमें भारत के पूर्णतः चावल खाने वाले तथा गेहूं खाने वाले व्यक्तियों की कुल क्रमशः संख्या का पता चल जाता है।

विस्तार सेवा योजना

*१३०६. **श्री भटकर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तार–सेवा योजना के सम्बन्ध में कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

(ख) अभी तक जितना व्यय किया गया है ?

(ग) जहां तक विस्तार सेवाओं का सम्बन्ध है, कार्यवाही करने के लिए क्या योजना तथा कार्यक्रम बनाया गया है ?

(घ) सामूदायिक परियोजना प्रशासन तथा विस्तार–सेवा योजना में परस्पर सर्म्पक की क्या व्यवस्था की गई है ?

(ङ) ये कर्मचारी अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति द्वारा बतलाए गए कर्त्तव्यों का किस सीमा तक पालन करेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) विस्तार–सेवा कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने के लिये केन्द्र मे कुछ कर्मचारियों को भर्ती किया गया है।

(ख) केन्द्रीय कर्मचारीवर्ग पर नवम्बर, १९५२ तक ५६,००० रु० व्यय किया गया है।

(ग) तथा (ङ) 'अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की सिपारिश के अनुसार विस्तार सेवाओं को अधिक बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। विस्तार–कार्य को पहले से सामुदायिक योजनाओं तथा विभिन्न अन्य योजनाओं में लिया जा रहा है तथा पूरा किया जा रहा है मूल पद्धति यह है कि ग्राम स्तर पर एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है जिसे ग्रामों के एक छोटे से गुट में इस प्रकार से कार्य करना होता है जिससे वह किसानों को व्यक्तिगत रुप से कृषि के बढ़िया तरीकों के प्रयोग में लाने के लिए सहायता दे सके विस्तार सेवा कार्यकर्ताओं के कर्त्तव्य वही जनकी अधिक अन्न उपजाओ समिति ने सिपारिश की थी।

(घ) सामुदायिक परियोजनाओं के केन्द्रीय प्रशासन तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय में कृषि–विस्तार –आयुक्तनाम के आधिकारी द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया है। अधिकारी महोदय को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ लगाया गया है तथा वह सामुदायिक परियोजना प्रशासन के परामर्षदाता के रुप में भी काम करते हैं।

श्री भटकर : ऐक्सटेंशन सर्विस के लिये क्या सेंट्रल गवर्नमेन्ट स्टेट गवर्नमेन्टस् को मदद करने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : जी हां, फिलहाल ५० लाख रुपया इस के लिये मांगा गया है।

श्री भटकर : क्या एकसटेंशन सर्विस में कोई अच्छे सच्चे काश्तकार भी हिस्सा ले सकेंगे या सरकारी अफ़सरों के ऊपर ही पैसों की खैरात होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय तो इस काम को विस्तर कार्यकर्त्ताओं तक सीमित रखा जायगा जिन्हें वेतन दिया जायगा, परन्तु इस विस्तार योजना में किसानों के सहयोग को प्राप्त करने के सुझाव पर विचार किया जायगा,

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंग कि इस से ग्रेन प्रोक्योरमेंट स्कीम किस हद तक सफल हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस से इस का कोई ताल्लुक नहीं फ़िलहाल यह काम शुरू होने वाला है ।

श्री के० जी० देशमुख : माननीय मंत्री के इस उत्तर के विचार से कि ५० लाख रु० मंजूरी दी गई है, श्रीमान्, क्या में जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को इस में से कितनी राशि मिली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने वित्त मंत्रालय से केवल ५० लाख की सिपारिश की है । प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में बांट का अभी फैसला नहीं किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : ऐक्सटेंशन सर्विस हर एक प्रान्त में जारी करने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री किदवई : कम्युनिटी प्राजैक्टस स्कीम शुरू हो गई है, वहीं ऐक्सटेंशन सर्विस करेंगी :

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि सरकार को अधिक अन्न उपजाओ समिति की रिपोर्ट कब मिली थी तथा क्या सदन-सदस्यों को यह रिपोर्ट उपलब्ध की जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रतियां सदन पटल पर रखी गई हैं । उन सिफ़ारिशों पर कई प्रश्न भी हो चुके हैं ।

श्री बंसल : क्या आनरेबुल मिनिस्टर को मालूम है कि अभी कई जगहों पर कम्यनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एडवाइज़री कमेटियां भी नहीं बनी हैं ?

श्री किदवई : मुमकिन है, ऐसा हो ।

श्री बंसल : तो फिर काम कब शुरू होगा ?

श्री किदवई : जहां जहां शुरू हो गई है वहां वहां बनेगी ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : माननीय मंत्री श्री किदवई ने अभी बतालया है कि इन विस्तार सेवाओं को सामुदायिक परियोजनाओं के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जायगा । उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है जहां सामुदायिक परियोजनाओं को नहीं चलाया जायगा ?

श्री किदवई : सारे देश में एक ही समय काम का करना सम्भव नहीं है । इस कारण इस विस्तार सेवाओं को उस के बाद दूसरे के क्रम से लिया जायगा । जहां कहीं सरकारी फार्म है या अन्य कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, हम किसानों से प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् क्या मैं बात को स्पष्ट कर सकता हूं ?

यह प्रश्न एक गलत धारणा से उत्पन्न होता है जिसका आम तौर पर न जानते बूझते हुए प्रचार किया गया है अर्थात कि विस्तार-सेवा की व्यवस्था एक अनोखी सी बात है – जैसा कि एक बिल्कुल नया काम राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया हो । वास्तिविक स्थिति यह नहीं है । हमारे कृषि-विभाग के क्षत्र कर्मचारी पिछले कई वर्षों से विस्तार कार्य में लगे हुए हैं । अब इस बात के करने की चेष्टा की गई है कि प्रयत्नों को सुदृढ़ करके तथा विभिन्न एजेन्सियों के एकीकरण से, जो कि किसानों में कृषि के बढ़िया तरीकों के प्रचार का काम करेंगी, इस काम के करने के ढंग को बढ़िया बनाने के तरीके का विकास किया जाय । यद्यपि सामुदायिक परियोना वाले क्षेत्रों में यह काम और भी तेज़ हो जायगा, दूसरे क्षेत्रों में यह पूर्णतः लुप्त नहीं हो जायगा । वास्तव में उन क्षेत्रों में भी इसे तेज़ करने के लिये राज्य के प्रयत्नों में कुछ सहायता दी जायगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

जगदीश शूगर मिल्स, कथकूयां (उत्तर प्रदेश)

श्री रामजी वर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जगदीश शूगर मिल्स, कथकूयां, डयोरिया ज़िला, उत्तर प्रदेश का प्रशासन भार हाल ही में सम्हाल लिया है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में हो तो क्या उन्होंने पहले के अधिकृत नियन्त्रक महोदय की सेवाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि नियन्त्रक महोदय द्वारा इस मिल के कुप्रबन्ध के कारण इस मिल के बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है तथा अत्यन्त ऋणग्रस्त होना पड़ा है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि उस इलाके के तथा आस पास की जनता उसी नियन्त्रक महोदय के पुन: नियुक्त किए जाने पर बहुत क्षुब्ध है ;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि नियन्त्रक महोदय की पुन: नियक्ति होने से मिल मज़दूरों में बहुत रोष फैल चुका है ;

(च) क्या सरकार को पता है कि उस मिल के मज़दूरों को अब कई महीनों से वेतन नहीं मिला है ;

(छ) क्या सरकार को स्थानीय सहकारी संथा, गन्ना विकास बोर्ड तथा मज़दूर संघ से इस अभिप्राय की कोई प्रार्थना मिली है कि मिल को स्थानीय सहकारी संथा के नियन्त्रण-आधीन चलने दिया जाय ;

(ज) यदि भाग (छ) का उत्तर हां में हो, तो उस प्रार्थना के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(झ) क्या सरकार को पता है कि स्थानीय मज़दूर संघ के मंत्री नें २२ नवम्बर, १९५२ से इस मांग के लिए भूख हड़ताल कर रखी है कि वेतनों के बक़ाये तुरन्त दिए जायें ; तथा

(ण) सरकार इस मांग के बारे में तथा मिल के काम धंधे को सामान्य रूप से चलाने के लिए किस कार्यवाही के करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मिल के चलाने के लिए एक अधिकृत नियन्त्रण की नियुक्ति की गई है ।

(ख) जी हां, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियूक्त किए गए नियन्त्रक महोदय वही व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार कार्यवाही नियन्त्रक के रूप में काम कर रहे थे ।

(ग) तथा (घ) । सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है, परन्तु वह इस इस प्रश्न का इन दो बातों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को भेज रही है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) जी हां ।

(छ) तथा (ज) . दिसम्बर, १९५२ की केवल छ तिथि को यू० पी० को-आपरेटिव केन यूनियनस फेडरेशन, लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार से फेड्रेशन को अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने की सम्भावना पर विचार करने के लिए कहा था । इस मामले की राज्य सरकार छान बीन कर रही है ।

(झ) जी हां । श्री गुणेश्वर सिंह थे जिन्होंने २२ नवम्बर, १९५२ को भूख हड़ताल आरम्भ की थी, ५ दिसम्बर, १९५२ को इसे तोड़ दिया था ।

(ण) राज्य सरकार इस व्यवसाय को सुविधायुक्त ढंग से चलाने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है ।

श्री रामजी वर्मा : गवर्नमेंट इस साल कोआपरेटिव फेडरेशन को दे दे तो उस क्या आपत्ति है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई) : स्टेट गवर्नमेन्ट इस पर गौर कर रही है और उस की रिपोर्ट आने पर जरूरी कार्यवाही की जाय जायगी ।

श्री रामजी वर्मा : लेकिन अगर इस सीजन में मिल नहीं दी जा सकेगी तो मैं समझता हूं कि केन ग्रोअर्स वहां केन नहीं गिरायेंगे, और लेबरर्स काम नहीं करेंगे जिस से बड़ा नेशनल लास होगा , इसलिये अगर इस सीजन के पहले गवर्नमेंट कोई निर्णय कर ले और आथराइज्ड कंट्रोलर को बदल दे तो अच्छा होगा ।

श्री किदवई : अगर कोई ऐसी बात पैदा होगी तो गवर्नमेंट फौरन उस का इन्तजाम करेगी ।

श्री आर० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैक्टरी के नियन्त्रण को कब और किस कारण अपने हाथ में लिया था ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस तिथि की सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री को मजदूरों के आज तक के वेतन के बकाये का कुछ अन्दाजा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि यह सूचना नहीं मांगी गई है ।

श्री झुनझुनवाला : मैं जान सकता हूं कि प्रबन्ध में किस प्रकार की खराबी थी ?

श्री किदवई : इस फैक्टरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले या पारसाल सम्हाला था —मुझे ठीक ठीक तिथि का पता नहीं है । अब हमारे द्वारा यहां पारित किये गये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं था । अतएव हमने केवल उनकी कार्यवाही की पुष्टि ही की है । इस प्रश्न में स्पष्टतः कुछ शिकायतें दिखाई दी थीं, तथा इस कारण हम ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट किया था तथा उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जो कुछ भी सम्भव होगा, किया जायगा ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि प्रथम अधिकृत नियन्त्रक ने लगभग ४ लाख रुपया लगाया था । वह रकम अभी तक नहीं दी गई तथा इसके वसूल करने के लिये एक दीवानी मुकदमा चल रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य जुलाई १९५२ तक की सूचना चाहते हैं, तो इस मिल द्वारा देय राशियां इस प्रकार से थी

सोसाइटी को देय राशि ४,१७,०३२-१५-५ रु०

१९५१-५२ के लिए गन्ना शुल्क ११४, ४७८-१४-० रु०

मज़दूरों के वेतन तथा मजूरी १,२८, ००० रु०

श्री आर० एन० सिंह : उसी अधिकृत नियन्त्रक को पुनः नियुक्त करने के कारण क्या थे ?

श्री किदवई : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, इन महोदय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था । अब हम ने इस मिल को कार्य भार नियमित ढंग से अपने हाथ में ले लिया है अब जब हमें नियन्त्रक

के नियुक्त करने की आवश्यकता हुई, तो हमने इस नियुक्ति की पुष्टि कर दी। परन्तु उनके विरुद्ध शिकायतों के मिलने पर उनकी छानबीन की जायगी।

श्री सारंगधर दास: मैं जान सकता हूं कि क्या कम्पनी ने पिछले मौसम में गल्ले के देने वाले किसानों का कुछ रुपया देना है?

श्री किदवई: उत्तर प्रदेश की प्रत्येक फैक्टरी को किसानों का कुछ रुपया देना है। अब चूंकि उस चीनी को बेचा जा रहा है, तो देय राशि का भुगतान किया जा रहा है।

श्री आर० एन० सिंह: क्या यह सत्य है कि यह नियन्त्रक महोदय लगभग स्थायी रूप से लखनऊ में रहते हैं।

श्री किदवई: मैं माननीय सदस्य क इस सूचना के देने के लिये कृतज्ञ हूं।

श्री बी० एस० मूर्ति: मज़दूरों की मज़दूरी का बकाया देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात तो प्रबन्ध के ब्यौरे से सम्बन्ध रखती है। प्रत्येक उपाय किया जायगा।

मैसूर के विश्वेश्वर्या नहर क्षेत्र के गन्ना-उत्पादकों का प्रतिनिधान

श्री शिवननजप्पा: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मैसूर के विश्वेश्वर्या नहर क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों से ऐसा कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने सरकार से यह प्रार्थना की है कि मैसूर शुगर कम्पनी को मार्च, १९५३ के अंत तक दिये गये गन्ने के सम्बन्ध में १९५१–५२ के मूल्यों को ही चालू रखा जाये, क्योंकि शेष भारत से इस इलाके में गन्ना बोने तथा पेरने का मौसम भिन्न है?

(ख) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि मैसूर शूगर कम्पनी को दिया गया गन्ना १९५१ में बोया गया था जब कि गन्ना बोने तथा ले जाने की लागत बहुत अधिक थी तथा इस विचार से कि गन्ना उत्पादकों को एक ही वर्ष में दो मूल्य दिये गये हैं; क्या सरकार मैसूर शूगर कम्पनी को अपने लाभ में से आगामी मार्च के अन्त तक १९५१–५२ की दरों के अनुसार मूल्य देने की हिदायत करने का विचार रखती है?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है।

श्री शिवननजप्पा: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि क्या मैसूर शूगर कम्पनी को दिया गया गन्ना जुलाई–अगस्त–सितम्बर १९५१ में बोया गया था?

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात प्रश्न के भाग (ख) में पहले से मौजूद है कि "इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह गन्ना १९४१ में बोया गया था"। फिर और प्रश्न पूछने का कारण?

श्री शिवननजप्पा: क्या कम से कम आगामी वर्ष के लिये गन्ने की दरों को निश्चित करते समय सरकार गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने का विचार रखती है?

डा० पी० एस० देशमुख: हमें उनकी मांग तथा प्रार्थना का पता है तथा मामलों पर विचार हो रहा है।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को केवल इसी इलाके से गन्ने के मूल्यों की शिकायत मिली है। अथवा कि भारत के अन्य भागों के गन्ना-उत्पादकों से भी?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सरकार को अन्य क्षेत्रों से भी शिकायतें मिली हैं, परन्तु सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों में विशेषत। से इस क्षेत्र से शिकायतें आई हैं। सदैव व्यवहार यह रहा है कि गन्ने के मूल्य अक्तूबर या नवम्बर में निश्चित कर दिये जाते हैं तथा ये मूल्य प्रथम नवम्बर के हैं क्यों कि नियन्त्रण अधिकतर उत्तरी भारत में-ही लागू था। यह व्यवहार दक्षिण भारत के सम्बन्ध में भी उन मूल्यों के निश्चित कर देने से और दृढ़ हो गया है। तब वह इसे भूतदर्शी प्रभाव से लागू करते थे। तीन चार वर्ष हुए, मूल्य १-४-० रु. से २-०-० रु. तक थे। तब लोगों ने यह शिकायत नहीं की थी क्योंकि उन्होंने गला एक वर्ष पहले बोया था, अत: उन्हे १-४-० रु. ही दिए जाने चाहिये थे, परन्तु २-०-० रु. नहीं। यदि उन्होंने लाभ प्राप्त करना हो तो हानि भी उठाने के लिये तैयार होना चाहिये। परन्तु जैसा कि मैं ने बतलाया, हम प्रश्न की जांच कर रहे हैं। हम मैसूर सरकार से इस बारे में चर्चा करेंगे तथा जो सहायता भी सम्भव हुई देंगे।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या उस इलाके में गन्ने के उत्पादन की लागत की ओर कोई ध्यान दिया गया था तथा कि गन्ने के मूल्य को निश्चित करने में कोई लाभ प्रतिशतता रखी गई थी ?

श्री किदवई : तटकर बोर्ड ने इस मामले की जांच की थी तथा उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष की लागत १-३-० या १-४-० रु. होनी चाहिये थी तथा तथा १-५-० रु. नहीं जो कि हम ने निश्चित की थी।

सरदार लाल सिंह : क्या सरकार ने गन्ने की कीमत को एक वर्ष पहले से निश्चित करने की वाछनीयता पर विचार किया है। जिससे कि किसान यह फैसला कर सकें कि क्या वह गन्ना बोएं या कोई और फसल ?

श्री किदवई : गन्ने की कीमत को बाजार के भावों से अर्थात् 'गुड़ तथा शक्कर' के भावों के अनुसार निश्चित करना पड़ता है। आप गन्ने की कीमत को एक वर्ष पहले से निश्चित नहीं कर सकते तथा तब हम चीनी मिलों को गन्ने के न पेरने के लिये विवश नहीं कर सकते क्यों कि गन्ने की कीमत अधिक होती है तथा चीनी की कम।

श्री गोपाल राव : माननीय मंत्री द्वारा अगले दिन राज्य परिषद् में दिये गये वक्तव्य के अनुसार, गन्ना-उत्पादनों को चीनी मिलों द्वारा अर्जित लाभ में से उचित भाग दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही के करने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : मैंने मद्रास सरकार को जतलाया कि दक्षिण भारत की मिलें लाभ में हैं क्यों कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के लिये काफी चीनी का उत्पादन नहीं करती हैं। अतएव उन्हें उत्तर भारतीय चीनी से मुकाबला करना पडता है जिनकी कीमत भाडे आदि के कारण बढ़ जाती हैं। अतएव मैंने मद्रास सरकार को सुझाव दिया है कि वे ऐसे प्रबन्ध करें जिस से नफे का एक भाग गन्ना उत्पादकों को मिल सके। वे मामले की छान बीन कर रहे हैं।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को पता है कि जब गन्ने की कीमत घटा दी जाती है, तो इन मिलों द्वारा दिये गये कृषिसारों तथा ऋणों की कीमत बढ़ जाती हैं ?

श्री किदवई : हमें यह तथ्य ज्ञात है कि कृषिसारों की कीमतें चढ गई हैं तथा बहुत से स्थानों में सिंचाई का व्यय बढ़ चुका है परन्तु गन्ने के उत्पादक को यह निश्चित करना पड़ता है कि यदि गन्ने का उगाना

लाभप्रद नहीं है तो वह इसके स्थान पर अनाज पैदा करने को पसंद करेगा।

कच्छ पर धावे

श्री भवनजी : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी पाकिस्तान (सिंध) से कुछ सशस्त्र डाकू समय समय पर कच्छ के ग्रामों पर धावे बोलते हैं तथा लूट का माल लेकर चम्पत हो जाते हैं।

(ख) क्या यह सत्य है कि १७ नवम्बर, १९५२ को या इसके लगभग मदुरा तालुक के नेनी तुम्बदी ग्राम पर पश्चिमी पाकिस्तान (सिंध) के सशस्त्र डाकुओं ने धावा किया था तथा एक जैन मन्दिर की मूर्ति को अपवित्र करने के बाद तथा ग्राम निवासियों को फिर लूट कर भाग निकले थे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि समय समय पर होने वाले इन धावों तथा कच्छ सरकार की जीवन सम्पति तथा धार्मिक स्थानों की रक्षा करने में असमर्थता के कारण, कच्छ में बहुत घबराहट पाई जाती है ?

(घ) यदि प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का विचार रखती है।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (घ) तक। नवम्बर, १९५२ में कच्छ में सिंध के दक्षिण भाग से आने वाले लोगों ने दो डाके डाले थे। पहला डाका रतेदिया नाम के गांव में, जो लखपत तालुक में है, पड़ा था चार डाकू आये थे तथा उन्होंने वहां के निवासियों से मार पीट कर तथा हवा में फायर करने से डरा कर, ३,७८० रु० की सम्पत्ति को और एक ऊंट को लेकर चलते बने। दूसरी घटना १७ नवम्बर, को मदुरा तालुक में तुम्बदी ग्राम में हुई। यहां ७ डाकू आये जिन में पांच पाकिस्तानी थे तथा दो स्थानीय व्यक्ति। वे गांव में दाखिल हुए तथा बन्दूक से फायर करने लगे तथा लगभग २५,००० रु० की सम्पत्ति लेकर चम्पत हो गये। डाकू अपने साथ एक जैन मन्दिर के भूषण भी लेते गये। मुख्य आयुक्त कच्छ में पुलिस के पक्के प्रबन्ध करने के उपाय कर रहे हैं।

श्री भवनजी : मैं जान सकता हूं कि इस २०० मील लम्बे सीमान्त पर कितने थाने हैं तथा प्रत्येक स्टेशन पर कितने सिपाही आदि हैं।

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री भवनजी : क्या यह सत्य है कि सीमान्त पुलिस को इन डाकुओं के दाखिल होने के बारे में १४ नवम्बर को पता चल गया था, परन्तु यह सूचना पुलिस प्रधान कार्यालय को १६ तारीख तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि सीमान्त का वायरलेस सेट खराब था तथा सीमान्त से निकटतम तारघर कोई ८० मील परे है

डा० काटजू : ये तथ्य ठीक है तथा इसी कारण मुख्य आयुक्त इन सब त्रुटियों को दूर करने के उपाय कर रहे हैं।

श्री भवनजी : क्या यह सत्य है कि तुम्बदी ग्राम पश्चिमी पाकिस्तान सीमा से १२० मील परे है ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि भूगोल की दृष्टि से यह बात सत्य है।

श्री भवनजी : क्या यह सत्य है कि डाकू तुम्बदी ग्राम में ७ दिन तक रहे थे ?

डा० काटजू : मैं आपको यह नहीं बतला सकता हूं। माननीय सदस्य को मुझसे कहीं अधिक पता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले से सूचना प्राप्त है।

श्री भवनजी : क्या यह सत्य है कि डाकू तुम्बदी में १७ तारीख की शाम के ५ बजे के क़रीब दाख़िल हुए थे तथा उस ग्राम में आधी रात तक रहे ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब ब्यौरों सम्बन्धी बातें हैं ।

श्री भवनजी : मैं यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूं कि पुलिस वहां अगले दिन प्रात:काल तक नहीं पहुंची थी।

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना मंत्री महोदय को भेजी जा सकती है ।

श्री गाडगिल : जो कुछ हुआ है, उसे दृष्टि में रखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ग्रामीणों को काफी हथियारों के देने तथा पुलिस के एक चलन्तू दस्ते के बनाने की वाच्छनीयता पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस विचार से कि अब डाके नित ही पड़ने लगे हैं, स्थानीय सीमान्त के लोगों को सशस्त्र करने की कोई योजना विद्यामान है ?

डा० काटजु : जहां तक मुझे पता है, नहीं । परन्तु इस सुझाव पर विचार किया जायेगा । वहां पर स्थानीय पुलिस तथा केन्द्रीय पुलिस रक्षित बल मौजूद है । आवश्यकता पड़ने पर उन्हें और मज़बूत किया जा सकता है तथा स्थानीय लोगों को स्वरक्षा के समर्थ बनाने तथा इन डाकों को रोकने के सभी उपाय किये जा सकते हैं । जब सीमान्त पर ऐसी घटनायें होती हैं तो प्राय: ऐसा होता है ।

श्री जसानी : मैं जान सकता हूं कि तुम्बदी में घटना के बाद पुलिस कब पहुंची थी ?

डा० काटजू : मेरे पास ठीक ठीक जानकारी तो नहीं है । हो सकता है कि वे वहां अगले दिन पहुंचे हों ।

श्री जसानी : पहले डाके के विषय में मैं जो रतेदिया में पड़ा था, पुलिस इस घटनाके बाद घटना स्थान पर कब पहुंची थी ?

डा० काटजु : अगले दिन ।

श्री भवनजी : क्या यह सत्य है कि एक पुलिस सब इन्सपेक्टर, जिस ने सिन्ध से डाकुओं के पकड़ने का प्रयत्न किया था लगभग आठ महीने पहले मारा गया था, परन्तु सेवा नियमों के अन्तर्गत दिये जा सकने वाले किसी इनाम की मंजूरी नहीं दी गई है तथा क्या यह सत्य है कि स्थानीय लोगों तथा कच्छ के पुलिस बल ने मिल कर लगभग ५,००० रुपये एकत्र किये थे तथा स्वर्गीय सब-इन्सपेक्टर के परिवार को दिये थे ?

डा० काटजु : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री सीमान्त के पुलिस-बल की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

डा० काटजु : मैं यह संख्या नहीं बतला सकता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उस क्षेत्र तथा थाने के बीच के इलाके की आबादी कितनी है ?

डा० काटजु : पुर्वसूचना चाहिये ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या वहां पर शस्त्र अधिनियम को तुलनात्मक कुछ ढील दी गई है . .. .

उपाध्यक्ष महोदय मैं अब अगले प्रश्न को लेता हूं ।

दिल्ली की राशन की दुकानों पर खराब अनाज का दिया जाना

श्री ए० एन० विद्यालंकार : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की राशन की दूकानों से जिस गेहूं को कुछ समय पहले उठा लिया गया था उसे फिर राशन की दुकानों पर ठोंस दिया गया है तथा नगर के कुछ भागों को खराब अनाज मिल रहा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार बाहर से आयात की गई ४०,००० खराब गेहूं में से ३०,००० टन गेहूं पहले ही दिल्ली की जनता द्वारा खाई जा चुकी है तथा केवल १०,००० टन अभी तक बाकी बची है तथा उसे जनता को दिया जा रहा है ?

(ग) क्या सरकार को जनता से कुछ विरोध-पत्र आये हैं ?

(घ) सरकार इस मामले में कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) तक। आयात किये गये, गेहूं को राशन में दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है तथा इस बात को सुनिश्चित करने के समस्त उपाय किये जाते हैं कि यह गेहूं कम से कम औसत प्रकार का तो हो तथा मनुष्य के खाने योग्य हो । गेहूं के गुण प्रकार के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं तथा उनकी ओर तत्काल ध्यान गया तथा शिकायतों के कारणों को दूर करने के सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली को इसकी आबादी तथा क्षेत्र के अनुपात से आयात का अनाज अधिक दिया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं । आयात के अनाज का सब से बड़ा भाग दिल्ली को नहीं दिया जाता है। समस्त अन्य राज्यों को भी यह अनाज दिया जाता है तथा दिल्ली को भी। कुछ भी हो, इस आयात के अनाज को केवल दिल्ली की दुकानों पर ऐसे अनुपात से नहीं ठोंस रहे हैं जो दूसरे राज्यों के अनुपात के अनुसार न हो ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या आयात किए गए लाल गेहूं से पेट में गड़बड़ हो जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : खाद्य मंत्री से डाक्टर होने की आशा नहीं की जा सकती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

'टायर' की टेबलेट मशीन

*१२८४. **श्री यू० एस० त्रिवेदी** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेल के बी० बी० एन्ड सी० आई० रेल-विभाग पर 'टायर' की कितनी टेबल-मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है तथा कितनी देर से;

(ख) क्या कान्डला--डीसा रेल-विभाग के लिये एक नई प्रकार की टेबलेट-मशीन का आदेश दिया गया है तथा यदि ऐसा है तो क्यों ;

(ग) क्या कान्डला--डीसा रेलवे के लिये इस प्रकार की मशीनों के इतनी अधिक संख्या में क्रय आदेश के दिये जाने की जरूरत थी तथा यदि ऐसा है तो इस का कारण; तथा

(घ) क्या सारे क्रय-आदेश को पूरा कर दिया गया है तथा यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात उपमत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी रेलवे के बी० बी० एन्ड सी० आई० विभाग पर टाइप

नं० ७ की ७३० टायर की टेबलेट मशीन पिछले ४५ वर्ष से काम में लाई जा रही हैं।

(ख) जी नहीं। परन्तु पश्चिम रेलवे ने नं० ७ के स्थान पर एक नये नमूने की नं० ११ टायर्स टेबलेट ब्लाक इन्स्ट्रमेंट मशीन का लेना स्वीकार किया था क्योंकि नं० ७ नहीं बनाई जा रही थी तथा विशषत: बनाये जाने से उसकी लागत बहुत आती।

(ग) जी नहीं, फिर भी आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित संख्या में फ़ालतू पुर्जों की व्यवस्था करने की ज़रूरत थी।

(घ) हाल में चालू की गई काण्डला-डीसा रेलवे के सम्बन्ध में सारा क्रय-आदेश (आर्डर) पूरा कर दिया गया है।

क्षय रोग

*१२८६. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश से क्षय रोग को समाप्त करने के लिये सरकार के सामने कोई विशेष कार्यक्रम है ?

(ख) मध्य प्रदेश से क्षय रोग को पूर्णत: समाप्त करने के लिये सरकार उक्त राज्य की सरकार को कितनी राशि अनुदान रूप से देती है ?

(ग) अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है।

(घ) क्या प्रत्येक राज्य सरकार के सामने क्षय-रोग को पूर्णत: समाप्त करने का कोई कार्यक्रम है ?

(ङ) क्या सरकार क्षय-रोग की चिकित्सा के लिये नये वैज्ञानिक तरीकों के अध्ययन के प्रयोजन से अधिक डाक्टरों को विदेशों में भेजने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अंन्तिम रूप से क्षय रोग को नियन्त्रित तथा पूर्णत: समाप्त करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। मध्य प्रदेश सरकार को क्षय-रोग सम्बन्धी योजनाओं के बारे में एक विवरण सदन टटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १]**।

(ख) से (घ) तक। क्षय-रोग का समाप्त करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। बहुत उन्नत देशों में इस रोग के समाप्त करने सम्बन्धी अत्यन्त वाच्छनीय परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। जिनके धन तथा प्रशिक्षत कर्मचारियों के साधन कहीं अधिक हैं। जिस बात का यत्न किया जा सकता है तथा किया जा रहा है, वह यह है कि इस रोग को न्यूनतम सम्भव सीमा तक सीमित रखा जाय। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत यथासम्भव प्रयत्न कर रही हैं।

(ङ) जहां तक सम्भव है, क्षय रोग की चकित्सा के वैज्ञानिक तरीकों में डाक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिये भारत में उपलब्ध सुविधाओं का यथा सम्भव प्रयोग किया जा रहा है। और बातों के अलावा, नई दिल्ली पटना तथा त्रिवेन्द्रम में स्थित तीन क्षय-विरोधी केन्द्र जिनकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा संयुक्त राष्ट्र बालक आपात निधि की सहायता से की गई है, क्षय-नियन्त्रण के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। कलकत्ता तथा मद्रास में ऐसे दो और केन्द्रों की स्थापना का विचार किया गया है। कुछ विशेषज्ञों को उन्नत देशों में भी भेजा गया है ताकि जब विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा द्विपक्षीय सहयोग प्रशासन और कोलम्बो योजना जैसी संस्था में छात्र-वृत्तियां दें तो उन देशों में अपनाये जा रहे तरीकों का अध्ययन कर सकें।

बम्बई टीम नेवीगेशन कं० लिमिटेड

*१२८७. **श्री नेसवी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्टीम नेवीगेशन कं० ने यातायात को हुगली ज़िले से हटा कर बम्बई को मर्मगवा पत्तन से करने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या रेलवे ने सहयोग दिया था तथा समय बद्ध रूप से दिया था तथा समय बद्ध रूप से रेल के डिब्बे दिये थे ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण थे; तथा

(घ) समुद्र-युक्त-रेल मार्ग का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जायगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । दक्षिण भारत रेलवे के बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी से मर्मगवा पत्तन के रास्ते से बम्बई तथा बम्बई राज्य के अन्दर उस रेलवे, के छोटी लाइन के स्टेशनों के बीच के सारे अन्तर पर बिना रुके यात्रा करने के प्रबन्ध हैं ।

(ख) समूची मांग के अनुपात से उपलब्ध माल डब्बों की संख्या के अन्तर्गत दक्षिणी रेलवे मर्मगवा पत्तन के मार्ग से ले जाने के लिये पंजीबद्ध वस्तुओं के बारे में डिब्बों के प्रबन्ध करती है। अक्तूबर, १९५२ के अन्त में कोई मांग शेष नहीं थी।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) समुद्र-युक्त-रेल मार्ग से यातायात का मार्ग वस्तु-प्रेषक की स्वेच्छा से चुना जाता है तथा दक्षिण भारत रेलवे के लिये यातायात के मार्ग को बदलने का सवाल पैदा नहीं होता हैं ।

कलकत्ता के लिए भू-निम्न रेलवे

*१२८८. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एक भू-निम्न रेलवे बनाने के लिये कलकत्ते का कभी परिमाण किया गया था?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार के परिमाप का अन्तिम अवसर कब था ?

(ग) क्या उस परिमाप की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर कोई विचार किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने पर भू-निम्न रेलवे की एक योजना फ्रैन्च मैट्रापालिटेन मिशन द्वारा तैयार की गई थी ।

(ख) फ्रैन्च मैट्रापालिटेन मिशन ने प्रारम्भिक सूचना को फरवरी, १९४९ में पश्चिमी बंगाल सरकार के पास भेज दिया था ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है ।

धान तथा चावल के समाहारमूल्य

*१२८९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष १९५२-५३ के मौसम के दौरान में धान तथा चावल के समाहार मूल्यों को बढ़ाना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : वर्ष १९५२-५३ के दौरान में धान तथा चावल के समाहार मूल्यों को वर्ष १९५१-५२

के स्तर पर ही निश्चित किया गया है। तब से मद्रास तथा मैसूर के लिये कुछ वृद्धि की मंजूरी दी गई है। सभी राज्यों में आम वृद्धि की मंजूरी के देने का विचार नहीं किया गया है।

किलोन-अर्नाकुलम रेलवे लाइन

*१२६८. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किलोन-अर्नाकुलम रेलवे लाइन बड़ी लाइन होगी या छोटी ;

(ख) क्या सरकार को हाल में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मंत्रियों से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) क्या इस लाइन को बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता के बारे में व्यक्तियों तथा संस्थाओं से प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) किलोन-अर्नाकुलम लाइन को छोटी लाईन बनाने का विचार किया गया है।

(ख) तथा (ग) । जी हां।

आसंसोल के निकट भूमि का अर्जन

*१३०८. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आसंसोल (बंगाल) के निकट कुछ वर्ष कुछ पहले नागरिक विमान-चालन के अभिप्राय से लगभग १८०० बीघे भूमि अर्जित की गई थी ;

(ख) क्या यह सत्य है कि अर्जित की गई भूमि में से बहुत भाग की उपरोक्त प्रयोजन से आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उस क्षेत्र प्लाटों के मालिकों द्वारा उठाए जा रहे कष्ट की ओर दिलाया गया है; तथा

(घ) क्या हवाई अड्डे की आवश्यकता से अधिक भूमि को लौटा दिया जायगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) बहुत समय पहले आसंसोल में एक असैनिक अड्डा १०४ बीघे के क्षेत्र पर बनाया गया था। युद्धकाल में मित्र-राष्ट्रों की आवश्यकता के लिये लगभग १५६८ बीघे भूमि को अर्जित किया गया था। यह कार्यवाही भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई थी। युद्ध के बाद इस क्षेत्र के स्वामित्व को प्राप्त करने का विचार किया गया था, परन्तु भारत सरकार को परामर्श दिया गया कि इस क्षेत्र में कोयले के जखीरे हैं तथा केवल धावन-पथ की मजबूती के लिये स्तम्भ खड़े करने के कोयले पर लगभग ५० लाख रुपये का खर्च आयेगा। साथ ही भूमि निम्न कोयला व्यर्थ में नष्ट होगा। अतः इस क्षेत्र के विकास के विचार को छोड़ दिया गया है तथा १०४ बीघे पर बने पुराने असैनिक हवाई अड्डे को बनाये रखने का ही विचार किया गया है जैसा कि यह शुरू में विद्यमान था।

(ग) तथा (घ). पश्चिमी बंगाल सरकार ने, जिससे पिछले जनवरी मास में फालतू जमीन को मालिकों को लौटा दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, अब सूचित किया है कि वहां का शरणार्थी, सहायता तथा पुनर्वास विभाग उस सारे इलाके को शरणार्थियों के पुनः बसाने के लिये ले लेने के प्रश्न पर विचार कर रहा है तथा उन्होंने यह मामला भारत सरकार के पुनर्वास विभाग को निर्दिष्ट कर रखा है। मामले का कोई फैसला होने तक पश्चिमी सरकार ने इस क्षेत्र के बारे में अग्रेतर कार्यवाही को उठा रखा है।

इलायची, काली मिर्च तथा अदरक (मूल्य)

*१३०८-ए. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इलायची, काली मिर्च तथा अदरक के मूल्यों में बहुत तीव्रकमी हुई है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो इन वस्तुओं के भावों में गिरावट के तात्कालिक कारण क्या हैं ?

(ग) सरकार ने इन वस्तुओं के भावों को स्थिर करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

(घ) क्या भावों में गिरावट आने के कारण इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, पिछले तीन या चार महीनों से ।

(ख) (१) विदेशों की मांग में कमी

(२) कोरिया युद्ध के भय से जमा किये गये माल का न रहना ।

(ग) इन फसलों के स्थिर करने के लिए कोई तुरन्त साधन विद्यमान नहीं हैं क्योंकि इनके भाव विदेशों की मांग पर निर्भर करते हैं । परन्तु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने एक लाभ के प्रयोजन से बोई फसलों सम्बन्धी जांच समिति बिठाई है जो इन फसलों के उत्पादन तथा बाजार में विक्रय सम्बन्धी प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करेगी तथा यह देखेगी कि क्या इनके उत्पादन तथा बेचने के सम्बन्ध में किन्हीं केन्द्रीय निदेशों का देना व्यावहारिक है

(घ) १९५२-५३ की फसलों पर प्रभावों का अनुमान करना अभी बहुत पहले की बात है ।

रेलवे के कुली

* १३०९. **श्री राम जी वर्मा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि उत्तरी रेलवे के बहुत से स्टेशनों पर कुलियों को ठेकेदार के जरिये काम पर लगाने की प्रथा अभी तक चालू है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस तरीके को कुछ स्टेशनों पर बन्द कर दिया है तथा वे रेलवे कुलियों की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से कर रही है ?

(ग) क्या सरकार को पता है अलीगढ़ के कुली संघ ने ठेकेदारी के रिवाज को बन्द करने की मांग की है ?

(घ) क्या सरकार इस बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खांन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने कुलियों की सेवाओं को समय समय पर प्राप्त करने की नीति का त्याग कर दिया है तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भर्ती करने की नीति को स्वीकार किया है ।

(ग) अलीगढ़ कुली संघ से ठेकेदारी के रिवाज़ को बन्द करने की प्रार्थना हाल में प्राप्त हुई है परन्तु अलीगढ़ के सम्बन्ध में कुलियों को सामायिक न रहने देने के प्रबन्ध पहले से ही किये जा रहे हैं तथा कुछ अन्य स्टेशनों के सम्बन्ध में भी ।

(घ) सरकार की नीति सामान्यत: सभी ऐसे स्टेशनों पर जहां इस समय ठेकेदारी की प्रथा जारी है कुलियों को सामायिक न रहने देने की है ।

सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम (चीनी के कारखाने)

*१३१०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सारभूत प्रदाय (अस्थाई अधिकार) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत चीनी के उत्पादन तथा प्रदाय के निमित्त चीनी के कुछ कारखानों को अपने हाथों में ले लिया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो अभी तक सरकार ने कितने कारखाने अपने हाथों में लिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) एक।

पैतृत्व सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*१३११. **श्री डोरास्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना बद्ध पैतृत्व सम्बन्धी तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने, जो अभी हाल में बम्बई में हुआ था, भारत सरकार से कुछ सिफारिशें की थीं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वे सिपारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

सरकारी डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस

*१३१२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९२ का निदश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां प्राइवेट प्रेक्टिस को पूर्णतः बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या किसी राज्य या राज्यों ने निजी प्रेक्टिस को पूर्णतः बन्द करने से इन्कार कर दिया है; तथा

(ग) क्या सभी राज्यों में सम्बन्धित डाक्टरों को हानिपूर्ति रूप से २५ प्रतिशत वेतन और दिया गया है या क्या कुछ राज्यों में इससे भी कम हानिपूर्ति दी गई है या पूर्णतः दी ही नहीं गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) किसी राज्य में भी नहीं।

(ख) अधिकतर राज्य इस प्रकार की कार्यवाही के पक्ष में हैं, परन्तु इस नीति को कार्यान्वित करने में वे कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रेक्टिस न करने का भत्ता भिन्न भिन्न है।

धान की उगाई

*१३१३. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल के किसान केवल १० एकड़ भूमि की मलकियत वाले किसानों से किदवई योजना के अन्तर्गत धान की उगाई के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार मामले पर पुनः विचार करन को तैयार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). जिन प्रबन्धों को सामान्यतः किदवई योजना कह के पुकारा

जाता है, उनका सम्बन्ध कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र से है तथा बेचने के मूल्य को स्थिर रखने के बारे में है यदि माननीय मंत्री का निर्देश पश्चिमी बंगाल की समाहार पद्धति की ओर है, सरकार को कुछ जिलों में कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित उगाही योजना के विरुद्ध किये जा रहे आन्दोलन का पता है, परन्तु आम उत्पादक इस उगाही के विरुद्ध नहीं हैं। योजना के पीछे की नीति पर पुनः विचार करने की कोई प्रस्थापना सरकार के सामने नहीं है।

कलकत्ता की स्वयंचल टेलीफोन पद्धति

*१३१४. **श्री एन० बी० चौधरी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता की स्वयंचल टेलीफोन पद्धति के कब तक चालू होने की आशा की जाती है ?

(ख) इस योजना के पूरा होने में कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

(ग) क्या स्वयंचल पद्धति के चालू होने पर सरकार के पास फालतू कर्मचारियों को सेवाओं में विलीन करने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस योजना के विभिन्न क्रमों की तिथियां निम्न प्रकार से हैं :

क्रम १	जोरासेंको एविन्यू सेंट्रल	जून/जुलाई, १९५३
क्रम २	बैंक सिटी	जून/जुलाई, १९५५
क्रम ३	सर्कस रस्सा कालीघाट	फर्वरी/मार्च, १९५६
क्रम ४	बाघबाज़ार पूर्वी कोसीपुर	नवम्बर/दिसम्बर १९५६
क्रम ५	अलीपुर सलकिया डम डम शिवपुर	अगस्त/सितम्बर, १९५७

(ख) लगभग १४·५ करोड़ रुपया।

(ग) इस बात का हर सम्भव प्रयत्न किया जायगा कि स्वयंचल टैलीफोन पद्धति को चालू करने में प्रत्येक क्रम पर फ़ालतू कर्मचारियों को, जो इस विभाग में अन्यत्र सेवा करना मंजूर करें, काम पर लगाया जाय। इस प्रयोजन से एक विभागीय समिति की नियुक्ति की जायगी।

चाय-बागान में काम करने वाले मजदूर (छटनी)

*१३१५. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ चाय-बागान के बन्द हो जाने से बहुत से मजदूर बेकार हो गए हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने उन्हें काम पर लगाने के कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). बन्द हो गये बागान तथा फलस्वरूप बेकार मजदूरों की संख्या के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है। पश्चिमी बंगाल सरकार से इस सूचना तथा बेकार मजदूरों को और काम दिलाने के लिये किये गये उपायों के बारे में सूचना भेजने की प्रार्थना की गई है। केन्द्रीय सरकार ने १९ तथा २० दिसम्बर, १९५२ की और बातों के अलावा चाय बागान में फालतू मजदूरों,

छटनी आदि के मामलों पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया है।

दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव

*१३१६. **श्री भीखाभाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दक्षिण राजस्थान में पिछले तीन वर्षों से कोई फसलें नहीं हुई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो खाद्यान्न के अभाव को किस प्रकार से पूरा किया जा रहा है ?

(ग) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र ने क्या अनुदान दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) पिछले दो वर्षों में उदयपुर डिवीजन में खरीफ़ की फसल को रु० में से ८ आने या दस आने की हानि पहुंची थी तथा १९५१ में भी दक्षिणी राजस्थान के अन्य भागों में ऐसा ही हुआ था। इसका कारण वर्षा का कम होना था।

(ख) राज्य सरकार ने सहायता के काम किये थे, उचित दामों की दुकानें खोली थीं तथा तकावी ऋण दिये थे।

(ग) कुछ नहीं।

सविधिक तथा असंविधिक निकाय

७८८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५० के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तिथि से आज तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन बनाये गये स्थायी प्रकार के संविधिक तथा असंविधिक निकायों के नाम क्या हैं; प्रत्येक विषय में यह सूचना भी दी जाय—(१) स्थापना की तिथि; (२) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय; (३) लेखा-परीक्षा के उपबन्ध; (४) कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(ख) उसी काल में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जिन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; रिपोर्टों के प्रस्तुत करने की तिथियां भी बतलाई जायें;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी कार्य कर रही हैं तथा समय जिस के अन्दर उनकी रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने की आशा की जाती है; तथा

(ङ) उसी काल में स्थायी प्रकार की कितनी परामर्शदात्री निकायों को तोड़ दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ). सदन पटल पर चार विवरण रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या २**]

(ङ) कुछ नहीं।

संविधिक तथा असंविधिक सस्थाए

७८९. श्री एस० एन० दास : क्या **संचरण** मंत्री १५ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तिथि से आज तक संचरण मंत्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन बनाये गये स्थायी प्रकार के संविधिक तथा असंविधक निकायों के नाम क्या हैं; प्रत्येक विषय में यह सूचना भी दी जाये—(१) स्थापना की तिथि ; (२) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय; (३) लेखा-परीक्षा के उप-

बन्ध ; (४) कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(ख) उसी काल में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जिन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; रिपोर्टों के प्रस्तुत करने की तिथियां भी बतलाई जायें;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी कार्य कर रही हैं तथा समय जिस के अन्दर उनकी रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने की आशा की जाती है; तथा

(ङ) उसी काल में स्थायी प्रकार की कितनी परामर्शदात्री निकायों को तोड़ दिया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ङ) १५ सितम्बर, १९५१ से आज की तिथि तक संचरण मंत्रालय द्वारा किसी स्थायी प्रकार की या तदर्थ निकाय अर्थात् संस्था की स्थापना नहीं की गई है। शेष की अपेक्षित सूचना के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३]**

संविधिक तथा असंविधिक संस्थाएं

७९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९५१ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तिथि से आज तक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रशासनी नियन्त्रण के अधीन बनाये गये स्थायी प्रकार के संविधिक तथा असंविधिक निकायों के नाम क्या हैं; प्रत्येक विषय में यह सूचना भी दी जाये—(१) स्थापना की तिथि; (२) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय (३) लेखा-परीक्षा के उपबन्ध; (४) कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;

(ख) उसी काल में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जिन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; रिपोर्टों के प्रस्तुत करने की तिथियां भी बतलाई जायें ;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो जो अभी कार्य कर रही हैं तथा समय जिस के अन्दर उनकी रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने की आशा की जाती है; तथा

(ङ) उसी काल में स्थायी प्रकार की कितनी परामर्शदात्री निकायों को तोड़ दिया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर : (क) नाम : स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् :

(१) ९ अगस्त, १९५२।

(२) अनावर्ती व्यय कुछ नहीं होगा। आवर्ती व्यय, जिसके बहुत थोड़ा होने की आशा है, प्रत्येक वर्ष होने वाली बैंकों की संख्या बैंक के स्थान तथा अपेक्षित विशेष कर्मचारी वर्ग पर निर्भर करेगा।

(३) महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा।

(४) परिषद् द्वारा पारित संकल्पों से।

(ख) (१) जन संख्या नीति समिति।

(२) अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में समिति।

(३) स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय सहयोजन समिति।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के सदृश। तीनों समितियां परामर्शदात्री प्रकार की हैं तथा वे सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगी।

(ङ) कुछ नहीं।

संविधिक तथा असंविधिक निकाय

७९१. श्री एस० एन० दास : क्या **श्रम** मंत्री १० सितम्बर, १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर का निदश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तिथि से आज तक श्रम मंत्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन बनाये गये स्थायी प्रकार के संविधिक तथा असंविधिक निकायों के नाम क्या हैं; प्रत्येक विषय में यह सूचना भी दी जाय--(१) स्थापना की तिथि; (२) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय ; (३) लेखा-परीक्षा के बन्ध; (४) कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(ख) उसी काल में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां ;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जिन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; रिपोर्टों के प्रस्तुत करने की तिथियां भी बतलाई जायें ;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी कार्य कर रही हैं तथा समय जिसके अन्दर उनकी रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने की आशा की जाती है ; तथा

(ङ) उसी काल में स्थायी प्रकार की कितनी परामर्शदात्री निकायों को तोड़ दिया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) से (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ? [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४**]

संविधिक तथा असंविधिक निकाय

७९२. श्री एस० एन० दास : क्या **रेल** मंत्री ११ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तिथि से आज तक रेल मंत्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन बनाए गये स्थायी प्रकार के संविधिक तथा असंविधिक निकायों के नाम क्या हैं; प्रत्येक विषय में यह सूचना भी दी जाय--(१) स्थापना की तिथि; (२) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय; (३) लेखा-परीक्षा के उपबन्ध ; (४) कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(ख) उसी काल में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां ;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जिन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; रिपोर्टों के प्रस्तुत करने की तिथियां भी बतलाई जायें ;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी कार्य कर रही हैं तथा समय जिस के अन्दर उनकी रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने की आशा की जाती है ; तथा

(ङ) उसी काल में स्थायी प्रकार की कितनी परामर्शदात्री निकायों को तोड़ दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुछ नहीं ।

(ख),—

समितियों के नाम	नियुक्ति की तिथि
ज्येष्ठता समिति दक्षिणी रेलवे	२८-९-१९५१
ज्येष्ठता समिति पश्चिमी रेलवे	२-१-१९५२
ज्येष्ठता समिति केन्द्रीय रेलवे	१७-३-१९५२
ज्येष्ठता समिति पूर्वी रेलवे	२-५-१९५२
ज्येष्ठता समिति उत्तर पूर्वी रेलवे	१८-६-१९५२
ज्येष्ठता समिति उत्तरी रेलवे	१५-७-१९५२
ईंधन मितव्ययता समिति	२४-१०-१९५१
गंगा नदी पर पुल-निर्माण	२८-३-१९५२
परिमाप मंत्रणा समिति	१-४-१९५२
यांत्रिक तथा विद्युत कर्मगारों का टेक्नीकल परीक्षण	१५-११-१९५२

(ग),—

समितिं का नाम	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
गंग नदी पर पुल-निर्माण	४-६-१९५२

(घ),—

समितियों के नाम	तिथि जिस तक उन से रिपोर्ट के प्रस्तुत कर देने की आशा की जाती है
ज्येष्ठता समिति, दक्षिणी, पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा उत्तरी रेलवे	काम के समाप्त होने पर । किसी लक्ष्य-तिथि की आशा नहीं की जा सकती ।
ईंधन मितव्ययता समिति	जनवरी, १९५३
यान्त्रिक तथा विद्युत कर्मचारियों का टेक्नीकल प्रशिक्षण	मार्च, १९५३
परिमाप मंत्रणा समिति	अप्रैल, १९५३

(ङ) कुछ नहीं ।

संविधिक तथा असंविधिक निकाय

७९३. श्री एस० एन० दास : क्या **यातायात** मंत्री ३ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ७२९ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस तिथि से आज तक यातायात मंत्रालय के प्रशासनीय नियंत्रण के अधीन बनाये गये अस्थायी प्रकार के संविधिक तथा असंविधिक निकायों के नाम क्या हैं ; प्रत्येक विषय में यह सूचना भी दी जाय—(१) स्थापना की तिथि; (२) अवर्ती तथा अनावर्ती व्यय; (३) लेखा-परीक्षा के उपबन्ध; (४) कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(ख) उसी काल में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां ;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जिन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; रिपोर्टों के प्रस्तुत करने की तिथियां भी बतलाई जायें;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी कार्य कर रही हैं तथा समय जिस के अन्दर उन की रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने की आशा की जाती है ; तथा

(ङ) उसी काल में स्थायी प्रकार की कितनी परामर्शदात्री निकायों को तोड़ दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) तथा (ग). हुगली नदी के स्रोत पर पानी की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ मामलों की जांच करने के लिये २८ जुलाई, १९५२ को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा अपनी रिपोर्ट ८ नवम्बर, १९५२ को प्रस्तुत कर दी थी ।

(घ) तथा (ङ). कुछ नहीं ।

नीमच बरीसादारी रेलवे लाइन

७९४. श्री बलवन्त सिंह मेहता : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नीमच को बरीसादारी से मिलाने के लिये कोई परिमाप आदि किया गया है तथा यदि ऐसा है, तो इस पर कितने धन के व्यय किये जाने की आशा की जाती है तथा इसे कितने मीलों में बनाया जायेगा ?

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार इस रेलवे लाईन का परिमाप कराने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर नहीं में है ।

(ख) अभी तो नहीं ।

रेल यातायात विभाग

७९५. श्री तिम्मय्या : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य रेलवे यातायात विभाग में एकीकरण के समय से लेकर आज तक चतुर्थ श्रेणी की कितनी नौकरियां भरी गई हैं ?

(ख) उक्त रेलवे के यातायात विभाग में चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों से कितन प्रार्थनापत्र आये थे ?

(ग) कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भूतपूर्व मैसूर रेल क्षेत्र के यातायात विभाग में २७० ।

(ख) तथा (ग). अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना प्राप्य नहीं है, परन्तु अनुसूचित जातियों के ३० व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ।

भारतीय जनता की दुर्भिक्ष न्यास निधि

७९६. श्री कर्णी सिंह जी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, बीकानेर तथा जोधपुर (राजस्थान) विभागों में दुर्भिक्ष की मुसीबत को कम करने के लिये भारतीय जनता की दुर्भिक्ष न्यास निधि में कुछ आर्थिक सहायता के देने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : प्रबन्ध बोर्ड, जो भारतीय जनता की दुर्भिक्ष न्यास निधि में से अनुदानों की मंजूरी देता है, दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ इस क्षेत्र पर भी विचार करेगा।

कृष्णा बांध

७९७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाडा के स्थान पर कृष्णा नदी के बांध को मजबूत करने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार द्वारा कोई प्रस्थापना की गई है ; तथा

(ख) क्या कृष्णा नदी के पार तक भारत सरकार द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित बांध में नदी के पानी के बहाव पर किसी 'रेगूलेटर' की भी व्यवस्था की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) सड़क के पुल के स्थान तथा प्ररचना के सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चित नहीं किया गया है।

पटसन उद्योग के कार्यकर्ता

७९८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या माननीय श्रम मंत्री ६ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न १७, जो पटसन उद्योग के कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में था के उत्तर का निर्देश करके यह बतलायेंगे कि क्या सूचना एकत्र की जा चुकी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं जिन्हें अभी तक स्थायित्व के अधिकार नहीं मिले हैं तथा पटसन उद्योग में बदलीवाला के रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) अभी तक प्राप्त जानकारी पूर्ण नहीं है। एक राज्य सरकार के उत्तर का मिलना अभी बाकी है। अन्य राज्य सरकारों द्वारा भजी गई सूचना के बारे में कुछेक स्पष्टीकरणों की आवश्यकता है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

बेगार

७९९. **श्री मुरारका** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अभिसमय संख्या २९ में परिभाषित प्रकार की बेगार भारत के किसी (क), (ख) या (ग) राज्य में मौजूद है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो किन किन राज्यों में बगार ली जाती है तथा यह किस रूप में विद्यमान है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमय संख्या का अनुसमर्थन क्यों नहीं किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख) . अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमय संख्या में परिभाषित 'बेगार' को भारत में विधि द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छद २३ के अनुसार बेगार की, सिवाय उस अवस्था के जब इस की अनुमति सार्वजनिक प्रयोजनों से राज्य द्वारा दी गई हो, मनाही है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७४ में निजी अभिप्रायों से बेगार के लेने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

कृषि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल में की गई जांच से पता चला है कि बेगार की प्रथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पैप्सू, मध्य भारत तथा जम्मू और कश्मीर

में प्रचलित है । कुछ मामलों में बेगार का रूप ठेकेदारी दायित्व का निभाना तथा ऋण के चुकाने तक उसी मालिक की सेवा में लगे रहना था । कुछ मामलों में काम पर लगे हुए मज़दूरों को बहुत थोड़ी मजदूरी देकर काम लिया जाता था तथा उन्हें दूसरे मालिकों की सेवा नहीं करने दी जाती थी तथा कुछ मामलों में परिवार के सदस्यों को बिना अलग अलग मजदूरी दिये काम लिया जाता और वह भी नाममात्र मजदूरी पर । जब से इन मामलों का पता चला है, सम्बन्धित राज्य सरकारों ने बेगार को बन्द करने के लिये समुचित कार्यवाही की है तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था में परिभाषित प्रकार की अब कोई बेगार नहीं ली जाती है ।

(ग) अनुसमर्थन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में एक विवरण १० सितम्बर, १९५१ को संसद् के सामने रखा गया था । अनुसमर्थन में सब से बड़ी रुकावट अपराधी आदिमजातियां अधिनियम, १९२४ के अन्तर्गत बेगार का लिया जाना था । कुछ और अधिनियम भी ऐसे पाये गये थे जिसमें बेगार की अनुमति दी गई थी, परन्तु जिसकी अनुमति इस अधिसमय के अन्तर्गत नहीं दी गई है । तब से अपराधी आदिमजातियां अधिनियम निरसित किया जा चुका है । दूसरे विधानों में या तो समुचित संशोधन किये जा चुके हैं अथवा ऐसे संशोधनों के करने की उचित कार्यवाही की जा रही है । इन अड़चनों के दूर होने पर, सरकार वैधानिक परामर्श के बाद अनुसमर्थन के प्रश्न पर विचार करेगी ।

बच्चों को काम पर लगाना

८००. **श्री मुरारका** : (क) क्या श्रम मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फ़ैक्टरी अधिनियम, १९४८ तथा बाल सेवायोजन अधिनियम को सभी भाग (ख) तथा भाग (ग) राज्यों पर लागू किया गया है ?

(ख) क्या बालकों को काम पर लगाने का रिवाज किसी भाग (क), भाग (ख) या भाग (ग) राज्य में प्रचलित है ?

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है तो किन किन उद्योगों में तथा किन किन राज्यों में बालकों को अभी तक काम पर लगाया जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : फ़ैक्टरी अधिनियम, १९४८ तथा बाल सेवायोजन अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सिवाय सभी भाग (क), भाग (ख) तथा भाग (ग) राज्यों पर लागू कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग). सेवायोजन को अवधि आदि कुछ निर्बंधनों के साथ फ़ैक्टरी अधिनियम, १९४८ में १४ तथा १५ वर्ष की आयु वाले बच्चों को काम पर लगाने की अनुमति दी गई है । बाल सेवायोजन अधिनियम, १९३८ में १४ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ऐसे कारखानों में काम पर लगाने से मना किया गया है जिनमें उक्त अधिनियम के अनुसूची में वर्णन किये गये कामों में से कोई काम किया जाता हो । उपलब्ध सूचना के अनुसार एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों की उन फैक्टिरियों के नाम हैं जिनमें वर्ष १९५० में बालकों को काम पर लगाया गया था । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६ ।]**

जहां तक निश्चित की गई आयु से कम बच्चों को विधि सम्बन्धी आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए काम पर लगाने का सम्बन्ध है, पहले से की गई पूछताछ के अनुसार पता चलता है कि केवल कुछ ही उद्योगों में बच्चों को काम पर लगाया जाता

है। माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में श्री संजीवैय्या द्वारा ३ अप्रैल, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७५६ की ओर दिलाया जाता है ।

सामुद्रिक सेवा में काम पर लगाने की न्यूनतम आयु

८०१. **श्री मुरारका :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुद्रिक सेवा में काम पर लगाने के लिये बच्चों की कम से कम आयु कितनी है ?

(ख) सामुद्रिक सेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के न्यूनतम आयु सम्बन्धी निर्णय के अनुसमर्थन न करने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ की धारा ३७ बी में वर्णन किये गये कुछ अपवादों के अन्तर्गत भारत में रंजोबद्ध समुद्री जहाज़ों में नियुक्ति के लिये बच्चों की कम से कम आयु १४ वर्ष रखी गई है ।

(ख) समुद्र-सेवा के सम्बन्ध में बच्चों की नियुक्ति के अभिप्राय से न्यूनतम आयु के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने ये तीन निर्णय किये हैं :—

(१) न्यूनतम आयु (ट्रिम्मर्स तथा स्टोकर) निर्णय, १९२१ (१५) ।

(२) न्यूनतम आयु (समुद्र) निर्णय १९२० (संख्या ७), न्यूनतम आयु (समुद्र) निर्णय (संशोधित) १९३६ (संख्या ५८) द्वारा संशोधित रूप में।

निर्णय (१) का भारत सरकार अनुसमर्थन कर चुकी है ।

निर्णय (२) के अनुसमर्थन का सवाल भारतीय विधान-मण्डल के सामने सितम्बर, १९२१ के सत्र में पेश हुआ था । विधान-मण्डल ने कुछ एक बातों के साथ इसके अनुसमर्थन की सिफारिश की थी । परन्तु, चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के संविधान के अन्तर्गत किसी शर्त के अधीन अनुसमर्थन की अनुमति नहीं है, भारत सरकार इस निर्णय का अनुसमर्थन नहीं कर सकी है । फिर भी भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम में १९३१ में एक नये उपबन्ध के जोड़ने से संशोधन करने की कार्यवाही की गई थी, अर्थात् धारा ३७ बी को जोड़ा गया था ताकि ऊपर निर्दिष्ट रक्षित बातों के सिवाय निर्णय को लागू किया जा सके ।

चौपाये तथा पशु बीमा योजना

८०२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी राज्य में चौपाये तथा पशु बीमा योजना को लागू किया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो किस राज्य में इसे चालू किया गया है; तथा

(ग) क्या भारत सरकार इस योजना को किसी दूसरे राज्य में भी शुरू करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). पैप्सू में एक मार्गप्रदर्शक योजना आरम्भ की गई है ।

(ग) राज्य सरकारों से पूछा जा रहा है कि क्या अधिक राज्यों से सम्बन्धित एक अधिक विस्तृत योजना के व्यय में भाग लेना स्वीकार करेंगी ?

चीनी निर्यात मंत्रणा समिति

८०३. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि चीनी निर्यात मंत्रणा समिति ने ऐसी सिफारिश की है कि २ लाख टन चीनी को ठीक उत्पादन

मूल्य से कुछ कम मूल्य पर निर्यात किया जाय तथा कि इस प्रकार से हुई हानि को देश के अन्दर बेची जाने वाली चीनी के मूल्य में से पूरा किया जायगा ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

(ग) इस समय मिलों के पास जमा माल कितना है ?

(घ) इस समय निर्यात की गई चीनी की कुल कितनी मात्रा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) २२ अक्तूबर, १९५२ को मिलों के पास कुल जमा माल ५$\frac{1}{2}$ लाख टन था ।

(घ) २८ अक्तूबर, १९५२ तक निर्यात के लिये १८८०३ टन चीनी दी गई थी, परन्तु अगस्त के अन्त तक वस्तुतः निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा ४,९६१ टन बताई गई थी ।

(खेती) प्राचीन तरीका

८०४. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितने एकड़ भूमि में प्राचीन तरीक़ों से खेती की जाती है ?

(ख) कुल कितने एकड़ भूमि में आधुनिक वैज्ञानिक तरीक़ों से खेती की जाती है ?

(ग) किसान को आजकल के वैज्ञानिक तरीकों के सिखाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एकत्र करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सामग्री के एकत्र करने के काम पर लगाये गये कर्मचारियों के 'प्राचीन तरीकों' तथा 'आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की कोई परिभाषा नहीं की गई है ।

(ग) कृषि विभाग का क्षेत्र-कर्मचारी-वर्ग प्रदर्शनों, बढ़िया बीजों की बांट तथा कृषि सम्बन्धी जानकारी के देने से प्रचार करता है। कई राज्य किसानों के बच्चों के लिये कृषि विद्यालयों को चला रहे हैं।

वैट्टल वृक्ष

८०५. **श्री बालकृष्णन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालनी मद्रास, के विभिन्न 'वैट्टल' प्रकार के वृक्षों की लकड़ी कागज बनाने के उपयुक्त पाई गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या कागज निर्माण के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोगशाला तथा मार्ग-प्रदर्शक प्लान्ट सम्बन्धी प्रयोग वन अनुसन्धानशाला तथा देहरादून के महाविद्यालयों में किये गये हैं तथा उनसे जाहिर हुआ है कि हरे तथा काले "वैट्टल" वृक्षों की लकड़ी बढ़िया प्रकार के लिखने तथा छपाई के कागज के निर्माण के लिये बहुत उपयुक्त सामग्री है ।

समाचारपत्रों के कागज बनाने के उपयुक्त वैट्टल वृक्षों से यान्त्रिक रूप से छाल के बनाने के सम्बन्ध में वन अनुसन्धानशाला में प्रयोग हो रहे हैं । इस बीच में कागज उद्योगपतियों का ध्यान पहले से दिये गये प्रयोगात्मक कार्यों के परिणामों की ओर दिलाया गया है ।

औद्योगिक केन्द्रों से प्रशिक्षत कर्मचारी

८०६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : (क) क्या **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के अधीन चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की वस्तुतः संख्या कितनी है तथा १९४८ से ले कर अब तक सरकारी सेवा में कितने व्यक्ति लिये गये हैं ?

(ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये औद्योगिक केन्द्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का अधिक संख्या में प्रयोग न करने के कारण क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अप्रैल १९४५—अक्तूबर, १९५२ तक के काल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था श्रम मंत्रालय के केन्द्रों में कुल ४१,६९२ व्यक्ति प्रशिक्षण पा चुके हैं। सरकारी सेवाओं पर नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्याक के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस समय भूतपूर्व प्रशिक्षणों के जीवन के बारे में जानते रहने के लिये कोई विभाग आदि नहीं है।

(ख) भारत सरकार अपने प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का अवश्य ही प्रयोग करती है परन्तु सभी मंत्रालयों ने उनकी योग्यताओं को नहीं माना है। इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं।

कंचरापारा के निकट पड़े हुए रेल के माल डिब्बे

८०७. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कंचरापारा के निकट रेलवे लाइन पर पिछले चार या पांच वर्षों से बहुत से रेल-डिब्बे ऐसे ही पड़े हुए हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो (१) उनकी संख्या, (२) ऐसा होने के कारण, (३) क्या इनमें कुछ अथवा सारे डिब्बों को काम में लाने के लिये मुरम्मत करने के प्रयत्न किये गये थे तथा यदि किये गये थे तो परिणाम क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) (१) लगभग ७००।

(२) ये डिब्बे पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) रेलवे की सम्पत्ति हैं वे अब बेकार हो गये हैं। रद्दी करार देने तथा बेचने आदि से पहले पूर्वी बंगाल रेलवे की मंजूरी जरूरी है। ३९१ डिब्बों को रद्दी करार देने में वे सहमत हो गये हैं तथा शेष के सम्बन्ध में उनकी मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(३) उत्पन्न नहीं होता है।

एट्रोपीन

८०८. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों को ऐसा कोई पत्र परिचालित किया गया था कि सरकारी अस्पतालों में एट्रोपीन के प्रयोग में मितव्ययता की जाय क्योंकि 'जहाजों में स्थानाभाव' के कारण इसके आयात में कठिनाई का अनुभव हो रहा है

(ख) इसका आयात किस देश से किया जाता है ?

(ग) पिछले वर्ष एट्रोपीन की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया था तथा उसका कुल मूल्य कितना था ?

(घ) पिछले वर्ष इसके लिये जहाज में कितने स्थान की जरूरत पड़ी थी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) यह सत्य है कि १९४२ में एट्रोपीन के प्रयोग में मितव्ययता करने के लिये अनुदेश जारी किये गये थे, परन्तु कारण इसका अभाव था तथा जहाज में उपलब्ध स्थान का अभाव नहीं। प्रदाय स्थिति के सुधरने के कारण इन अनुदेशों को हाल में रद्द कर दिया गया है।

(ख) से (घ) तक. सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि एट्रोपीन के सम्बन्ध में कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मद्रास के लिए वित्तीय सहायता

८०९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास सरकार ने राज्य में खाद्यान्न की कमी की स्थिति का सामना करने के लिये वित्तीय सहायता के तुरन्त दिये जाने की प्रार्थना की है तथा, यदि ऐसा है तो सरकार ने इस प्रार्थना के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : जी हां। केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को ५० प्रतिशत बख्शीश रूप में सहायता तथा ५० प्रतिशत को अन्य सहायता व्यय के रूप में देना स्वीकार किया है।

पूर्वी रेलवे के रास्तों के नक्शे

८१०. **श्री लोकनाथ मिश्र :** (क) क्या रेल मंत्री पूर्वी रेलवे के रास्तों की नक्शों का, जो कि १५ मई, १९५२ की समय सूची तथा उसके बाद की समय सूची के साथ प्रकाशित किया गया था तथा यह बतलानें की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा राज्य में विस्तार की गई या बनाई जा रही रेलों के रास्तों के बाद के नक्शे में कोई बात छूट गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या उन रेलों को बीच में से छोड़ दिया गया है तथा उन्हें क्यों छोड़ दिया गया है ?

(ग) क्या उन परियोजनाओं को बीच में से छोड़ने का अर्थ उनका त्याग देना है तथा यदि ऐसा है तो क्यों तथा कितने समय के लिये या क्या सदा के लिये उनका त्याग कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग), १९४५ उपरान्त निम्न पर्यालोकनों को, जिन के कुछ भाग उड़ीसा राज्य में थे बीच में से छोड़ दिया गया था :—

(१) राजपुर–जगदलपुर–जेपुर।

(२) नौपद-गजपुर-कन्वर्शन तथा

(३) जयपुर-करवला।

यह फैसला किया गया है कि केवल उन्हीं विस्तार की गई लाइनों को नक्शे में दिखाया जायगा जिनके सम्बन्ध में प्राक्कलनों की मंजूरी हो चुकी है अथवा जो इस समय बनाई जा रही हैं।

अजमेर का रेलवे-कारखाना

८११. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अजमेर के रेलवे-कारखाने द्वारा कभी 'टायरज टेबलेट नं० ११' के लिये 'ब्लाक' औजार बनाया गया था तथा यदि ऐसा है तो कब ;

(ख) क्या ब्रिटेन में इसके प्रदाय के कभी क्रय-आदेश दिये गये थे तथा यदि ऐसा है तो क्यों ; तथा

(ग) क्या भारत में इस बचाव यन्त्र के बनाने में किसी कठिनाई का अनुभव हो रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) टायरज टेबलेट नं० ११ को अजमेर के कारखाने में कभी नहीं बनाया गया है ।

(ख) जी हां । टायर नं० ११ के औजारों को ब्रिटेन में क्रय-आदेश दिया जाता है जो देश कि इस समय इन औजारों का निर्यात करता ह ।

(ग) इस औजार को इस समय भारत में बनाना लाभदायक नहीं हो सकता ।

खांचों के ठेके (समिति)

८१२. **श्री बी० एस० राय** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष पहले उत्तरी-पूर्वी रेलवे के स्टेशनों पर खांचे लगाने के तरीके तथा इससे प्रासंगिक मामलों की छान-बीन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो क्या इस की रिपोर्ट को इस वर्ष कार्यान्वित कर दिया जायगा ; तथा

(ग) क्या खांचों के ठेकों के सम्बन्ध में लाइसेंस देने की पद्धति के स्थान पर टेन्डर पद्धति को चालू किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जिन बातों की सिफ़ारिश की गई हैं, उन में से कुछ तो पहले से ही कार्यान्वित हैं। समिति की अन्य सिफ़ारिशें सरकार को मान्य नहीं है ।

(ग) जी नहीं । इस समय तो खांचों के ठेकों के लिये लाइसेंस देने के स्थान पर टेन्डर पद्धति को चालू करने का कोई विचार नहीं है ।

श्रम की कंगनी पद्धति

८१३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या श्रम मंत्री दक्षिणी भारत में प्रचलित मजदूरों की भर्ती की कंगनी पद्धति की मुख्य मुख्य बुरी बातों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) भर्ती की यह प्रथा किन किन उद्योगों में प्रचलित है ?

(ग) उक्त बुरी बातों को रोकने के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं तथा उनमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, मजदूरों की भर्ती की कंगनी पद्धति केवल दक्षिणी भारत के बागान में ही प्रचलित है । एक विवरण, जिसमें इस पद्धति की मुख्य मुख्य बुरी बातों तथा जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों से उद्योग की सहायता तथा सहयोग से वर्ष के आरम्भ से लागू करने की सिफ़ारिश की गई थी, का उल्लेख है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७**]

राज्य सरकारों से अगले वर्ष के आरम्भ में रिपोर्टों के भेजने के लिये प्रार्थना की गई है कि ये बुराइयां कहां तक दूर कर दी गई हैं तथा कि एक वर्ष तक इन के काम करने के बाद वे कहां तक कम हो गई हैं ।

कोयला

८१४. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे अपनी खपत के लिये कोयले को किस प्रक्रिया के अनुसार खरीदती है ?

(ख) इन प्रयोजनों से किन किन कोयला खान को अधिमान दिया जाता है ?

(ग) कोयले की विभिन्न किस्मों को किन मूल्यों पर खरीदा जाता ह ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). रेलवे की अनुमानित आवश्यकताओं को आधार मानते हुए, रेलवे बोर्ड के मुख्य खान इंजीनियर महोदय विभिन्न रेलवे प्रशासनों के साथ परामर्श करके कोयले के प्रदाय के सम्बन्ध में छः महीने का कार्यक्रम बनाते हैं। कार्यक्रम के बनाते समय सब से पहले रेलवे की खानों के अनुमानित कोयला-उत्पादन को सामने रखा जाता है तथा रेलवे की शेष की आवश्यकताओं को १००० टन या इससे अधिक दूसरे दर्जे का कोयला खोदने वाली खानों में बांट दिया जाता है। मूल कार्यक्रम के तैय्यार करने में किसी को विशेष अधिमान नहीं दिया जाता है तथा ऐसी सब खानों को जो, रेलवे के कोयला सम्बन्धी कार्यक्रम की शर्तों को पूरा करती है, उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जिस तक कि योजना के अन्तर्गत उन्हें अधिकार है।

(ग) विभिन्न वेतन-श्रेणियों के सम्बन्ध में निश्चित किये गये नियन्त्रित मूल्यों पर।

मलेरिया

८१५. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में भारत संघ के प्रत्येक राज्य को दी गई डी० डी० टी० की कुल मात्रा कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा की गई मलेरिया निरोधी कार्यवाहियों से पहले तथा बाद की मलेरिया की प्रतिशतता कितनी रही है ; तथा

(ग) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में मलेरिया को फ़ैलने से रोकने के लिये कोई स्थायी बन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ग) मलेरिया को फ़ैलने से रोकने के लिये विभिन्न राज्यों में स्थायी बन्धों का करना सम्बन्धित राज्यों की सरकारों का काम है।

लाख

८१६. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ढाक के पेड़ से लाख पैदा करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और वे कहां तक सफ़ल हुये हैं ?

(ख) ढाक के जंगलों की भरमार की दृष्टि में जहां उन से लाख पैदा करने का काम नहीं लिया जा सकता, उन का क्या उपयोग होता है ?

(ग) अब तक वैज्ञानिकों ने ढाक के क्या क्या उपयोग खोज निकाले हैं?

(घ) ढाक के रंग को पक्का बनाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ढाक मुख्यतया ऐसा वृक्ष है जिस पर बहुत से राज्यों में बहुत अधिक लाख पाई जाती है या सफ़लतापूर्वक पैदा की जाती है। लाख अनुसन्धानशाला ने ढाक वृक्ष से लाख पैदा करने का एक क्रियाकार्य ढंग निकाला है।

(ख) तथा (ग). ढाक के जंगलों से लकड़ी को कभी कभी पहियों के धुरों तथा पानी उठाने की बाल्टियों में प्रयोग में लाया जाता है, परन्तु मुख्यत: इसे ईंधन तथा लकड़ी का कोयला बनाने में लाया जाता है। ढाक वृक्ष के पत्तों, विशेषत: कोमल पत्तों को भैंसों

के बारे के स्वरूप में बर्ता जाता है तथा उसके बर्तन आदि भी बनाए जाते हैं । छाल से विशेषत: जड़ों की छाल से एक गाढ़ा रेशा प्राप्त होता है । नारंगी के मीठे रंग वाले फलों से काफी पक्का पीला रंग मिलता है । इसके पिसे हुए बीजों को घोड़ों के एक प्रकार के कीड़ों (मल) को निकालने के लिए औषधि स्वरूप से काम में लाया जाता है । गोंद, बीज, फूल, छाल तथा पत्ते आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में औषधियों के काम में आते हैं । गोंद को चमड़े के कमाने के काम में लाया जा सकता है ।

(घ) फूलों से प्राप्त किया हुआ रंग कच्चा होता है, परन्तु फिटकरी, चूना तथा क्षार आदि मिलाने से यह कुछ पक्का हो जाता है ।

अनाज की केन्द्रीय रक्षित मात्रा

८१७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज की एक केन्द्रीय रक्षित मात्रा को एकत्र करने तथा बनाए रखने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त योजना में किन किन मुख्य अनाजों को शामिल किया जायगा; तथा

(ग) इस प्रयोजना से किन किन स्थानों पर केन्द्र खोले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अभी तक अनाज का कोई ज़खीरा नहीं बनाया गया है, परन्तु १९५२ में केन्द्रीय सरकार के पास अनाज की पर्याप्त मात्रा थी जो इस समय ५ लाख टन है तथा देश के विभिन्न स्थानों पर रखी गई है ।

(ख) इस जमा अनाज में मुख्यत: गेहूं तथा कुछ चावल हैं ।

(ग) इस समय का जमा अनाज मुख्यत: बन्दरगाहों के शहरों में रखा गया है जिससे कि इसके भेजने, उठाने, लादने तथा रेल आदि द्वारा ले जाने की सुविधा हो सके कुछ और स्थानों पर भी उसे रखा गया है जो रेल द्वारा भेजने और उपयोगी क्षेत्रों में बांटने के विचार से सुविधायुक्त स्थिति में हैं ।

कालीकट रेलवे स्टेशन

८१८. **श्री के० लप्पन :** क्या **रेल मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कालीकट रेलवे स्टेशन को १९ वीं शताब्दी में बनाया गया था जबकि कालीकट मालाबार में दक्षिण भारतीय रेलवे का अन्तिम स्थान था;

(ख) क्या यह सत्य है कि यात्रियों तथा पार्सलों के लिए केवल एक ही प्लेटफार्म बनाया गया है;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि लगभग हर समय प्लेटफार्म पार्सलों से अटा रहता है तथा यात्रियों को इस पर चलने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है; तथा

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्टेशन पर पार्सल कार्यालय का स्थान बहुत कम है तथा यह सत्य है कि पार्सलों को प्लेटफ़ार्म पर रखना पड़ता है जिससे कि समय समय पर यात्रियों को कुछ असुविधा होती है ।

(घ) उपलब्ध स्थान के कम होने के कारण, एक और प्लेटफार्म का बनाना सम्भव नहीं है, परन्तु एक और पार्सल कार्यालय के बनाने की प्रस्तावना पर विचार हो रहा है ।

बम्बई टैलीफून सिस्टम

८१९. श्री कजरोलकर : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें बम्बई नगर-निगम द्वारा पारित किए गये संकल्प के बारे में पता है जिसमें सरकार से बम्बई टेलीफ़ोन सिस्टम को निगम को सौंप देने की प्रार्थना की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उक्त टेलीफ़ोन सिस्टम को बम्बई नगर-निगम को सौंपने का इरादा रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) नहीं, श्रीमान् मैं इस सम्बन्ध में इतना कह दूं कि माननीय सदस्य ने बम्बई निगम के संकल्प की प्रति संचरण मंत्री महोदय को विचारार्थ भेजी थी। मैं सदन पटल पर माननीय सदस्य को भेजे गये उत्तर की एक प्रतिलिपि रखता हूं जिसमें बम्बई के टैलीफ़ोन सिस्टम के बारे में स्थिति को स्पष्ट किया गया है। मैं सदन पटल पर एक और प्रति भी रखता हूं जिसमें बम्बई टैलीफ़ोन व्यवस्था की सुसज्जित सामर्थ्य तथा पुनः सुसज्जित करने और विस्तार करने के कार्य-क्रम का उल्लेख किया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]**

नार्वे का प्रतिनिधित्व

८२०. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि नार्वे का जो प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है, उसने मीन-क्षेत्रों के सामूहिक विकास कार्यक्रम को आरम्भ करने का सुझाव दिया है ?

(ख) क्या कार्यक्रम के बारे में फ़ैसले की वार्ता चल रही है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कार्यक्रम को त्रावनकोर-कोचीन के क्षेत्र में आरम्भ किया जायेगा ?

(घ) क्या यह सत्य है कि प्रतिनिधि-मण्डल इस समय संयुक्त-राष्ट्रसंघ के टेक्नीकल सहायता बोर्ड से परामर्श कर रहा है तथा कि भारत सरकार ने योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

अन्डमान से लकड़ी का आयात

८२१. **श्री राजगोपाल राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान से लकड़ी का आयात कर रही है तथा यदि ऐसा है तो किन मूल्यों पर ;

(ख) क्या विशाखापटनम् भी एक ऐसी बन्दरगाह है; तथा

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत सरकार ने पहले ही कलकत्ता तथा मद्रास के पत्तनों पर डिपो खोल रखे हैं जहां अंडमान की लकड़ी का आयात किया जाता है तथा यह जनता को बेची जाती है।

(ख) तथा (ग). इस समय पार्ट-ब्लेयर तथा विशाखापटनम के बीच नौ-परिवहण सम्बन्धी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु विशाखापटनम में माल के भेजने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

शिवरात्री यात्रा (स्पेशल ट्रेन)

८२२. **श्री एच० जी० वैशणव :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पिछली शिवरात्री यात्रा के अवसर पर पुरी वैजनाथ, ओंधा नागनाथ तथा एलोरा के लिए, जो हैदराबाद के ज्योत्रिंगा स्थान हैं, विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं ?

(ख) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो कितनी स्पैशल गाड़ियों के चलाने के प्रबन्ध किए गए थे तथा किन किन तिथियों पर ?

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो स्पेशल गाड़ियों के न चलाने के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) शिवरात्री यात्रा के अवसर पर पुरी-वैजनाथ तथा ओंधा नाग नाथ के सम्बन्ध में स्पैशल गाड़ियां चलाई गई थीं, परन्तु एलोरा की यात्रा के सम्बन्ध में कोई गाड़ी नहीं चलाई गई थी।

(ख) २३ से २७ फ़रवरी, १९५२, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, १३ स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं थीं तथा २४ और २५ फ़रवरी को ओंधा नागनाथ के लिए प्रति दिन एक स्पेशल गाड़ी चलाई गई थी।

(ग) चूंकि केवल ७५४ यात्रियों ने ही एलोरा की यात्रा की थी, कोई स्पेशल गाड़ी नहीं चलाई गई थी तथा यातायात को सामान्य गाड़ियों द्वारा ही भुगता लिया गया था, जिनके तख्तों आदि को मज़बूत कर दिया गया था।

रेल के इंजन व डिब्बे आदि

२३ **श्री नेसवी :** क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि डिब्बों तथा इंजनों की कमी के कारण हुब्ली ज़िले में यातायात सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक नहीं है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन के उपलब्ध ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अप्रैल, १९५२ से पहले कूछ इजन डिब्बे आदि मिलने वाले थे ; तथा

(घ) यदि नहीं मिले, तो उनके मिलने की तथा हुब्ली ज़िले में काम में लाए जाने की कब तक आशा की जाती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्ष १९५१ तथा १९५२ के प्रथम अर्ध-भाग में हुब्ली ज़िले के बारे में अभी बहुत सी मांगों का पूरा किया जाना काफी है तथा यातायात के स्थानों के मार्ग से, जैसे घोड़पुरी के मार्ग से डिब्बों आदि की कमी तथा सीमित उपलब्ध संख्या के कारण इन मांगों का पूर्णतः पूरा किया जाना सम्भव नहीं था।

(ख) अधिक डिब्बों आदि के मिल जाने से यथासम्भव सन्तोषजनक परिणामों से पूरी गाडियों पर माल लादने के प्रबन्ध किए गए थे।

(ग) अप्रैल, १९५१ से मार्च, १९५२ तक छोटी लाइन के ३०४ डिब्बों को दक्षिणी रेलवे पर लगा दिया गया था, परन्तु इनमें से हुब्ली ज़िले को दिए गए डिब्बों की ठीक ठीक संख्या का पता लगाना आसान नहीं है। अप्रैल, १९५२ से मार्च १९५३ तक १९८१ और डिब्बों के दक्षिणी रेलवे पर लाए जाने की आशा की जाती है। २२-६-५२ से १५-११-५२ तक के काल में कुल ३०३ नए डिब्बे प्राप्त हुए थे तथा उन्हें मैसूर के इलाके में काम पर लगा दिया गया था जिसमें हुब्ली ज़िला भी शामिल है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है।

दक्षिणी रेलवे से वस्तुओं का भेजना

८२४. **श्री नेसवी :** । क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी रेलवे ने मार्च १९५२ से दक्षिणी रेलवे द्वारा उज्जैन को सभी यातायात के टिकटों आदि को बन्द कर दिया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उसी रेलवे ने सारी दक्षिणी रेलवे के लिए केवल छः डिब्बे प्रति दिन स्वीकार किए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि उस रेलवे की ओर तथा परे की यातायात कहीं अधिक है; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इन रुकावटों को दूर करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सरकारी अनाज तथा कोयले के सिवाय, उज्जैन को वस्तुओं के भेजने आदि पर ८-२-'५२ से २६-३-५२ तक कुछ पाबन्दी लगाई गई थी, इसके बाद अभी तक कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है।

(ख) उज्जैन की ओर तथा उज्जैन के रास्ते से यातायात सम्बन्धी सुविधा देने की कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है, क्योंकि इन सुविधाओं पर कोई बाधा नहीं है।

(ग) जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि सितम्बर, १९५२ से उज्जैन के मार्ग से आने वाले स्टेशनों के सम्बन्ध में पंजीबद्ध डिब्बों की शेष संख्या केवल दो डिब्बे है, उज्जैन के मार्ग से दक्षिणी रेलवे से पश्चिमी रेलवे से आने वाले स्टेशनों पर आना जाना अधिक नहीं है। नवम्बर, १९५२ से लेकर उज्जैन के मार्ग से आने वाले स्टेशनों के सम्बन्ध में वस्तुओं के भेजने के लिये डिब्बों का बुकिंग निःशुल्क कर दिया गया है।

(घ) भाग (ग) को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

प्रतीक्षा के कमरे

८२५. श्री रघुरामय्या : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिणी रेलवे के तेनाली, विजयवादा तथा मसौलीपट्टम रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षा के कमरों में बहुत भीड़ रहती है;

(ख) क्या सरकार को इन स्टेशनों पर छोटे हुए प्लेटफार्मों की आवश्यकता का पता है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार इन स्टेशनों पर किन सुधारों के करने का विचार करती है तथा कब तक?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सरकार को विजयवादा तथा तेनाली स्टेशनों पर प्रतीक्षाके कमरों में कम स्थान के बारे में विदित है, परन्तु मसौलीपट्टम पर नहीं।

(ख) जी हां, विजयवादा तथा तेनाली के बारे में विदित है।

(ग) विजयवादा तथा तेनाली को नये नमूने के बनाने का तथा उन स्थानों पर निम्न सुविधाओं के देने का विचार किया गया है: विजयवादा: एक नया टिकटघर, पुल के दोनों सिरों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षा के कमरों की व्यवस्था तथा बीच के और मुख्य प्लेटफार्मों पर छते हुए स्थान की व्यवस्था। तेनाली: टिकटघर के बाहर एक प्रतीक्षा के बड़े कमरे की व्यवस्था तथा प्लेटफार्म पर छत।

विजयवादा पर काम को १९५३-५४ में आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है।

कृषियोग्य भूमि

८२६. श्री मोहनलाल सक्सेना: (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष ग्रामों में लगभग ऐसी कृषि योग्य भूमि कितने एकड़ है जिसे बिना खेती छोड़ दिया जाता है?

(ख) इस प्रकार बिना खेती छोडी हुई भूमि से खाद्यान्न की लगभग कितनी उपज हो सकती है?

(ग) अभी तक ऐसी भूमि में खेती कराने के क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९४१-५० में लगभग १ करोड़ साढ़े ग्यारह लाख एकड़ ।

(ख) लगभग ४० लाख टन ।

(ग) अभी तक कृषि योग्य भूमि को खेती तले लाने के ये उपाय किए गए हैं :

(१) कंस से भरी ज़मीन का केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा सुधार तथा पड़ती और बेकार भूमि का राज्य सरकारों तथा किसानों द्वारा सुधार।

(२) अपने अपने क्षेत्रों में बेकार तथा पड़ती भूमि के सम्बन्ध में कुछ राज्यों द्वारा विधान का पारित करना ।

मोहवा पुष्प

८२७. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में मोहवा पुष्प की कितनी मात्रा पैदा की जाती है; तथा

(ख) क्या इसे केवल मदिरा के बनाने के काम में ही बर्ता जाता है या किन्हीं अन्य औद्योगिक प्रयोजनों में भी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मोहवा को एक फसल के रूप में नहीं बोया जाता है तथा इसके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह या तो जंगलों में उगता है अथवा उत्तर प्रदेश बिहार, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद तथा मध्य भारत में सड़कों के किनारे उगता है ।

(ख) मोहवा पुष्प से अलकोहल तथा ऐसीटोन तैयार किये जा सकते हैं इन फूलों से साइट्रिक तथा एसेटिक तेज़ाबों के तैयार करने के प्रयोग भी किए जा रहे हैं । कई लोग उन्हें खाते भी हैं । सूखे फूलों को भी पशुओं के लिए एक अच्छी चर्बी वाली खुराक पाया गया है ।

चिदम्बरम तालुक गन्ना-उत्पदक संघ

८२८. **श्री काचिरोपर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिदम्बरम तालुक गन्ना-उत्पादक संघ से ऐसा कोई स्मृति पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने (१) उन्हें दी गई खाद की कीमत के कम करने तथा (२) गन्ने की कम की गई कीमत का विचार करते हुए गन्ने को फैक्ट्रियों तक ले जाने के भाड़ में कमी के करने की प्रार्थना की गई हो; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार इस बारे में किस कार्यवाही के करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख): मेरे मंत्रालय को चिदम्बरम तालुक संघ से खाद की कीमतों के कम करने के बारे में कोई प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी रेल मंत्रालय को गन्ने के ले जाने के सम्बन्ध में भाडे में कमी करने के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है जिसकी वे छानबीन कर रहे हैं ।

पश्चिमी बंगाल क डाक तथो तार विभाग के कर्मचारी

८२९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की संख्या जो समय पर वित्त आयोग की वेतन-श्रेणियों के बारे में अपने लिए फैसला नहीं कर सके थे; तथा

(ख) क्या सरकार को ऐसे कर्मचारियों से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं कि वे अनजानपन तथा गलत समझने के कारण ऐसा नहीं कर सके थे तथा कि वे अब वित्त आयोग की वेतन-श्रेणियों के बारे में फैसला करना चाहते हैं।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है तथा उचित समय में सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) कर्मचारियों से इस विषय में कई प्रतिनिधान मिले थे, परन्तु इस तथ्य को सामने रखते हुए कि ये नियम सामान्यतः लागू होने वाले हैं, सरकार ने फैसला दिया है कि इस सम्बन्ध में कोई ढील न दी जाय।

लाइसेंस प्राप्त तार घर

८३०. **श्री यू० एन० त्रिवेदी** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५२ के अन्त तक भारत में लाइसेंस-प्राप्त तारघरों की संख्या कितनी थी ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ में ऐसे तारघरों द्वारा पहुंचाये गये सन्देशों के सम्बन्धमें कितने कितने धन का भुगतान किया गया था ?

(ग) सरकार को ऐसे लाइसेंस-प्राप्त तारघरों पर किस प्रकार का नियन्त्रण प्राप्त है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१ मार्च, १९५२ को विद्यमान संख्या ५९०८ थी। अक्तूबर, १९५२ के अन्त तक सूचना सहज से उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है इसके एकत्र करने में इतना समय तथा श्रम लगेगा कि उतना लाभ नहीं होगा।

(ग) लाइसेंस प्राप्त तार व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जिनके साथ डाक तथा तार विभाग तारों का विनिमय करता है, भेजने के समय पर नियन्त्रण किया जाता है।

बम्बई में डाक तथा तार विभाग की इमारतें

८३१. **श्री बोगावत** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई क्षेत्रमें १९४९ से (प्रत्येक वर्ष में) तारघर, टेलीफोन तथा इंजीनियरी शाखाओं तथा उनके कर्मचारियों के प्रयोग के लिए (१) बनाई गई तथा (२) बढ़ाई गई इमारतों की संख्या कितनी है;

(ख) उसी काल में डाकघरों तथा उनके कर्मचारियों के लिए (१) बनाई गई तथा (२) बढ़ाई गई इमारतों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा भाग (ख) में इमारतों के बनाने पर कितना व्यय हुआ है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (ग) तक. एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। देखिये [परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०]

मद्रास में भारतीय जलपानगृह

८३२. **श्री पी० सुब्बा राव** : : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य में अनाज पर से नियंत्रण हटने के बाद भारतीय जलपानगृह यात्रियों को पूरा खाना दे रहे हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो क्या सरकार सभी भारतीय जलपानगृहों में पूरे खाने का प्रबन्ध कर रही है ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश सरकारों का परस्पर विवाद ।

८३३. **श्री नम्बियार** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश की सरकारों के एक परस्पर विवाद के बारे में पता है जोकि झांसी तथा ललितपुर के बीच चलने वाली लारियों पर जो विन्ध्य प्रदेश के २ या ३ फर्लांग अन्तर पर भी चलती है, लगाए गए एक कर के बारे में है ;

(ख) क्या सरकारों को लारियों के मालिकों तथा ललितपुर और झांसी की जनता से कोई प्रतिनिधान मिला है जिसमें विन्ध्यप्रदेश सरकार द्वारा झांसी-ललितपुर के बीच लारी के मार्ग के इस टुकड़े पर, जोकि विन्ध्य प्रदेश क्षत्र में है, बार बार लारियों को रोके जाने के कारणें हो रही तकलीफ, सस्ती तथा दोनों के बारे मे शिकायत की गई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि यह सारी की सारी सड़क जिसमें विन्ध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र से होकर जाने वाली २ या ३ फर्लांग सड़क भी शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्ग का एक भाग है;

(घ) यदि ऐसा है तो क्या विन्ध्य प्रदेश सरकार ने इस कर के लगाने में सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया है; तथा

(ङ) सरकार इस झगड़े को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). भारत संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की ५७ वीं मद के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपने राज्य क्षेत्र में से गुजरने वाले मार्गों या मार्गों के खंडों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर कर लगाने के अधिकार प्राप्त हैं। जहां तक झांसी तथा ललितपुर के बीच चलने वाली लारियों पर करारोपण का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश से मिली सूचना के अनुसार तथ्य इस प्रकार से हैं।

फरवरी १९४९ में दोनों राज्यों के यातायात प्राधिकारों ने अन्तः राज्य मार्गों पर निश्चित स्थानों तक चलने वाली मोटर-गाड़ियों तथा माल की लारियों के चलाने के सम्बन्ध में परस्पर एक समझौता किया था जिनके लिए एक राज्य के यातायात प्राधिकार द्वारा हस्तांक्षरित परमिट दूसरे राज्य के यातायात प्राधिकार द्वारा भी हस्ताक्षारित करने होते थे। उन गाड़ियों को उस राज्य में कर देना होता था जिसमें प्रारम्भ में परमिट दिया गया हो तथा दूसरे राज्य में उनसे और कर नहीं लिया जाता था। जान पड़ता है कि यह समझौता जून १९५२ तक लागू रहा, यह भी जान पड़ता है कि जुलाई १९५२ में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्त-राज्य मार्गों पर चलने वाली विन्ध्य प्रदेश की मोटर गाड़ियों से कर वसूल करना आरम्भ कर दिया। विन्ध्य प्रदेश सरकार ने भी उसी प्रकार की कार्यवाही की तथा ऐसे मार्गों पर, जिसमें झांसी-ललितपुर भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश की मोटर-गाड़ियों से कर वसूल करना आरम्भ कर दिया। भारत सरकार को झांसी तथा ललितपुर के मोटर-गाड़ियों के मालिकों से प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं जिनमें उक्त मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों पर विंध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर वसूल

करने के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। राज्य सरकार को भारत सरकार के अनुमोदन के प्राप्त करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) यह मामला दोनों सरकारों द्वारा परस्पर निपटाने का है। फिर भी भारत सरकार दोनों में संतोषजनक प्रकार का समझौता कराने के अभिप्राय से उक्त सरकारों से पत्र व्यवहार कर रही है।

रेल-मार्ग (तारों की सीमा)

८३४. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि रेल-मार्ग के दोनों ओर का तारों का घेरा किसी काम में नहीं आता और यह पशुओं के रेल लाइनों को पार करने के नहीं रोक पाता और फलतः सैंकड़ों पशू रेल गाडियों के नीचे आते हैं;

(ख) क्या पशुओं को सिमा में घुसने से रोकने के लिये कोई उपाय सरकार से विचाराधीन है; तथा

(ग) प्रति वर्ष रेल के नीचे आने पशुओं की लगभग संख्या!

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तार की बाड़ को स्टेशनों के पास-की बस्तियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों और लाइन पार करने के महत्वपूर्ण स्थानों के अतिरिक्त और कहीं बनाए रखने के प्रबन्ध नहीं किए जाते हैं। इस नीति का आधार रेलवे जांच समिति १९३७ की सिफारिशें हैं।

(ख) किन्हीं विशेष उपायों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) १९५१-५२ में ५३४३ पशु रेलगाडियों के नीचे आकर मर गए थे।

खाद्यान्न का उत्पादन

८३५. **बाबू रामनारायण सिंह :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ में भारत में खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ था?

(ख) वर्ष १९५१ में भारत में खाद्यान्न की कुल खपत कितनी हुई थी?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् के फसल कटाई सम्बन्धी किए गए प्रयोगों के आधार पर कुल उत्पादन ४४२ लाख टन था।

(ख) देशभर की अनाज की वास्तविक खपत के बारे में किसी ठीक-ठीक आंकड़े का देना संभव नहीं है क्योंकि आबादी के एकबड़े भाग को राशन से अनाज नहीं दिया जाता है। वर्ष १९५१ में राशन वाली आबादी में ७८ लाख टन अनाज की खपत हुई थी।

खाद्यान्न (आवश्यकताएं)

८३६. **बाबू रामनारायण सिंह :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न सम्बन्धी हमारी चालू वर्ष की आवश्यकताओं के कितने भाग को (१) पिछले वर्ष की बची मात्रा (२) देश के अपने उत्पादन तथा (३) विदेशों से आयात की गई मात्रा से पूरा किया गया है?

(ख) इस वर्ष सरकारी गोदामों में अनाज की मात्रा का कितने प्रतिशत भाग नष्ट हो चुका है तथा किस प्रकार से?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस देश की कुल आवश्यकताओं का जिसकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग राशन पद्धति के अन्तर्गत नहीं है, कोई अनुमान लगाना कठिन है। वर्ष १९५२ के सम्बन्ध में राशन की कुल आवश्यकताओं का अनुमान ६८ लाख

टन लगाया जाता है जिसमें से १९ प्रतिशत भाग को पिछली बची मात्रा द्वारा पूरा किया गया है, ५० प्रतिशत को अन्तर्देशीय समाहार द्वारा तथा ३१ प्रतिशत भाग चालू वर्ष में आयात से पूरा किया गया है ।

(ख) लगभग ०·२ प्रतिशत भाग । यह हानि कीड़ा लगने तथा मार्ग और लादने उतारने में अनाज के गिरने से हुई है ।

तारघर

८३७. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश में ऐसा कोई ज़िला है, जहां एक भी तारघर न हो ?

(ख) यदि है तो कौन सा या कौन से ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). निम्नलिखित ज़िलों के प्रधान कार्यालयों का तार से सम्बन्ध कायम नहीं किया गया है । इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या इन तालुकों में या इन ज़िलों में स्थित किन्हीं स्थानों में तार कार्यालय हैं या नहीं ।

राज्य का नाम	क्रम संख्या	ज़िले का नाम	ज़िले के प्रधान कार्यालय का नाम
आसाम	१	संयुक्त मेकिर तथा उत्तरी कच्छार पहाड़ियां	दिफू
	२	सेला सब एजेन्सी	चरदुआर
त्रिपुरा राज्य	३	धर्मनगर	धर्मनगर
	४	खोवाई	खोवाई
	५	उदयपुर	उदयपुर
	६	सनामुरा	सनामुरा
	७	बेलोनिया	बेलोनिया
	८	सब्राम	सब्राम
विन्ध्य प्रदेश	९	सिधि	सिधि

पश्चिमी रेलवे (शीघ्र लिपिक)

८३८. **श्री एम० बी० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे की छोटी तथा बड़ी लाइनों पर विभिन्न वेतन-श्रेणियों में नियुक्त शीघ्रलिपिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) निश्चित वेतन-श्रेणी ८०-२२० रु० से अधिक वेतन में नियुक्त किये गये शीघ्रलिपिकों की क्या योग्यतायें हैं तथा उन्हें कहां कहां नियुक्त किया गया है; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी रेलवे की बड़ी लाइनों पर शीघ्रलिपिकों के छोटी लाइनों पर नियुक्त किए शीघ्रलिपिकों की तुलना में उच्च-वेतन श्रेणियां दी गई हैं, तथा यदि ऐसा है, तो इन वेतन-श्रेणियों में असमता के क्या कारण है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) तक । छोटी लाइन तथा बड़ी लाइन पर तथा पश्चिमी रेलवे के प्रधान कार्यालय में काम कर रहे शीघ्रलिपिकों की संख्या इस प्रकार से है:—

	नौकरियों की संख्या			
निर्वाचित वेतन-श्रेणी रु०	प्रधान कार्यालय (बड़ी तथा छोटी लाईनों के सांझे)	बम्बई हलका (बड़ी लाइन)	अजमेर तथा गोंडल हलका (छोटी लाईन)	कुल
२६०-१५-३५०	२	..	..	२
२००-१०-३००	१६	१	२	१९
८०-५-१२०-क्षमता रोक ८-२००-१०-२२०	५६	४४	६१	१६१

अत एव यह सत्य नहीं है कि बड़ी लाइन कि शीघ्रलिपिकों को उच्च वेतन-श्रेणियों में रखा गया है तथा छोटी लाइन वालों को कम वेतन वाली श्रेणियों में रखा गया है।

(ख) अपेक्षित सूचना से सम्बन्धित एक विवरण नीचे संलग्न किया गया है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११]

यातायात इन्सपेक्टर

८३९.. श्री के० आर० शर्मा : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९ में ओ० टी० रेलवे पर प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षणार्थ भर्ती किए गए उन यातायात इन्सपैक्टरों की संख्या कितनी है जो सफ़लता-पूर्ण अपने प्रशिक्षाणें को पूरा कर चुके हैं परन्तु जिन्हें नियमित पदाली के अन्तर्गत सेवा में नहीं लिया गया है जिसके लिए कि वे भर्ती किय गय थे ?

(ख) उपरोक्त संख्या में से कितने व्यक्ति काम पर लग हुए है तथा कितने व्यक्यों को काम नहीं दिया गया है ?

(ग) उक्त व्यक्तियों को नौकरी न दे सकने का कारण क्या हैं ?

(घ) क्या सरकार इन व्यक्तियों को नियमित पदाली में लेने का विचार रखती है, तथा यदि ऐसा है, तो कब ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). वर्ष १९४९ में भर्ती किय गये ७ जूनियर यातायात इन्सपैक्टर अपना प्रशिणक्ष पूरा कर चुके हैं तथा यातायात इन्सपैक्टरों की पदाली में लिए जाने से पहले १००-५-१२५ रु० के वेतन क्रम में भर्ती कर लिए गये है।

(ग) तथा (घ). इन प्रशिक्षणार्थ भर्ती किये गए व्यक्तियों को इस शर्त पर रखा गया था कि २००-१०-३०० रु० वेतन-श्रेणी वाले यातायात इन्सपैक्टरों की जगहें खाली होने तक, उन्हें १००-५-१२५ रु० के वेतन पर काम करना होगा। उनकी भर्ती के समय ऐसा विचार नहीं था कि उन्हें यातायात इन्सपैक्टरों के स्थानों पर कुछ वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के स्थान पर लगाया जायगा। इन प्रशिक्षणार्थ भर्ती किए गये व्यक्तियों को यातायात इन्सपैक्टरों के स्थानों के खाली होने पर उचित मे नियनियमित पदाली में ले लिया जायगा।

दक्षिण-पश्चिमी खाड़ी बंगाल में बवण्डर

८४०. श्री एस० सी० सामन्त : (क) क्या संचरणें मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण-पश्चिमी खाड़ी बंगाल में हाल के बवंडर से तार तथा टलीफ़ोन के संचरण सदस्यों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तथा उन्हें कुछ हानि पहुंची थी ?

(ख) प्रभावित स्थानों के नाम क्या हैं तथा कितने दिनों तक प्रत्यक्ष संचरण साधन उपलब्ध नहीं थे ?

(ग) बवंडर के दिनों में अन्तरिक्ष-विज्ञान सम्बन्धी पूर्वकथन क्या थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). जी हां। तिरुचिरापल्ली, तंजोर तथा रामनद जिलों में दूरवर्ती लाईनों को भारी हानि पहुंची थी जो लाइनों पर वृक्षों के गिरन तथा मैदानों में तार के खम्बों के उखड़ जान के कारणें थी। त्रिचुरा-पाल्ली तथा तिरुचिरापाल्ली के पूर्वी और दक्षिणी तट की ओर परे तक ३० नवम्बर १९५२ के शाम के छः बजे के क़रीब सब संचरण साधन कट चुके थ। उन क्षत्रों को इन साधनों को फ़िर से चलान में सात दिन लग गए थे।

(ग) अन्तरिक्षविज्ञान विभाग ने बवंडर का समुद्र में आरम्भ होते ही पता लगा लिया था तथा बाद में स्थिति पर कड़ी निगाह रखी थी। मद्रास के अन्तरिक्षा विभाग ने समय समय पर पूर्व कथन प्रकाशित किएजनता,

पत्तनों, ज़िला अधिकारियों तथा अन्य स्थानीय हितों को आल इण्डिया रेडियो तथा प्रेस द्वारा बवंडर के बनने तथा आगे बढ़ने और इससे तेज़ तूफ़ानी हवा और भारी वर्षा के होने के बारे में खबरदार किया था।

संगत पूर्वकथनों की प्रतियां सदन-पटल पर रखी जाती हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई हैं। देखिये संख्य पी० १०५।५२**]

अरेबियन सागर में प्रकाश-स्तम्भ

८४१. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **क्या यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि कच्छ खाड़ी से परे उत्तरी अरेबियन सागर में प्रकाश स्तम्भ के बनाए जाने की योजना को कहां तक सफ़लता प्राप्त हुई है ?

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय के होन का अनुमान किया जाता है ?

(ग) क्या किसी स्थान के बारे में अन्तिम रूप में फैसला हो चुका है तथा यदि ऐसा है तो कहां पर ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अनुमान किया गया है कि माननीय सदस्य का निर्देश लूशिंगटन शोल्स समुद्र खण्ड पर एक प्रकाश-स्तम्भ के बनाने की प्रस्तावना की ओर है। उस क्षत्र सामुद्रिक परिमाप हो चुका है तथा एक प्रारम्भिक प्ररचना तैयार की जा चुकी है। प्रस्तावित प्ररचना के उपयुक्त होने के बारे में नमूनों के अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) परियोजना का अनुमानित व्यय ५०.७१ लाख रुपये है, परन्तु नमूनों के अध्ययन के विचार से इस में परिवर्त हो सकता है।

(ग) जी हां। ओखा पत्तन से प्रस्तावित स्थान कोई २० मील उत्तर-पश्चिम की ओर है।

पेराम्बर कोच फेक्टरी (भर्ती)

८४२. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलान की कृपा करेंग कि क्या यह सत्य है कि दक्षिणी रेलवे के महाप्रबन्धक को श्री एम० कल्याणसुन्द्रम, सदस्य मद्रास विधान-सभा ने हाल में प्रतिनिधान किया है कि पैरान्बर कोच फ़ैक्टरी में भर्ती के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनी हेंई हैं ?

(ख) यदि एसा है तो इन अभियोगों की जांच करनें के क्या उपाय किए गए हैं ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में लोक-प्रिय सस्थाओं तथा व्यक्तियों से और गवाहियों तथा प्रमाणों पर विचार करेगी ?

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखगी जिसमें उक्त फ़ैक्टरी के सम्बन्ध में भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बतलाई गई हो ?

(ङ) भर्ती की व्यवस्था के ब्यौरे क्या हैं ;

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पराम्बुर की एकीकृत कोच फ़ैक्टरी मुख्य इंजीनियर के प्रशासनीय नियंत्रणें के अधीन है जो सीधे रेलवे बोर्ड को उत्तरदायी हैं।

मुख्य इंजीनियर को एकीकृत कोच फ़ैक्टरी, पराम्बुर में भर्ती के सम्बन्ध में श्री एम०कल्याणसुन्द्रम से कोई प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते हैं।

(घ) एकीकृत कोच फ़ैक्टरी के लिए भर्ती एक प्रकार से आरम्भ नहीं हुई है, परन्तु निर्माण परियोजनों के सम्बन्ध में निम्न कर्मचारियों को भर्ती किय गया है :

श्रेणी ३	१२८
श्रणी ४	८१
दैनिक मजदूरी पर	२१३

(ङ) श्रेणी ३ के कर्मचारियों के भर्ती करने के नियमों तथा प्रक्रिया का उल्लेख संगत वैभागिक संहिताओं तथा समय समय पर जारी किए गए आदेशों में किया गया है। श्रेणी ३ के कर्मचारियों को इस अभिप्राय से स्थापित किए गए रेल सेवा आयोगों द्वारा भर्ती किया जाता है। मासिक वेतन पाने वाले श्रेणी ४ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भर्ती मुख्य इंजीनियर द्वारा मनोनीत अधिकारियों का चुनाव समिति करती है। प्रार्थनापत्रों को सीधे भेजने वालों तथा उन क्षेत्रों के सेवायोजनालयों के मनोनीत उम्मीदवारों से यह समिति मुलाकात करती है तथा सामान्यतः अपेक्षित संख्या से दस गुणा संख्या पर विचार करती है। निर्वाचन कार्यों के सम्बन्ध में थोड़े समय के लिये रखे जाने वाले सामयिक मजदूरों की भर्ती सामान्य रूप से ज्येष्ठ प्रभारी अधीनअधिकारी करता है।

विशेषाधिकार पास सुविधाएं

८४३. **श्री निम्बयार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों की विशेषाधिकार पास सुविधाओं को कम करने के आदेश जारी किये हैं तथा यदि ऐसा है तो क्या सरकार सदन पटल पर इस आदेश की एक प्रति रखेगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने पर हर पांच वर्षों में एक बार पास दिए जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस से पहले चतुर्थ श्रेणियों को हर वर्ष पास दिए जाते थे तथा यदि नहीं तो सेवानिवृत्ति होने पर हर व्यक्ति को कितने पास दिये जाते थे ; तथा

(घ) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुराने पास नियमों को फिर से लागू करने के प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) प्रथम मार्च, १९४८ से रेल के घोषित पदाधिकारियों को दिये जा रहे १२ पासों को ६ पास प्रति वर्ष कर दिया गया था। जहां तक घोषित अधिकारियों के अतिरिक्त दूसरे अधिकारियों का सम्बन्ध है सरकारी रेलवे पासों सम्बन्धी नियमों के लागू होने से उन मामलों में भी इनकी संख्या में कमी कर दी गई थी जहां कि पूर्वतन नियमों के अन्तर्गत इनकी संख्या अधिक उदार आधार पर निश्चित की गई थी। सरकारी रेलवे पासों सम्बन्धी नियमों को पूर्ववर्ती आसाम बंगाल तथा बम्बई बड़ोदा तथा सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे पर प्रथम जनवरी १९४२ से लागू कर दिया गया था तथा पूर्ववर्ती अवध तिरहुत बंगाल नागपुर, मद्रास तथा दक्षिणी महराट्टा तथा दक्षिण भारतीय रेलवे पर प्रथम मार्च, १९४८ से लागू किया गया था। जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विशेषतया सम्बन्ध है, उक्त कम्पनी रेलों के सरकार द्वारा लेते समय पास सम्बन्धी सरकारी नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के उपरान्त वे इन पासों के पाने के पात्र नहीं थे। इस प्रकार से सरकारी सेवा में लिए गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जो इन पासों के पाने के पात्र थे, कुछ समय के लिये इस विशेषाधिकार से वंचित होना पड़ा। अधिकारियों के लिए स्वीकृत पासों की संख्या में कमी तथा पूर्वोक्त कम्पनी रेलों पर पासों सम्बन्धी सरकारी नियमों के लागू होने के विषयों पर जारी किये आदेशों की प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सरकारी रेलों पर ३० वर्ष सेवा वाले सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रथम जनवरी, १९३७ तक, जिस तिथि से कि यह विशेषाधिकार हटा लिया गया है, होमलाइन' पर वर्ष में पासों का एक 'सेट'

पाने का अधिकार था। फ़िर भी २४ मार्च, १९५२ से लेकर सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों को प्रत्येक पांच वर्ष में एक 'सेट' मिलता है जिसका प्रयोग वे गृह तथा बाहिर की लाइनों पर कर सकते हैं। जहां तक पूर्ववर्ती कम्पनी रेलों का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार से थी।

(१) पूर्ववर्ती ओ० टी० रेलवे। प्रथम मार्च, १९४८ से पहिले, २० वर्ष सेवा वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गृह लाईनों पर पासों का एक सेट प्रति वर्ष।

(२) पूर्ववर्ती दक्षिण भारतीय रेलवे प्रथम मार्च, १९४८ से पहले १५ वर्ष सेवा वाले सेवानिवृत कर्मचारियों को पासों का एक सेट प्रति वर्ष तथा २० वर्ष सेवा वाले कर्मचारियों को पासों के दो सेट प्रति वर्ष।

(३) पूर्ववर्ती एम० एण्ड एस० एम० रेलवे। प्रथम मार्च १९४८ से पहले कोई निश्चित संख्या विद्यमान नहीं थी। २५ वर्ष वाले सेवानिवृत कर्म-चारियों को केवल गृह लाईन पर 'चेक' पास दिए जाते थे जो बात महाप्रबंधक के विवेक पर निर्भर करती थी।

(४) पूर्ववर्ती बी० एन० रेलवे। प्रथम मार्च, १९४८ से पहले कोई निश्चित संख्या विद्यमान नहीं थी। सेवा की किसी अवधि का विचार किए बिना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पासों का एक सेट मिलता था जो बात महाप्रबन्धक के विवेक पर निर्भर करती थी।

(५) पर्ववर्ती ए० बी० रेलवे। प्रथम जनवरी, १९४२ से पहले गृह लाईन पर २५ वर्ष सेवा वाले सेवानिवृत्त कर्म-चारियों को पासों का एक सेट प्रति वर्ष दिया जाता था।

(६) पूर्ववर्ती बी० बी० एन्ड सी० आई० रेलवे। पासों सम्बन्धी नियमों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके लिये पासों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है

(घ) जी हां।

कलकत्ता तथा बम्बई के बीच जनता एक्सप्रेस गाड़ियां

८४४. **श्री जांगड़े** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सभी स्थानीय मुसाफिर गाड़ियों तथा मध्य प्रदेश में पूर्वी रेलवे पर द्वितीय महा युद्ध से पहले चलने वाली शटल गाड़ियों को फिर से चालू कर दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं तो कितनी गाड़ियों का चलाया जाना अभी बाक़ी है ?

(ग) क्या नागपुर के रास्ते कलकत्ता से बम्बई तक किसी जनता एक्सप्रेस तथा बिलासपुर से या रायगढ़ से गोंडा या रायपुर तक किसी स्थानीय गाड़ी के चलाए जाने का विचार किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तीन

(ग) डिब्बों तथा बिजली के बराबर मिलते रहने, तुलनात्मक प्राथमिकता से निम्न गाड़ियों के चालू करने की प्रस्थापना की गई है :

(१) नागपुर के रास्ते हाबड़ा तथा बम्बई के बीच जनता एक्स-प्रेस ।

(२) डोंगर गढ़ तथा बिलासपुर के बीच एक हलकी गाड़ी ।

(३) आमगांव तथा गोंदिया के बीच दो स्थानीय गाड़ियां । कुछेक दूसरे स्थानों पर चलाई जाने वाली गाड़ियों को सूची में इससे भी अधिक प्राथमिकता दी गई है ।

रेलवे बस्ती गोल्डन राक

८४५. **श्री नम्बियार :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कि क्या यह सत्य है कि रेलवे बस्ती गोल्डन राक (दक्षिणीं रेलवे) में दाखिल होने वाली किराये की हर मोटर गाड़ी, टैक्सी, बैलगाड़ी, जटका आदि से कर वसूल किया जाता है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार पर एक विवरण के रखने का विचार करती है जिस में इस प्रकार के करों की दरों का उल्लेख हो ?

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि इन गाड़ियों द्वारा अन्यथा दिये जा रहे करों के अतिरिक्त इन करों को भी वसूल करती रहे ?

(घ) क्या ऐसी बस्तियों में रहने वाले रेल कर्मचारियों ने ऐसे करों के बंद किए निधान किए हैं ?

यह सत्य है कि इन बस्तियों में ठेले पर या सिर पर वस्तओं को लाने वाले फेरी वालों तथा व्यापारियों से भी वैसा ही कर लिया जाता है ?

(च) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार इन करों को बन्द करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बस्ती में दाखिल होंने वाली टैक्सियों, ठेलों, जटकों तथा अन्य मुसाफिरों की गाडियों से कोई लाइसेंस की फीस वसल नहीं की जाती है, परन्तु वस्तुओं के लाने वाली लारियों या ठेलों से तथा प्रचार के अभिप्राय से प्रयोग में लाई जाने वाली कारों या छकडों आदि से बस्ती में दाखिल होने के लिये लाइसेंस की फीस ली जाती है । छोटे मार्ग का लाभ उठाने के लिये बस्ती में दाखिल हुई गाडियों से बस्ती से बाहर जाते समय शुल्क लिया जाता है ।

(ख) बस्ती में दाखिल होने वाली गाडियों से वसूल की जा रही दरें इस प्रकार से हैं :—

गाडी का वृत्तांत	एक फेरे की दर	प्रति मास दर
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१—वस्तुएं लाने वाली लारियां	१ ० ०	२० ० ०
२—वस्टूएलाने वाले टेले	० ३ ०	४ ० ०
३—व्यापारिक या प्रचार के अभि-प्राय से लाए जाने वाले ठेले आदि	० ८ ०	...

बस्ती से गुजरने वाली गाडियों से निम्नलिखित शुल्क लिय जाते हः—

गाडी का वृत्तात	एक फेरे की दर	प्रति मास दर
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१—मोटर कारों तथा टैक्सियों	० ८ ०	...
२—स्वयं-चल रिक्षा	० ४ ०	५ ० ०
३—जटका तथा बैल गाडियां	० ३ ०	४ ० ०

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां। फेरी वालों से तथा व्यापारियों से जो इस बस्ती में ठेलों में या सिरों पर वस्तुए लात हैं, विभिन्न दरों पर लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है।

(च) जी नहीं।

रेलवे वर्कशाप

८४६. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी रेलवे वर्कशाप में बायलर या इंजन भी बनाए जाते हैं?

(ख) यदि ऐसा है तो किस किस वर्कशाप में तथा वर्ष भर में वे कितने बायलर या इंजन आदि तैयार कर लेते हैं?

(ग) प्रत्येक पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) चितरंजन के इंजन बनाने के कारखाने में जिसकी अगले १२ मास में बनाये जाने वाले इंजनों की औसत सभी प्रकार से पूर्ण एक इंजन प्रति सप्ताह है।

(ख) इस समय चितरंजन पर बनाये जा रहे इंजन के औसत मूल्य का अनुमान ५·३५ लाख रुपये है।

पटसन

८४७. श्री पी० टी० चाको : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन में पटसन के उत्पादन सम्बन्धी प्रयोग किये गये थे; तथा

(ख) वे कहां तक सफल हुए?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). १९४९ में किये गये प्रयोगों से पता चला कि त्रावणकोर में पटसन को सफलतापूर्वक बोया जा सकता है। त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने तदनुसार १९५० में राज्य की १०,००० एकड़ भूमि में नदी नालों के अतिरिक्त पानी से दोहरी फसलों को उगाने का फैसला किया। असामान्य ऋतुके कारण पटसन के उगाने में बहुत विलम्ब हो गया तथा ऊंचे क्षेत्रों में केवल ८०० एकड़ भूमि में ही पटसन उगाई जा सकी थी क्यों कि निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी थी। इस विचार से भारत सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन में पटसन की अग्रेतर खती का काम हाथ में नहीं लिया है।

मद्रास तथा बेजवाडा के बीच गाड़ियों में भीड़

८४८. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेल मन्त्री ३ दिसम्बर, १९५२ को पूछ गये तारांकित प्रश्न ८८३ के उत्तर से उत्पन्न हुए मेरे अनुपूरक प्रश्न का निर्देश करके यह बतलायेंगे कि :

(क) मद्रास तथा बेजवाडा के बीच गाड़ियों म भीड़ को कम करने के उपाय व्यय किए जा रहे हैं;

(ख) इस बारे में कुल कितना व्यय किया जा रहा है; तथा

(ग) भीड को कम करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) विभिन्न घिरावों को बढ़ाने का काम, जिससे कि अधिक अन्तर पर गाडियों चलाई जा सकें, इस समय हो रहा है। बेजवाडा तथा मद्रास के बीच भीड़ को कम करने के लिये किए जा रहे उपाय इस प्रकार से हैं :

(१) बेजवाडा स्टेशन को नये नमूने का बनाना।

(२) मद्रास की ओर कृष्णा नदी के पुल के परे छोटी लाइन का बड़ी लाइन से पृथक् करना।

(३) आमने सामन गुजरने के अधिक स्टेशनों की व्यवस्था।

(४) यदि उचित जांच के बाद ठीक जान पड़ा तो गुदूर रेजीगुन्ता खण्ड का बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना।

(ख) लगभग ४ करोड रु० का व्यय किया जाएगा।

(ग) इन सब कामों को पूरा करने में लगभग ३ वर्ष लग जायेंगे।

रेल डिब्बे का दिया जाना

८४९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५१ से मार्च, १९५२ तक प्रत्येक मास में रायपुरम, पोडानर तथा बेजवाडा जिला म लोगों को दिए गए रेल डिब्बों की संख्या कितनी थी ;

(ख) सरकार को अनाज को लाने ले जाने के लिये दिये गये तथा व्यापारियों को दिये गय डिब्बों की संख्या कितनी थी; तथा

(ग) क्षेत्र वार व्यवस्था के पूरा करने से पहले भूतपूर्व दक्षिण भारतीय रेलवे तथा भूतपूर्व एम० एण्ड एस० एम० रेलवे पर रोज कितनी माल गाडियां चलती थीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रायपुरम, बेजवाडा तथा पोडानार जिलों को जून, १९५१ से मार्च, १९५२ तक प्रत्येक मास दिए गए रेल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :

मास	रायपुरम जिला	बेजवाडा जिला	पोडानर जिला
जून, १९५१	९६१०	४०५०	सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं
जुलाई, १९५१	१०३५९	३६२८	१२६०७
अगस्त, १९५१	१०१०५	२८१२	१२७९६
सित०, १९५१	९५३०	३८१०	१२७९०
अक्तूबर १९५१	९५६६	३६७४	११७२६
नवम्बर, १९५१	९६१०	३५३०	१०४४०
दिस०, १९५१	९९७६	३६०२	१०१७५
जनवरी, १९५२	८८३५	४१२६	१०३७३
फरवरी, १९५२	७५१८	३६२०	८७६९
मार्च, १९५२	७८६०	३९१२	९७७७

(ख) मद्रास राज्य में अनाज के नियन्त्रण को जन १९५२ से हटाया गया था। इससे पहले इस क्षेत्र से अनाज के लाने ले जाने का सब खर्च सरकार पर पड़ता था।

(ग) भूतपूर्व दक्षिण भारतीय तथा एम० एन्ड एस० एम० रेलवे का एकीकरण अप्रैल, १९५१ म हुआ था। जन, १९५०

से मार्च, १९५१ तक चलाई गई माल गाड़ियों की संख्या इस प्रकार से है :

जिला	जून, १९५० से मार्च, १९५१ तक	जून, १९५१ से मार्च, १९५२ तक
रायपुरम	२२२	२२३
बेज़वाड़ा	२३९	२५०
पोडानर	२४६६	२२०१

रेलवे-लाइन

८५०. श्री बी० एस० मूर्ति: क्या रेल मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले महायुद्ध में तोड़ी गई रेल की लाइनों की संख्या तथा कुल मील संख्या कितनी थी;

(ख) पिछले महायुद्ध के बाद फिर से बनाई गई रेलों की संख्या, कुल मील-संख्या तथा व्यय की राशि कितनी है; तथा

(ग) किस किस नई रेलवे लाइन के बनाने का विचार किया गया है अथवा कौनसी रेलवे लाइन बनाई जा रही है, कुल मील संख्य कितनी है तथा इसके लिये दी गई कुल राशि कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल गेशन) : (क) से (ग) तक। अपेक्षित सूचना के सम्बन्धमें एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२]**

अर्णाकुलम-किलोन रलवे लाईन

८५१. श्री ए० एम० टामस : (क) क्या **रेल** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय अर्णाकुलम-किलोन रेल कड़ी की निर्माण कार्य सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष से पहले कितना धन व्यय किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) मीलों के कुछ नम्बरों के बीच के अन्तर पर जहां कि अन्तिम परिमाप कार्य समाप्त हो चुका है काम को आरम्भ करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ख) लगभग ३५ लाख रुपये के, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है, व्यय किये जाने की आशा की जाती है।

मध्य प्रदेश में चावल का समाहार

८५२. श्री के० जी० देशमुख : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगे कि वर्ष १९५२ में भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार से चावल की कुल कितनी मात्रा का समाहार कर सकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १५ दिसम्बर १९५२ तक १२३,७०० टन।

भारत अमरीका टेकनीकल सहयोग समझौता

८५३. श्री ए० एन० विद्यालंकार : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २७ नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर का निर्देश करेंगे तथा बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत अमरीका टेकनीकल सहयोग समझौते के अन्तर्गत निधियों के व्यय की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किये गये अमरीकी संचालक तथा उनके विशेष दल को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

(ख) क्या ये सुविधायें पारस्परिक हैं तथा क्या ये सुविधायें अमरीका में सम्भवत: उसी प्रकार के कर्त्तव्य पर नियुक्त भारतीय अधिकारियों को भी दी गई हैं ?

(ग) यदि ऐसा है तो इस प्रकार के कर्त्तव्य पर नियुक्त भारतीय अधिकारियों के नाम तथा उनके पदों के नाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस निधि का सहमति से पूरा किये जाने वाली योजनाओं में प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं प्रवर्तनात्मक करारों की ओर ध्यान दिलाता हूं जिनकी प्रतियों को प्रश्न संख्या ७१३ तथा २५३ के उत्तर में क्रमशः ११ तथा २५ जून, १९५२ को सदन पटलपर रखा गया था।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते।

सिंचाई परियोजनाएं

८५४. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले बहुत से मज़दूरों आदि पर विभिन्न श्रमिक कानन लागू नहीं होत हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि विशेषतः बांधों के स्थान पर किया जा रहा कार्य बहुत कठिन है तथा दुर्घटनाओं की संख्या तुलनात्मक अधिक है;

(ग) उन स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं की रक्षा के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है; तथा

(घ) क्या सरकार को प्रतिष्ठित व्यापारिक संघों से ऐसा प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है जिसमें इन क्षेत्रों को फ़ैक्टरी क्षेत्र घोषित करने की प्रार्थना की गई है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये कहा गया है तथा, यदि ऐसा है तो सरकार ने इस विषय में क्या फ़ैसला किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ) तक। राज्य सरकारों से सूचना का संग्रह किया जा रहा है तथा उचित समय में उसे सदन पटल पर रखा जायगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या ७८०, दिनांक २७ नवम्बर, १९५२ की, ओर, जो कुछ मुख्य नदी घाटी योजनाओं में नियुक्त मज़दूरों पर कुछ श्रमिक कानूनों के लागू होने के बारे में है, आकर्षित करना चाहता हूं।

फाबेंसगंज राझोपर रेलवे लाइन

८५५. श्री एल० एन० मिश्र : (क) क्या **रेलवे** मन्त्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या सरकार से फ़ाबेंसगंज राझोपुर रेलवे लाइन को बिहार में प्रतापगंज के मार्ग से (उत्तर पूर्वी रेलवे) फिर से बनाने का कोई विचार किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में या उपाय किये गये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत की केन्द्रीय पटसन समिति ने बिहार के इस विशेष क्षेत्र के पटसन उत्पादकों को कुछ रेलवे लाइनों द्वारा यातायात की सुविधाओं के देने का सुझाव दिया है ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच हो रही है।

(ग) दिसम्बर १९४९ में भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने सुझाव दिया था कि :

(१) कटिहर—मुरलीगंज खण्ड को बढ़ा कर मधेपुरा के मार्ग से सहर्सा तक ले जाया जाय।

(२) सहर्सा से परसराम की रेल की लाइन को सुपाल के मार्ग से निर्मली तक ले जाया जाय।

(३) मसी सहर्सा लाइन को सारे वर्ष में पुलों को बना कर जहां कहीं उनकी आवश्यकता हो, काम योग्य बनाना।

इन सुझावों पर केन्द्रीय यातायात परिषद ने अपनी २५–७–५१ की बैठक में विचार किया था तथा उन्होंने यह फ़ैसला किया था

कि मुर्लीगंज---मधेपुरा लाइन को आरम्भ किया जाय। काम में प्रगति हो रही है।

कच्ची लाख

८५६.---**श्री जसानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ३ दिसम्बर, १९५२ को मेरे द्वारा पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या ८९० का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कच्ची लाख के उन उत्पादकों तथा कृषकों को संरक्षण देने के क्या उपाय किए हैं जिन्हें 'शैलेक मार्केट' पर सट्टाबाजों की क्रियाशीलताओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से बहुत क्षति उठानी पड़ी है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भरतीय लाख उपकर समिति ने सिफ़ारिश की है कि कलकत्ता शीलेकएक्सचेंज, लिमिटेड (कलकत्ता लाख विनिमयालय, लिमिटेड) द्वारा लाख में सट्टेबाज़ी को बन्द कर दिया जाय तथा कि लाख में वायदे के सौदों को वायदे के सौदे नियमन अधिनियम के अन्तर्गत नियमित किया जाय। सरकार ने बिहार तथा मध्य प्रदेश सरकारों को भी अपने मत प्रकट करने के लिये कहा है जो कि मुख्य लाख उत्पादक राज्य है। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। भारतीय लाख उपकर समिति ने भारत में लाख की खपत को और बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है उन्होंने निर्यात की गई लाख पर निर्भरता को कम करने के लिये भी कहा है। बिहार सरकार ने भी इस प्रश्न को राज्य स्तर पर जांच करने के लिये एक उपसमिति की स्थापना की है। ये समिति निवारक उपायों सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत करेगी।

छोटे सिंचाई कार्य

८५७. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से उस राज्य में चालू वर्ष में आरम्भ किये जाने वाले सिंचाई के छोटे छोटे कार्यों के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राज्य के लिये डेढ़ करोड़ रुपया छोटे सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में मंजूर किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) अभी तक ४०,४५,५०० रु० अनुरूप से मंजूर किया गया है तथा ४४ ४५ लाख रु० का और ऋण अभी विचाराधीन है।

रेलवें-पुल

८५८. **स्वामी रामानन्द शास्त्री** : क्या **रेल** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कालपी मुरादाबाद और बालाबाली के रेलवे पुलों को इस प्रकार का बनाने के लिये पग उठा रही है, जिस से वे यातायात की दूसरी सवारियों के लिये भी कार्यक्षम हो जायें; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह करने का अधिकार राज्य सरकार को है और उस दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सुविधाय दी जायेंगी।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) कालपी पुल के सम्बन्ध में निजी कारों को पुल पर बनी सड़क के दोनों ओर के मार्गों के मौनसून ऋतु में दिन के समय सीमित अवकाशों में प्रयोग की अनुमति देने पर विचार हो रहा है।

(२) मुरादाबाद पर रामगंगा पुल पर ठेलों आदि के लिये पहल से एक सड़क का पुल बना हुआ है।

(३) बालावाली स्थान के पुल के सम्बन्ध में इस समय कोई सड़क आदि का

मार्ग नहीं बना है तथा न ही उनके बनाने का विचार किया गया है क्योंकि लोहे के गर्डरों पर ज़ोर पड़ेगा।

(ख) काल्पी तथा बालावाली पुलों के विद्यमान गर्डर पर एक सामान्य सड़क मार्ग का बोझ सहन नहीं कर सकते। अतएव इन पुलों पर सामान्य सड़क यातायात का बोझ डालने अथवा राज्य सरकारों को इनमें परिवर्तन करने की अनुमति देने के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

रेलवे की ज़मीनें

८५९. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों के दोनों ओर रेलवे की कितनी फालतू ज़मीनें पड़ी हैं जिन्हें कि 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' के अन्तर्गत रायबरेली के ज़िला मजिस्ट्रेट को किसानों को खेती के लिये पट्टे पर देने के अभिप्राय से सौंप दिया गया है; तथा

(ख) अभी तक वस्तुतः कितनी भूमि में कृषि की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) (क) ५·६५ करोड़ एकड़।

(ख) राज्य सरकार से यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक इन ज़मीनों के किसानों को पट्टे पर दिये जाने के अन्तिम प्रबन्ध नहीं किये हैं।

मद्रास के लिए अनाज

८६०. **श्री बूवराघसामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करगे कि केन्द्रीय सरकार से मद्रास सरकार ने हाल में अनाज की कितनी मात्रा की मांग की है ?

(ख) मद्रास राज्य ने कौन कौन सा अनाज मांगा है ?

(ग) अभी तक कौन कौन सा अनाज भेजा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक। बम्बई में हाल में हुई चर्चा के दौरान में मद्रास सरकार ने २०,००० टन अधिक बाजरे की मांग की तथा १९५३ में अपने आयात के अभ्यंश के अन्तर्गत ४०,००० टन चावल की भी मांग की थी। इस प्रार्थना के सम्बध में १५,००० टन ज्वार तथा १८,७०० टन चावल दिये जा चुके हैं तथा उक्त सरकार उन्हें उठाने का प्रबन्ध कर रही हैं। हम उन्हें इससे भी अधिक चावल तथा बाजरे के देने की सम्भावना पर विचार कर रहे है।

भूमि का कपास तथा गन्ने की खेती में काम में लगाना

८६१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ में पंजाब में गेहूं की खेती वाली कितनी एकड़ भूमि में कपास तथा गन्ने की खेती की गई थी; तथा

(ख) इस प्रकार के परिवर्तन से उगाई गई अतिरिक्त कपास तथा गन्ने की मात्रा कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई): (क) वर्ष १९४९–५० से वर्ष १९५१–५२ तक पंजाब में गेंहूं से हटा कर किसी ज़मीन में कपास तथा गन्ने की खेती नहीं की गई हैं, क्योंकि इन वर्षों में उक्त फसलों में कृष्याधीन भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि ही होती रह है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

बी० सी० जी० केन्द्र

८६२. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) पंजाब में बी० सी० जी० केन्द्रों की कुल कितनी संख्या है तथा वे किन किन स्थानों में काम कर रहे हैं; तथा

(ख) वर्ष १९५२ में इन केन्द्रों में कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया था ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इस समय बी० सी० जी० टीकों के कार्यक्रम को पंजाब के इन जिलों में पूरा किया जा रहा है:—

१—अम्बाला
२—अमृतसर
३—फिरोज़पुर
४—गुड़गांव
५—हिसार
६—जालन्धर
७—करनाल
८—लुधियाना
९—रोहतक
१०—शिमला

(ख) बी० सी० जी० कोई चिकित्सा-प्रणाली नहीं है बल्कि एक निवारक टीका है। वर्ष १९५२ में (नवम्बर, १९५२ तक) १,३७०,८६३ व्यक्तियों की अन्तड़ियों आदि का परीक्षण किया जा चुका ह जिसमें 'ट्यूबरक्यूलाइन नैगेटिव' वाले ३८४,४४६ व्यक्तियों को बी० सी० जी० टीका दिया गया था।

डाकघर

८६३. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में कितनें डाकघरों में सेविंग (बचत) बैंकों का लेन देन होता है; तथा

(ख) क्या सरकार उन डाकघरों में इन सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है जिनमें कि यह इस समय विद्यमान नहीं हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१-३-१९५२ में पंजाब में बचत बैंकों का लेन-देन करने वाले डाक घरों की संख्या इस प्रकार से थी :

प्रधान डाकघर	१३
छोटे डाकघर	३८४
शाखा डाकघर	१९१

(ख) जी हां। २४ और डाकघरों को बचत बैंकों का लेन-देन कार्य करने के अधिकार देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

नए डाकघर

८६४. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९५२ में कितनें नए डाकघर, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये थे;

(ख) होशियारपुर तथा कांगड़ा ज़िलों में खोले गये नए डाकघरों, तारघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) होशियारपुर तथा कांगड़ा ज़िलों में विद्यमान डाकघरों तथा तारघरों की संख्या कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क)—

डाकघर	१११
तारघर	३१
टेलीफोन एक्सचेंज	५
(ख) डाकघर	२०
तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज	कोई नहीं
(ग) डाकघर	६३८

तारघर	४८
टेलीफोन एक्सचज	२

पंजाब में टेलीफोन

८६५ **प्रो डी० सी० शर्मा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब के टेलीफोन अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि एसा है तो कारण क्या है; तथा

(ग) सरकार ने त्रुटियों को दूर करने के क्या उपाय किये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। सदन पटल पर एक विवरण रखा गया है जिससे यह पता चलता है कि टेलीफोन के कनैक्शन वाले प्रत्येक व्यक्ति की दर शिकायतों की संख्या कोई अधिक नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है।

विवरण

वर्ष	पंजाब क्षेत्र में ३१ मार्च के दिन एक्सचेन्ज संख्या	काम कर रहे कनैक्शनों की संख्या प्रत्यक्ष	एक्स-टेन्शन	योग	कनक्शन वालों की शिकायतों की कुल संख्या	प्रति कनक्शन मालिक की शिकायतों की मासिक संख्या
१९४९-५०	३६	३४२९	६६३	४०९२	१९०९४	०·४१
१९५०-५१	५५	३९४९	७९२	४७४१	२१४९६	०·३८
१९५१-५२	६१	४८१६	९१५	५७३१	१७६१२	०·२५

पंजाब के लिए रेलवे की नई लाइनें

८६६. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में उखाड़ी गई रेल की लाइनों को पुनः बनाने तथा नई लाइनों के बनाने में कोई सिफारिशें की हैं; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई पग उठाये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत कुछेक अत्यावश्यक मदों के बारे में।

उत्तरी रेलवे (दुर्घटनायें)

८६७. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१–५२ में उत्तरी रेलवे पर दुर्घटनाओं की कितनी संख्या थी;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए थे;

(ग) मृतकों की संख्या कितनी थी;

(घ) आम जनता की सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची थी;

(ङ) सरकारी सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई;

(च) सरकार द्वारा दिये गये क्षति-पूर्ति धन का अनुमान; तथा

(छ) इन दुर्घटनाओं के कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) स्पष्टत: 'उत्तर रेलवे' से 'पूर्वी पंजाब रेलवे' का अभिप्राय है ।

(२) पूर्वी पंजाब रेलवे पर भीषण रेल दुर्घटनायें हुई थीं । भीषण दुर्घटनायें वे दुर्घटनायें हैं जिनमें मानव जीवन की क्षति हुई हो तथा/या गहरे घाव आए हों तथा/या प्रत्येक दुर्घटना म रेलवे सम्पत्ति की २०,००० रु० या इससे अधिक की हानि हुई हो।

(ख) १७।

(ग) १।

(घ) जहां तक विदित है, १६,१० रु० की।

(ङ) इंजन डिब्बों तथा रेल-पथ को पहुंची हानि का अनुमान ९३,४०० रु० है।

(च) ३५,९३९/७/० रु० ।

(छ) ड्राइवर आदि का कर्त्तव्य-पालन में असमर्थ रहना।

उत्तरी रलवे (चोरियां)

८६८. **प्रो० डी० सी० शर्मा**: क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी रेलवे में जनवरी १९५२ से नवम्बर १९५२ तक प्रेषित वस्तुओं की चोरियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन चोरियों से सरकार को कुल कितनी हानि हुई थी; तथा

(ग) क्या इन चोरियों में किसी रेल कर्मचारी का भी हाथ था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ६६८।

(ख) इन चोरियों से सरकार को पहुंची हानि का अनुमान उपलब्ध नहीं है । चुराई गई वस्तुओं के मूल्य का अनुमान २,०३,०१५ रु० पर किया जाता है।

(ग) जी हां। २१ रेल कर्मचारियों का भी इसमें हाथ था।

भारतीय रेलों की शताब्दी प्रदर्शनी

८६९. **श्री सरमा**: (क) क्या रेल मंत्री ९ अक्तूबर, १९५२ को भारतीय रेलों की शताब्दी प्रदर्शनी के विषय पर प्रकाशित 'प्रेस' टिप्पणी का निर्देश करके यह बतलायेंगे कि क्या वहां पर प्रदर्शन की वस्तुओं तथा दूकानों आदि को रखने के लिये एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जाने वाला है ?

(ख) (१) लोहे तथा इस्पात, (२) इंटों, (३) पत्थर, (४) सीमेंट तथा (५) जस्ती नालीदार चादरों की अनुमित कुल मात्रा कितनी है जिसकी इस स्टेडियम के बनाने में आवश्यकता पड़ेगी ?

(ग) स्टेडियम के (१) बनाने तथा (२) बनाने के अतिरिक्त प्रदर्शनी पर कुल कितना व्यय होगा ?

(घ) क्या प्रदर्शनी के समाप्त होने पर इस स्टेडियम को किसी और प्रयोजन से बनाए रखा जाएगा तथा यदि ऐसा है तो क्या इसे या इसके किसी भाग को उधेड़ दिया जायगा तथा यदि उधेड़ दिया जायगा तो इसे उधेड़ने आदि पर कितना व्यय होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय रेलों की शताब्दी प्रदर्शी के लिये स्थायी प्रकार की कोई इमारतें नहीं बनाई जा रही हैं। प्रदर्शनी की वस्तुओं के रखने अथवा दूकानों आदि के काम में लाए जाने के लिये बनाए जा रहे सभी रेलवे ढांचे प्रमाणित रेलवे प्ररचना, छतों के स्तम्भ तथा अन्य बनाए गए इस्पात के ढांचों के अनुसार बनाए जायेंगे। प्रदर्शनी के समाप्त होने पर इस्पात के बने सभी ढांचों आदि को उसी रेलवे प्रयोजन से काम में लाया जायगा जिस के लिये कि वह उपयुक्त है, जैसा कि प्लेटफार्मों का छत्तना या माल गोदामों पर या इनका विस्तार करके छत डालना आदि। परन्तु असरकारी प्रदर्शकों द्वारा अपनी वस्तुओं के देखने के प्रबन्ध स्वयं ही किए जा रहे हैं तथा ऐसे ढांचों को सम्बन्धित सार्थों द्वारा बेचने आदि का काम किया जायगा।

(ख) से (घ) तक. उत्पन्न नहीं होते। परन्तु माननीय सदस्य की सूचना के लिये यह बतलाया जा सकता है कि प्रदर्शनी के लिए अस्थायी रूप से अपेक्षित इंटों तथा पत्थरों और इस्पात की सभी जस्ती नाली दार चादरों को बाद में रेलवे के कामों में लाया जायगा।

उड़ीसा के लिए नए डाकघर

८७०. श्री सरमा: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी पांच वर्षों में उड़ीसा में कोई नए डाकघर खोले जायेंगे ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी संख्या तथा श्रेणी क्या होगी ?

(ग) नए डाकघरों के खोलने में किस नीति का अनुसरण किया जाता है ?

(घ) क्या इस नीति में ऐसी भी कोई बात है कि जनता को पहले से नए डाकघरों की हानि की पूर्ति का आश्वासन देना होगा ?

(ङ) यदि ऐसा है तो क्या इस नीति में पात्रता तथा असामान्य मामलों के सम्बन्ध में पृथक् व्यवहार की भी व्यवस्था है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) यह बात उस नीति पर निर्भर करेगी जो समय समय पर उपलब्ध निधियों को सामने रख कर बनाई जाती है। इस समय की नीति यह है कि २००० व्यक्तियों की जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में डाकखाना खोला जाय, शर्त यह है कि किसी डाकघर के सम्बन्ध में ७५० रु० प्रति वर्ष से अधिक हानि न हो। उड़ीसा में इस वर्ष दो और डाकघरों के खुलने से यह कार्यक्रम पूरा हो जायगा।

(ग) **नगर-क्षेत्र**

नए डाकघर विद्यमान डाकघरों में काम की भरमार को कम करने के लिये खोले जाते हैं, परन्तु स्थान के अभाव के कारण कई डाकघर नहीं खोले जा सके हैं।

ग्राम्य-क्षेत्र—

डाकघर तभी खोले जाते हैं यदि वे अपने व्यय को पूरा कर सकें या ऐसा कोई धन प्राप्त हो जिसे लौटाया न जाना हो या जब ग्राम की आबादी २००० हो तथा इससे भी अधिक यह की वार्षिक हानि ७५० रु. से अधिक न हो।

(घ) जी हां, ग्राम्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त (ग) उत्तर के अनुसार।

जहां तक नगर-क्षेत्रों के डाकघरों का सम्बन्ध है, ऐसे किसी अशदान आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। डाकघरों से नफे के प्राप्त होने की आशा की जाती है।

(ङ) जी नहीं।

गोदाम (खाद्यान्नों की हानि)

८७१. **श्री बी० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध प्रकार के उन खाद्यान्नों की जिलावार मात्रा जो गत तीन वर्षों में बिहार में केन्द्र सरकार के गोदामों में सड़ गया ;

(ख) उस कारण सरकार द्वारा उठाई गयी क्षति; तथा

(ग) इस असावधानी के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) कुछ नहीं।

(ख) तथा (ग)। उत्पन्न नहीं होते हैं।

खाद्यान्न के सर्वोत्तम उत्पादन के लिए पुरस्कार

८७२. **श्री बादशाह गुप्ता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में देश भर में विभिन्न खाद्यान्नों के सर्वोत्तम उत्पादन के लिये पुरस्कार दिए गए थे; तथा

(ख) उन्होंने इन खाद्यान्नों में सर्वोत्तम उत्पादन की प्राप्ति के लिये क्या तरीके इस्तेमाल किये थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। एक विवरण जिसमें वर्ष १९५०–५१ में खाद्यान्नों के सर्वोत्तम उत्पादन के प्राप्त करने के लिये पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा उन द्वारा प्रयोग में लाए गए तरीकों का वर्णन है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३**।]

वर्ष १९५१–५२ में अखिल भारतीय आधार पर अभी पुरस्कार नहीं दिये गए हैं। उस वर्ष में विभिन्न राज्यों में दिये गये पुरस्कारों के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

कल्लू घाटी यातायात कम्पनी

८७३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुल्लू घाटी यातायात कम्पनी, लिमिटेड ने उत्तरी रेलवे के नाम में अधिकांश शेयर प्राप्त कर रखे हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार को कुप्रबन्ध तथा दुरुपयोग के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि कई महीनों तक कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन तथा मजदूरी नहीं दी गई है तथा लगभग ५०,००० रु० का (जिसमें कर्मचारियों की भविष्य निधियां भी शामिल हैं) भुगतान किया जाना अभी बाकी है; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर हां में है, तो सरकार इस मामले में क्या पग उठाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, परन्तु विचार किया जाता है कि यह राशि ५०,००० रु० नहीं है तथा कि लगभग ३५,००० रु० है।

(घ) सारे मामले की एक विशेष जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है तथा

इस जांच से प्राप्त हुए परिणामों को सामने रख कर उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

रेलवे प्रशिक्षण विद्यालय

८७४. **श्री बुवराघसामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था की गई है ?

(ख) इस प्रकार के विद्यालयों में दाखिले के क्या नियम हैं ?

(ग) भारत में रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा अजमेर राज्यों में की गई है।

(ख) रेलवे प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना का प्रयोजन रेलवे कर्मचारीवर्ग तथा नियुक्तियों के लिये चुने गये उम्मीदवारों के लिये शिक्षा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना है परन्तु बाहिर के व्यक्तियों के लिए नहीं।

(ग) ३०, जिस संख्या में हाल में उदयपुर में खोला गया एक विद्यालय भी शामिल है।

कुर्ग में धान का समाहार-मूल्य

८७५. **श्री एन० सोमना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५२–५३ के सम्बन्ध में कुर्ग में धान का समाहार-मूल्य निश्चित कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो निश्चित किया गया मूल्य क्या है; तथा

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुर्ग सरकार से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) २०२-०-० रु० प्रति ठेला या ९–४–० रु० प्रति मन।

(ग) जी हां। कुर्ग सरकार ने समाहार-मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि करने के लिये कहा है। मामले पर विचार हो रहा है।

कुर्ग में सिंचाई के छोटे कार्य

८७६. **श्री एन० सोमना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५२ में कुर्ग को सिंचाई के छोटे कार्यों के सम्बन्ध में कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां। ७२,१८७–०–० रु० का एक अनुदान दिया गया है।

अफगानिस्तान को भारतीय विमानों के जाने पर पाकिस्तानी प्रतिबन्ध

८७७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अफगानिस्तान को भारतीय विमानों के जाने पर पाकिस्तानी प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारत द्वारा अन्तराष्ट्रीय नागरिक विमान चालन संस्था में किए गए विरोध का क्या परिणाम निकला है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कई बार स्थगन होने पर भी मामला संस्था की परिषद् में चल रहा है तथा जनवरी, १९५३ में उसके फिर सुने जाने की आशा की जा रही है। इसी बीच उनके परस्पर झगड़ों को, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान चालन संस्था द्वारा भुगताया जाना है

काम करने के लिये भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच प्रत्यक्ष रूप से समझौते की वार्ता हुई है तथा प्रयत्न किया गया है कि यदि सम्भव हो तो उक्त संस्था के किसी निर्णय के बिना, समझौता हो जाय। हाल में जिस प्रतिनिधि मण्डल ने समझौते की वार्त्ता की है, उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बम्बई में नौ-चालन हाता

८७८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई के नौ-चालन हाते का विस्तार करना चाहती है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उस हाते का विस्तार करने पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्रश्न रक्षा मन्त्री से किया जाना चाहिये।

कोयले की खानें

८७८. **ए० श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संघ के प्रत्येक राज्य में पृथक् रूप से कोयले की सरकारी तथा असरकारी कितनी खानें हैं; वे कहां कहां हैं तथा उनके नाम क्या हैं; तथा

(ख) प्रत्येक खान में कितने मजदूरों को नियुक्त किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख)। कुल १०८४ खानें हैं जिनमें औसत से प्रतिदिन ३,५०,००० व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है। इनमें से ११ आसाम में हैं, ७०२ बिहार में हैं, १ बम्बई में, हैदरबाद में ४, मध्य प्रदेश में ६६, उड़ीसा में ७, राजस्थान में १, विन्ध्य प्रदेश में ९ तथा पश्चिमी बंगाल में २८३ खानें हैं। अपेक्षित विस्तृत सूची के तैयार करने में बहुत समय और श्रम लगेगा जिसका प्राप्त परिणाम की तुलना में इतना लाभ नहीं होगा।

अंक ६ वृहस्पतिवार,

संख्या १३ १८ दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र —

रेलवे लेखा प्रतिवेदन, १९५२
भाग १ [पृष्ट भाग २०७५]

सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों
तथा वादों पर की गई कार्यवाही
दर्शाते हुए विवरण [पृष्ठ भाग २०७५—२०७७]

पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प [पृष्ठ भाग २०७७—२१७०]

(मूल्य ६ आने)

150 PSD

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १८ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक दस बजे प्रारम्भ हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-२२ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

रेलवे लेखा प्रतिवेदन, १९५२, भाग १

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): मैं सदन पटल पर रेलवे लेखा प्रतिवेदन, १९५२ भाग १ की एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि रखता हूं। [**पुस्तकालय में रख दी गई देखिये संख्या ४ यू० (क) ७६**]

सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों तथा वादों पर की गई कार्यवाही दर्शाते हुए विवरण

सांसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं सदन पटल पर निम्नलिखित विवरणों को रखता हूं जिन में यह दिखलाया गया है कि सरकार ने विभिन्न सत्रों में किए गये अपने विभिन्न वादों तथा आश्वासनों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है :—

(१) सम्मिलित विवरण (देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध १५) — लोक सभा का १९५२ का द्वितीय सत्र

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १ — लोक-सभा का १९५२ का प्रथम सत्र

(देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध १६)

(३) अनुपूरक विवरण संख्या २ — संसद् का पांचवां सत्र १९५२

(देखिये परिशिष्ट, अनुबन्ध १)

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — संसद् का चौथा सत्र १९५१

(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध २)

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ४ — संसद् का तीसरा सत्र (द्वितीय भाग), १९५१

(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध ३)

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ४ — संसद् का दूसरा सत्र १९५०

(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध ४)

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — संसद् का प्रथम सत्र १९५०

(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध ५)

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ५ — भारत की संविधान सभा (वैधानिक) का नवम्बर-दिसम्बर सत्र, १९४९

देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध ६

पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, कुछ दिन हुए श्री एस० एन० सिन्हा तथा श्री सुन्दरैया के मामले में विशेषाधिकार समिति का जो प्रतिवेदन सदन पटल पर रक्खा गया था उस पर प्रक्रिया नियमों के नियम २११ के अन्तर्गत कब चर्चा होने जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मुझे पहले से सूचना दे सकते थे । तत्काल मैं यह नहीं बतला सकता । इस सत्र में समय नहीं है । मैं इस बात पर विचार करूंगा ।

चूंकि पंचवर्षीय योजना पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इस लिये माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रक्खें कि जहां तक हो सके दस मिनट से अधिक न बोलें । श्री यू० सी० पटनायक अपना भाषण जारी रक्खें ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : श्रीमान्, कल मैं बतला रहा था कि हमारे आयोजकों ने योजना का सब से सारभूत अंग छोड़ ही दिया है, अर्थात् भारत की जनशक्ति, हमारे जन-साधन का आयोजन जिस के लिये कि योजना बनाई गई है और जिस के द्वारा कि योजना पूरी की जानी है । हमारे नवयुवकों के युवा-जोश को कार्यरत होने का कोई मार्ग नहीं मिला है । कल मैं बतला रहा था कि सर्वाधिकारवादी अर्थतंत्र में उदाहरणार्थ सोवियत रूस और फासिस्ट जर्मनी में उन के आदर्श के अनपेक्ष जन शक्ति के संचालन को सर्वोपरिता दी गई थी । और तथाकथित लोकतंत्रों में, इंगलैंड और अमरीका में, भी यदि आप उन के संगठनों की ओर देखें—उन की रक्षित सेनायें, नियमित सेनायें, द्वितीय रक्षा पंक्ति, अमरीका का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा उस के अन्तर्गत निर्मित बोर्ड, इंग्लैंड का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम—तो आप पायेंगे कि जन-शक्ति के संचालन की इस योजना को अब सर्वोपरिता दी जा रही है क्योंकि आखिर लोगों को ही तो योजना को सफल बनाना है । किन्तु हमारी सरकार का भौतिक साधनों पर अधिक जोर है । हमारे आयोजकों ने राजस्व के २५ लाख रुपये योजना तैयार करने में व्यय कर दिये हैं और फिर भी जन-शक्ति के सारभूत तत्व को भुला दिया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया है । योजना बनने के समय निराश जनता में एक नई भावना का उदय हुआ था कि उनके लिये कुछ आ रहा है । उस समय अखबारों ने, लेखकों ने तथा विद्वानों ने योजना आयोग को अपने-अपने सुझाव दिये थे । मैं ने स्वयं एक पुस्तक 'प्लानिंग इंडियाज़ मैन पावर' अपने खर्चे से छपवा कर उस की कुछ प्रतियां योजना आयोग को भेजी थीं । मुझे उस पुस्तक की प्राप्ति स्वीकार्य मिली जिस में कहा गया कि उस पर विचार किया जा रहा है । किन्तु १ ½ मास पश्चात् मुझे ज्ञात हुआ कि वे पुस्तकें ही खो दी गई हैं । जब मैंने एक नोट लिखा तब वे पुस्तकें रद्दी की टोकरी से ढूंढ कर निकाली गईं और योजना मंत्री ने कृपा कर के मुझे लिखा कि वह रक्षा मंत्रालय से इस विषय पर परामर्श करेंगे और मुझ से

विचार विमर्श करेंगे। जब मैं स्वयं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि इस चर्चा के पश्चात् वह मुझ से मिलेंगे। जो भी हो, उस पुस्तक की केवल एक ही प्रति मेरे पास बची है जिसे मैं अपने पास ही रखना चाहता हूं और योजना आयोग से मेरा निवेदन है कि उन प्रतियों में से एक प्रति वह सदन पटल पर रक्खे।

योजना का रक्षा से भी काफी सम्बन्ध होता है। हमारा रक्षा सम्बन्धी तमाम सामान इंगलैंड से मंगाया जाता है। क्या हमारे आयोजकों के लिये यह आवश्यक नहीं था कि इस बात पर विचार करते कि हमारे देश में ही इनमें से किन किन चीज़ों का निर्माण हो सकता है, और यदि उन्हें हम निर्मित नहीं कर सकें तो कहां तक उन्हें अपने यहां जोड़ सकते हैं। इस के अतिरिक्त जब हम विदेश में अपने रक्षा सम्बन्धी सामान का आर्डर करें या कोई संविदा करें तो हमें उस कम्पनी के साथ यह शर्त लगानी चाहिये कि वह हमारे आदमियों को प्रशिक्षित करे। अन्त में मैं योजना आयोग से यही निवेदन करूंगा, कि मैंने जो नोट 'रक्षा अध्ययन वर्ग' के लिये तैयार किया है वह उसे देखेगा और उस पर अपना मत देगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): गत तीन दिनों से हम योजना आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। मुख्यतः, दो विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर विचार प्रदर्शित किये गये हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार तो इस योजना में कोई सार नहीं है और यह बिल्कुल बेकार और थोथी है। दूसरे दृष्टिकोण में यह भावना प्रगट की गई है कि यह योजना हमारे भविष्य के जीवन में क्रान्ति ला देगी और हम अपनी सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे।

जब मैं इस योजना के विभिन्न अध्यायों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे वह वास्तव में कोई योजना नहीं थी, वरन् हमें कोई काम करना हो उस की एक रूपरेखा थी तथा वास्तविक योजना बाद को आनी है। वास्तव में स्वयं प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी कि यह भविष्य के लिये एक तैयारी है। इस के साथ साथ जिस रूप में वह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उस में एक आन्तरिक दोष है। यह योजना पांच वर्ष के लिये है जिस में से दो वर्ष समाप्त हो चुके हैं। हम ने प्रतिवेदन से यह जानने का प्रयत्न किया कि इन दो वर्षों में क्या हुआ है किन्तु नहीं मिल सका। जब तक कि हम यह नहीं जान सकें कि हमारी सरकार तथा हमारे आयोजकों ने जो कुछ योजना में सम्मिलित किया है उसे कहां तक क्रियान्वित करने में सफल हुए हैं तब तक हम उन से भविष्य में उसे क्रियान्वित करने की आशा कैसे कर सकते हैं?

योजना को सफल बनाने का आधारयंत्र उस में जनता का उत्साह पैदा करना है। यह उत्साह महज योजना को दो पुस्तकाकार अंकों में निकाल देने से पैदा नहीं हो सकता वरन् जनता को यह अनुभूत कराने से पैदा होगा कि उन के लिये वास्तविकता में कुछ किया जा रहा है। अतएव योजना पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है कि जनता की कुछ जरूरी आवश्यकताओं की इस से कहां तक पूर्ति होती है जिस से कि जब वे उस योजना की क्रियान्विति के लिये त्याग करें तो वे यह अनुभूति भी कर सकें कि वे किसी लक्ष्य के लिये काम कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि अब तक जो कुछ हुआ है कुछ भी नहीं है अथवा महत्वरहित है। बिना किसी संकोच के हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि पहली बार हमें विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में बहुमूल्य सूचना प्राप्त हुई है जिसका देश के आर्थिक विकास के साथ नहीं वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास से भी सारभूत सम्बन्ध है। यह एक बहुत बड़ा काम है। इस में जो मुख्य लक्ष्य

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

प्रतिपादित किये गये हैं। वे भी सराहनीय हैं। किन्तु मुख्य कसौटी यह है कि क्या इन सिफारिशों से लोगों की तत्कालिक आवश्यकतायें पूरी होने जा रही हैं और जो कुछ इस में कहा गया है क्या उसे कार्यान्वित किया जा सकता है तथा प्राथमिकताओं को किस सीमा तक महत्ता दी गई है।

एक बात आयोग ने यह की है कि वर्तमान समस्याओं का पूर्णरूपेण हल करने का प्रयत्न किया है। यह आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा की बात है। मैं समझता हूं यह प्रयत्न किसी देश में नहीं किया गया है। यदि हमारे पास पर्याप्त साधन, रुपया, जनशक्ति इत्यादि हों तो यह किया जा सकता है। किन्तु इन के बिना यह प्रयत्न करना अपने साधनों को नष्ट करना है।

योजना की क्रियान्विति के लिये धन उगाहने की जो व्यवस्था इन प्रस्तावों में की गई है, मैं उस से सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि वित्तीय साधन जिन पर कि योजना आधारित होगी इन पांच वर्षों के दौरान में जुटाये जा सकेंगे। औसत व्यय १४७ करोड़ रुपया प्रति वर्ष होगा। गत पांच वर्षों में देश केन्द्रीय आयव्ययक में औसतन ५० करोड़ रुपये की बढ़ौती रही है और राज्य सरकारों के मामले में औसतन १० करोड़ रु० की घटी रही है। इस प्रकार ४० करोड़ रुपये औसतन वृद्धि प्रति वर्ष देश के आयव्ययक में हुई। योजना पर हमारा औसत व्यय १४७ करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इस प्रकार १०७ करोड़ रुपये वार्षिक अन्तर को भरना है।

फिर आता है लोगों द्वारा की जाने वाली बचत का प्रश्न। औसत बचत का आगणन १०४ करोड़ प्रति वर्ष किया गया है जब कि सन् १९४८-४९ से १९५२-५३ में इस मद से औसत प्राप्ति केवल २५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष ही हुई है। इस प्रकार ७९ करोड़ प्रति वर्ष का यह दूसरा अन्तर हुआ। इस के बाद, वैदेशिक सहायता की एक किश्त समाप्त हो चुकी है, घटी की अर्थव्यवस्था करनी शेष है, बाहर से ऋण लेना है, आंतरिक करारोपण करना है। आंतरिक करारोपण की भी एक सीमा है, जिस के परे करारोपण नहीं किया जा सकता। हमें मालूम है कि करारोपण से अधिक आशा नहीं हो सकती। बाहरी ऋण की भी एक सीमा है। फिर घटी की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। इसके परिणाम देश के लिये घातक हो सकते हैं। मान लीजिये कि जो रुपया आप समझते हैं कि उपलब्ध हो सकेगा यदि वह नहीं मिल पाता तब आप क्या करेंगे। तब आप घटी की व्यवस्था कर के नोट छापेंगे और देश पर मुसीबत लायेंगे। २०६९ करोड़ रुपये में से जो कि सरकारी प्रयत्नों में से उगाहे जायेंगे ६६७ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं जिन में विदेशी सहायता के १५६ करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं। लगभग १४०० करोड़ रुपया आगामी तीन वर्षों में और प्राप्त करने हैं।

इस के पश्चात् निजी प्रयत्नों द्वारा रुपया लगाये जाने की बात आती है। आप ने योजना में निजी प्रयत्नों से रुपया उगाहने को एक महत्वपूर्ण तथा निश्चित स्थान दिया है। इस क्षेत्र से लगभग १३५० करोड़ रुपये संकलित होने हैं। किन्तु जब कि निजी क्षेत्र स्वयं उन साधनों पर अवलम्बित है जिन का कि सरकार खुद ही ठीक प्रकार से संयोजित कर उपयोग नहीं कर पा रही है तो आप निजी क्षेत्र से क्षमतापूर्वक कार्य करने की आशा कैसे कर सकते हैं।

भूतकाल में आप ने लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिये हैं, उन के समक्ष स्वर्गीय चित्र खींचे हैं। उन की आशायें इतनी ऊंची ऊंची दी गई थीं कि वादे पूरे न होने पर उन में

घोर निराशा घर कर गई है । तो आप उन की भावनाओं को अब किस प्रकार जाग्रत कर सकते हैं ? आप पुनः उन में उत्साह भर सकते हैं यदि आप उन के लिये कोई ठोस चीज़ प्रस्तुत करें । आप क्या क्या ठोस चीज़ उन के पास ले जा रहे हैं ? आप उन से कहते हैं कि पांच वर्ष पश्चात् भी जीवनमान उतना ही रहेगा जितना कि सन् १९५० में था । प्रारम्भिक योजना में तो आप ने कहा था कि यह सन् १९३९ के स्तर होगा किन्तु अब कहते हैं कि वही रहेगा जो सन् १९५० में था ।

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : कहां कहा गया है कि पांच वर्षों के बाद भी जीवन-मान १९५० से ऊंचा नहीं होगा ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : एक प्रतिशत आंशिक उस में कहा गया है, इस से क्या फरक पड़ता है ?

श्री नन्दा : उस से कहीं ऊंचा होगा ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : तब मुझे आशा है कि अपने उत्तर में माननीय योजना मंत्री स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार ।

खाद्य के मामले में भी आत्मनिर्भरता नहीं है । प्रधान मंत्री जी द्वारा तीन वर्ष पूर्व घोषणायें की गई थीं कि सन् १९५१ के बाद से खाद्यान्नों का कोई निर्यात नहीं किया जायेगा वह सब हवा हो गई । हम अब ३० लाख टन खाद्यान्न प्रति वर्ष आयात करेंगे जिस का मूल्य होगा १५० करोड़ रुपये अर्थात् पांच वर्ष में ७५० करोड़ रुपये इस मद पर बाहर जायेंगे ।

श्री नन्दा : योजना में यह नहीं कहा गया है कि प्रति वर्ष लगभग ३० लाख टन अन्न आयात करना होगा ....

डा० एस० पी० मुकर्जी : योजना में यह कहा गया है कि तीस लाख टन अन्न प्रति वर्ष आयात करना पड़ेगा ।

श्री नन्दा : योजना में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हमारा लक्ष्य पांच वर्ष के अन्त में पूर्णतया आत्मनिर्भर होना है । यह आयात तो किसी अत्याशित सम्भावना के लिये है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : योजना की आवश्यकताओं का आगणन १४ औंस प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से किया गया है । यदि आप ने वुड हैड कमीशन रिपोर्ट पढ़ी हो तो आप को मालूम होगा कि पूरी पड़ताल करने के बाद उस में कहा गया है कि १६ औंस प्रति दिन प्रति व्यक्ति से कम पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । यह है हमारा आयोजन ।

जहां तक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न है, कृषि पर बहुत ज़ोर दिया गया है जो ठीक ही है । आप का लक्ष्य है ७८ लाख की वृद्धि करना । हमें प्रति एकड़ उपज बढ़ानी है । गत पांच वर्षों में हमारी उपज प्रति एकड़ ६१९ से घट कर ५६५ रह गई है । हमें इस कमी को पूरा करना है और उपज को और बढ़ाना है । जहां तक कि उत्पादन की मुख्य स्कीम का प्रश्न है, आप देश की अन्य कृषीय आवश्यकताओं से इसे किस प्रकार संयोजित करेंगे ? आप नियंत्रण की नीति का पालन करेंगे अथवा विनियंत्रण की नीति का ? प्रतिवेदन में एक स्थान पर कहा गया है कि जहां तक सम्भव होगा प्रत्येक फार्म अथवा ग्राम ऐसी योजना का अनुसरण करेगा जिस से कि वह उपलब्ध भौतिक साधनों का यथासम्भव अधिकतम लाभ के साथ उपयोग कर सके । राज्य के पथ-प्रदर्शन के अन्तर्गत वि-नियंत्रित अर्थ तन्त्र का यह एक तरीका है । किन्तु आगे कहा गया है : "यह कहना कठिन है कि कृषकीय कार्यक्रम का प्रभाव वास्तविक स्वरूप पर क्या पड़ेगा क्योंकि कृषक का फसल उगाने का निर्णय कई बातों पर निर्भर है जैसे प्रचलित मूल्य, मौसम की दशा, पूंजी साधनों की उपलब्धता तथा सम्भरण जो कि मौसम

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

मौसम में भिन्न भिन्न हो सकता है। चावल और गेहूं तक की जमीन में गन्ना तथा कपास तथा जूट उगाई जाने लगी है।" यदि हम इस प्रकार की बात कहते हैं तो यह तो नियंत्रित अर्थतंत्र नहीं है। यदि आप का कृषकीय योजना को कार्यान्वित करने का तरीका इस प्रकार का है तो इस में नियंत्रण फिर क्या रहा ? मैं नहीं समझता कि आप किस प्रकार के आयोजित अर्थतन्त्र के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं।

जहां तक अन्य कृषकीय पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है, आप ने कपास-उत्पादन को प्रोत्साहित किया : उस के मूल्यों में गिरावट कराई, आप ने जूट उत्पादन को प्रोत्साहित किया : मूल्य एकदम गिर गये। लोग आप को बददुआयें दे रहे हैं। उन्होंने चावल नहीं उगाया, आप के कहने से उन्होंने कपास और जूट उगाना प्रारम्भ कर दिया। इस का उन्हें यह परिणाम मिला। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें इतने बड़े देश में इतनी समस्याओं का सुलझाना आसान काम है। किन्तु तब फिर योजना की बात मत कीजिये, यदि आप योजना की बात कहते हैं तो फिर शतप्रतिशत आयोजन होना चाहिये। यदि नियंत्रण रहना है तो उत्पादन के समय नियंत्रण हो, समाहार के समय नियंत्रण हो और वितरण के साथ नियंत्रण हो और नियंत्रण की गलत रीति से गत कुछ वर्षों में कितने कुपरिणाम निकले हैं। अब हमारे सम्मुख कृषकीय उत्पादन की एक सारभूत समस्या है जिसे हमें उचित रूप से हल करना चाहिये।

कपड़े का ही मामला लीजिये। यह देश के सब से बड़े उद्योगों में से एक है और आप इस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वस्त्र सम्बन्धी आप की नीति में सदा परिवर्तन होता रहा है और इतने वर्षों पश्चात् भी गरीबों को मोटा कपड़ा ही मिल रहा है। मकानों के लिये आप ने क्या किया है ? आप ने आंकड़े संकलित कराके देखा कि ४ १/२ लाख औद्योगिक मजदूरों को मकानों की तत्काल आवश्यकता है। आप ने आगामी पांच वर्षों में इस के लिये कुल एक लाख २५ हजार का उपबन्ध किया है। शहरी क्षेत्रों में आप ने ४७ लाख मकानों की आवश्यकता का प्राक्कलन किया है। किन्तु आप ने दिये कितने हैं—केवल ३०,००० सहकारी समितियों को ऋण के रूप में। मजदूर बस्तियां भारत के नाम पर कलंक हैं। उन की जगह रहने योग्य आवास स्थान बनवाने में अधिक व्यय नहीं होगा। किन्तु इन मजदूर बस्तियों को हटाने के लिये आप ने क्या किया है ? शिक्षा को लीजिये। हम निरक्षरता मिटाने की बात करते हैं। हम अंग्रेजों को कोसा करते थे कि १५० वर्षों तक हमें उन्हों ने निरक्षर रखा। किन्तु अब आप कहते हैं कि आप के पास इस के लिये रुपया नहीं है इस में ४०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस लिये आप ने केवल ६० प्रतिशत लड़कों तथा ४० प्रतिशत लड़कियों के लिये आगामी पांच वर्षों में शिक्षा का प्रबन्ध किया है।

विश्वविद्यालयों को लीजिये। आप ने कहा कि हम उन की संख्या में विस्तार नहीं करना चाहते वरन् जो हैं उन्हीं का आधार दृढ़ करना चाहते हैं। किन्तु इस योजना में उन के पुनर्संगठन का कहीं कोई वास्तविक उपबन्ध नहीं है।

स्वास्थ्य के लिये आप ने क्या किया है ? मुझे खुशी है कि आप ने मलेरिया का मामला लिया। किन्तु क्षय के लिये आप क्या कर रहे हैं ? पांच लाख व्यक्ति इस रोग से प्रति वर्ष मर जाते हैं। आगामी पांच वर्षों में इस हेतु आप ने केवल ३,००० चारपाइयों की व्यवस्था की है। यह कोई आयोजन नहीं है। इसी प्रकार ग्रामीय चिकित्सालयों की संख्या जो आप खोलने जा

रहे हैं कितनी कम है । इस प्रकार तो आप जन-उत्साह पैदा नहीं कर सकते ।

औद्योगीकरण के मामले में आप ने कुछ किया है । किन्तु औद्योगीकरण में आज दो बातें ध्यान में रखने की हैं । कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को लीजिये । मुझे खुशी है कि आप ने उन के हिस्से की राशि ५ से बढ़ा कर १५ करोड़ कर दी है । किन्तु कोई योजना नहीं है । राष्ट्रीय पैमाने पर आयोजन के लिये यह आवश्यक था कि छोटी मात्रा के तथा बड़ी मात्रा के उद्योगों में पूरी तरह समन्वय किया जाता । हम अपने गांवों का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं । हम अपने यहां के लाखों व्यक्तियों को रोजगार दिलाना चाहते हैं । किन्तु हमारी आर्थिक व्यवस्था से छोटे पैमाने के उद्योगों का व्यवस्थित विकास लापता है । मूलभूत उद्योगों, रक्षा सम्बन्धी उद्योगों, का भी पता नहीं है । भारत को मशीन-निर्माण उद्योगों की बहुत आवश्यकता है । यह नितान्त आवश्यक है कि हम विदेशी अर्थतन्त्र से जितनी जल्दी हो सके मुक्त हो जायें । हमें अपनी मशीनी आवश्यकतायें अपने देश में ही पूरी करनी चाहिये ।

आप ने इस्पात लिया है । यह एक मूल-भूत वस्तु है । किन्तु यह सागर में बूंद के बराबर है । इस से आप को ३,५०,००० टन इस्पात मिलेगा । आप को न्यूनतम २५ लाख टन की आवश्यकता है । यहां मैं सरकार से इस्पात के स्थान पर संस्कारित लकड़ी का प्रयोग करने की सम्भावना पर विचार करने को कहूंगा । संसार में जगह जगह संस्कारित लकड़ी का प्रयोग बढ़ रहा है किन्तु हम अभी केवल इस्पात तक ही सीमित हैं । यदि इस ओर भली भांति ध्यान दें तो हम अपनी गृह-समस्या सहित अनेक समस्याओं को हल कर सकते हैं । इस का प्रयोग करने पर आप को इस्पात के लिये जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा । स्वयं हमारे देश के ही एक विशेषज्ञ, डा० कमेसम इस के विशेषज्ञ हैं तथा उन के ज्ञान का लाभ उठाया जा सकता है । आप अपनी नदी घाटी परियोजनाओं में ३० करोड़ रुपये की लागत पर बिजली के खम्भों की व्यवस्था कर रहे हैं और ये खम्भे बाहर से आयात किये जायेंगे । विभिन्न देशों में इस प्रयोजन के लिये संस्कारित लकड़ी प्रयुक्त की जा रही है । यदि आप भी इस का प्रयोग करें तो आप तीस करोड़ रुपया बचा सकते हैं । डा० कमेसम के सिद्धान्त को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और बर्मा में इसे कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई है । यदि आवश्यकता हो तो बाहर से कुछ विशेषज्ञ बुला कर आप इस मामले को तय कर सकते हैं । यह हमारी भविष्य की कार्य-वाहियों में क्रान्ति ला देगा तथा खर्चे को बहुत कम कर देगा ।

श्री नन्दा : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि हम स्थिति से तथा इस मामले की महत्ता से पूर्ण अवगत हैं तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की सम्भावनाओं पर खोज कर रहे हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : किन्तु कठिनाई यह है कि आप को कुछ विशेष लक्षणाओं की वस्तुएं चाहियें । जब कि ये वस्तुएं उन्हीं लक्षणाओं की न मिलें आप उन के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते । और ये लक्षणायें निर्धारित की गई थीं सन् १८८० के वर्षों में अंग्रेजी राज्य के अन्तर्गत । उन में यहां वहां थोड़ा बहुत अन्तर भले ही कर दिया गया हो किन्तु हम अब भी जहां तक इन विभागों के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, ब्रिटिश छाया में कार्य कर रहे हैं । हमें यह दास-वृत्ति त्यागनी चाहिये ।

जहां तक नदी घाटी परियोजनाओं का प्रश्न है, मैं ने स्वयं जा कर उन में से कुछ को

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

देखा है। इस में सन्देह नहीं कि कुछ गलतियां की गई हैं, किन्तु फिर भी वे अत्यन्त उत्कृष्ट कृतियां हैं जिन पर कि भारत को गर्व हो सकता है। जो भी गलतियां सामने आयें उन्हें दूर कीजिये। जो गलतियां हो चुकी हैं उन की पुनरावृत्ति मत होने दीजिये अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकता है।

मैं ने काफी समय ले लिया है और अब मैं एक दो सामान्य बातें कह कर समाप्त करूंगा। पहली चीज़ पुनर्वास के सम्बन्ध में है। इस के लिये बहुत कम उपबन्ध किया गया है। योजना आयोग का विचार है कि दो वर्ष के बाद पुनर्वास आवश्यक नहीं होगा। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के आगमन से जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है उस को उचित स्थान नहीं दिया गया है। देश में अर्थतन्त्र के पूर्ण पुनर्संगठन में इस की अवहेलना नहीं की जा सकती।

आप जन-सहयोग की बात करते रहे हैं। आप ने भारत सेवक संघ प्रारम्भ किया है। प्रधान मंत्री द्वारा मुझे राष्ट्रीय मंत्रणादात्री समिति में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। मैं ने उसे स्वीकार कर लिया। किन्तु भारत सेवक समाज के कार्य से मैं बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं। समस्त राज्यों से यही समाचार आ रहे हैं कि यह कांग्रेस के लिये कार्य करने वाला संगठन बन गया है। यदि आप इसे एक पार्टी-शास्त्र बनाना चाहते हैं तो हमें बाहर रहने में कोई आपत्ति नहीं है—आप इसे चलाइये। किन्तु एक ही साथ दो बातें न कीजिये। यह मत कहिये कि आप जनता का सहयोग चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिये भारत सेवक समाज है, और फिर साथ साथ इसे पार्टी-लाइन पर भी विकसित करते रहें।

तो वास्तव में आप जन-सहयोग की पर्वाह नहीं करते। जन सहयोग प्राप्त होगा यदि आप कुछ शर्तों को पूरा करें। यदि आप खरे हृदय से लोगों से कहें कि आप वास्तव में एक नवीन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जो केवल कुछ के लिये नहीं वरन् करोड़ों उपेक्षितों के लिये है—यदि आप उनके पास यह संदेशा ले जायें तो जन-सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। श्री पाटिल ने उस दिन बतलाया कि जर्मनी में इतने लोग आगे आये और एक पैसा लिये बिना उन्हों ने सड़क, इमारतें तथा फैक्टरियां बनाने में अपना श्रम दान किया। क्या भारत के लोग ऐसा नहीं कर सकते। वे भी अवश्य ऐसा कर सकते हैं। यदि उन के पास आशा का संदेशा पहुंचाया जाए, यदि उन के स्वप्न की ५० वर्ष बाद नहीं वरन् ५ वर्ष के अन्दर मूर्त बनाने का आश्वासन दिया जाये और उन के सम्मुख निश्चयात्मक कार्यक्रम रक्खा जाये। हम आप को इस में पूरा पूरा सहयोग देने को तत्पर हैं।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि सदन के सम्मुख नियमित रिपोर्टें दी जायें कि कितनी प्रगति हुई है : यह रिपोर्टें प्रति वर्ष सदन को दी जायें। जब तक कि हमें यह न मालूम हो कि सरकार ने क्या किया है तब तक हम उस की कार्यवाहियों की जांच कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अब योजना आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना बन जाने के साथ उस का कार्य तो समाप्त हो चुका है, अब उस कार्य की क्रियान्विति शेष है और इसे योजना मंत्री को सौंप दिया जाना चाहिये। कार्यसम्पन्नता एक कठिन बात है और आप का प्रशासन तन्त्र टूट रहा है। उसे आप को सुव्यवस्थित करना होगा। अन्यथा आप की योजना समाप्त हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० दास। अब से माननीय सदस्य दस और पन्द्रह मिनट से अधिक समय न लें।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मुझे यह सोच कर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि सदन नेता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मेरे श्रद्धेय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन किया। उन्होंने आलोचना की है, किन्तु ध्वंसात्मक नहीं अपितु रचनात्मक। पंच वर्षीय योजना के कार्यकरण के बारे में उन्हों ने दो तीन सुझाव दिये जिन से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मेरा सुझाव है कि मंत्रिमंडल में एक निश्चित योजना मंत्री भी होना चाहिये जिसे कोई और कार्य न सौंपा जाये। (**कुछ माननीय सदस्य** : योजना मंत्री हैं तो सही) वह ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहियें कि दिल्ली में बैठे रहें। उन्हें देश पर्यन्त घूम घूम कर देखना चाहिये कि योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है, सारा खर्च ठीक प्रकार हो रहा है या नहीं। एक योजना महा लेखापाल होना चाहिये जो कि व्यय के मामले में उन का पथ प्रदर्शन करें। वर्तमान योजना मंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय कई मामलों में गलत सिद्ध हुआ है क्योंकि इंजीनियर तथा अन्य व्यक्ति जो कि आयोजन को नियंत्रित करते हैं कभी इस बात की पर्वाह नहीं करते कि धन-राशि को सुव्यवस्थित रूप से व्यय किया जाए। यह चीज़ ठीक होनी चाहिये। एक अधिनियम भी बनाया जाये जिस के अन्तर्गत कि योजना मंत्री को गड़बड़ करने वाले पदाधिकारियों को दण्ड देने का अधिकार मिले। बिना इस के योजना मंत्रालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर इतनी वृहत धन राशि खर्च की गई है और सफलता तनिक भी नहीं मिली है। इस प्रकार की चीज़ योजना मंत्रालय में नहीं आनी चाहिये। उसे ठीक इस प्रकार कार्य करना चाहिये जैसे युद्ध काल में इंगलैंड में उत्पादन मंत्रालय ने किया था। अकुशल पदाधिकारियों को अलग कर देना चाहिये।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। हम ने रेलों को राष्ट्रीयकृत किया, क्या परिणाम निकला ? मजदूरों ने काम कम करना शुरू कर दिया और वेतन अधिक मांगने लगे। इस के लिये हड़तालों की धमकी देने लगे। अन्य राज्य अधिकृत उद्योगों में भी यही बात हो रही है। इस लिये वैयक्तिक क्षेत्र में उद्योगपतियों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदा हड़ताल की धमकी बनी रहती है। अतएव मजदूर नेताओं से तथा समाजवादियों से जो सदा मजदूरों को अधिक वेतन देने का पक्ष-पोषण करते हैं, यही प्रार्थना है कि इस से पूर्व कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाये, उन्हें न्यूनतम काम भी करना चाहिये। बिना इस के आयोजन असफल रहेगा। उत्पादन में तभी आप वृद्धि की आशा कर सकते हैं।

मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे तीक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति ने घटी की अर्थ व्यवस्था की आलोचना की। घटी की अर्थ व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है यदि इस से उत्पादन वृद्धि होती हो तथा अधिक साधनों का निर्माण होता हो। यह सभी जगह किया जाता है।

योजना आयोग की रिपोर्ट में कहीं भी मितव्ययता के उपायों की बात नहीं की गई है। यदि सरकारी मंत्रालय मितव्ययता के सम्बन्ध में असफल रहे तो योजना आयोग सफल नहीं हो सकता। भाग 'ग' के राज्य हैं जिन के लिये योजना आयोग ने राशि रक्खी है। इन भाग 'ग' के राज्यों के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें साथ वाले राज्यों के साथ एकीकृत कर देना चाहिये। मुख्य आयुक्तों के प्रान्तों का सृजन कर उन पर बड़ी बड़ी राशियां व्यय करना मुनासिब नहीं है। इस लिये मुझे आशा है कि योजना मंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर इस बात के लिये जोर देंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में वे मितव्ययता करें।

[श्री बी० दास]

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्पात के बारे में कहा। उड़ीसा इस्पात फैक्टरी की स्थापना से प्रमुख रूप से सम्बन्धित है। डा० मुखर्जी चूंकि बंगाल से आये हैं इसलिये वे बंगाल में इस की स्थापना चाहते हैं। किन्तु भाखरा बांध सरकार को पूरा करना ही है जिस से उड़ीसा में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जायेगी जिस के द्वारा कि यह कारखाना आसानी से कार्य कर सकेगा। इसलिये इस्पात फैक्टरी की स्थापना उड़ीसा में ही होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुखर्जी अपने विचार बदल देंगे और इस को समर्थन देंगे।

श्री टंडन : रिपोर्ट पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में उपस्थित की गई है उस पर परिश्रम किया गया है और उस में देश भक्ति और देश की चिन्ता अच्छी तरह से प्रकट हो रही है। परन्तु मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा है कि देशभक्ति और बुद्धि की कमी न होते हुए भी जिस दिशा में रिपोर्ट दी गई है उस से हमारे देश में कोई नई सृष्टि, नई सुन्दर रचना, जिस को हम देखना चाहते हैं, नहीं आने वाली है। मैं यह आशा करता था और अब भी मैं, अपने इन भाइयों को जिन्हों ने यह रिपोर्ट लिखी है, यह सुझाव देता हूं कि वे गांवों की तरफ अधिक ध्यान दें, गांवों की एक नई रचना करें। मैं ने पहले एक बार यह रखा था और उस समय यह सुझाव देता हूं कि सब से बड़ी आवश्यकता इस समय यह है कि नये गांव बसाये जायें, या पुराने गांव इस प्रकार से ठीक किये जायें, कि वहां आप से आप एक सौन्दर्य हमें दिखाई पड़े। गांव में मैं कहीं भी जाता हूं, विशेषकर उत्तरी भारत में, तो मुझे बस्तियां गन्दी दिखाई पड़ती हैं। बड़े मकान भी हैं, बहुत बड़े बड़े मकान भी हैं--बिहार के जमींदारों के और उत्तर प्रदेश के जमींदारों के--परन्तु चारों तरफ गांव गन्दे बसे हुए हैं। मैं तो सब से पहले इधर ध्यान देना चाहता हूं। आप उद्योगों की तरफ ध्यान देते हैं, दें। लेकिन जहां पहिले और पीछे का क्रम आता है, वहां सब से पहले मैं इस प्रश्न को रखता हूं कि आप गांवों को अच्छा बनावें, सुन्दर बनावें। ये गांव जो आज बसे हुए हैं वे ऐसा मालूम होता है, तीन-तीन सौ चार-चार सौ वर्ष पहले के बने हुए हैं, उस समय के बसे हुए हैं जब लोग डाकुओं से डरते थे, जब वे घुस-घुस कर पास में रहना चाहते थे। उस समय बक्स जैसे मकान या बक्स जैसे मौहल्ले अच्छे समझे जाते थे। यह मुहावरा उत्तर प्रदेश में प्रचलित है कि यह मौहल्ला क्या है, बक्स है, यानी मकान घुसे घुसे पास-पास बसे हुए हैं। इसका परिणाम यह है कि अगर एक घर में बीमारी है तो वह आगे फैलती है। एक घर में अगर आग लगे तो गांव का गांव जलता है। कहीं गलियां ठीक नहीं हैं। जो छोटी छोटी गलियां हैं उन में बच्चे शौच करते हैं गन्दगी चारों ओर दिखाई देती है। यह स्थिति है। इस स्थिति को तीव्रता के साथ ठीक करने की आवश्यकता है और अगर इस कार्य के लिये हम ने दो चार अरब रुपया अलग कर दिया होता तो ठीक होता। आप ने, अर्थात् इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों ने, २० अरब और ६९ करोड़ रुपये के व्यय की योजना बनाई है। मेरा सुझाव है कि इस २० अरब, ६९ करोड़ रुपये में से अगर आप दो चार अरब रुपया इस काम के लिये दें कि गांव की नई रचना हो तो उस का कहीं अधिक अपेक्षाकृत लाभ होता। इधर आप ने

ध्यान ही नहीं दिया । मेरा सुझाव है कि अब भी उधर ध्यान दिया जाये ।

मैं सुझाव देता हूं कि गांव के प्रत्येक घर के लिये जो नये गांव बसते हैं उन में प्रत्येक कुटुम्ब के लिये पांच सात आदमियों के कुटुम्ब के लिये आप आधी एकड़ भूमि दें। मेरा सुझाव है कि आधी एकड़ भूमि लगभग २,४०० वर्ग गज भूमि एक एक घर को आप दें । फिर आप देखें कि कैसी सुन्दर बस्ती बसती है। तब यह आप का क्षय रोग और मलेरिया का प्रश्न ही गांवों में नहीं रहेगा और यह चीज़ें फिर सुनाई नहीं देंगी । दवाइयों पर रुपये खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है । बुद्धिमानी यह है कि बस्तियां ऐसी बनाइये कि लोग स्वास्थ्य से रहें और बीमारी का प्रश्न ही न आये । सफाई आप से आप होगी । वहां सड़कें हों, कुछ कतारें हों, इस तरह से गांव बसाइये । एक-एक घर के बीच में आधी एकड़ जमीन हो । उस घर के चारों ओर बाटिका हो, वृक्ष हों, जिस से सौन्दर्य का रूप दिखाई पड़े । सुन्दरता वृक्षों से आती है, हरियाली से आती है, यह तो सब का अनुभव है । हमारे कवि लोग भी जब गान करते हैं सुन्दरता का तरफ बिना हरियाली के वर्णन के उन् की कविता पूरी नहीं हो पाती । मैं स्वप्न देखता हूं कि हमारे यहाँ इस तरह के घर हों जिन में हर एक में हरियाली और बाटिका हो । मैं ने इस तरह की चीज़ कुछ दक्षिण में तो देखी । घूमते हुए मुझे त्रावनकोर-कोचीन में तो कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिये । परन्तु उत्तरी भारत में यह नहीं है । क्या बिहार, क्या बंगाल, और क्या उत्तर प्रदेश, कहीं नहीं है । मैं सुझाव देता हूं कि इस तरह से नई सृष्टि की जाये ।

इस क्रम में एक दूसरा गुण और है । आज मेरा कथन यह है कि हमारे देश में वस्तुओं की बरबादी कई दिशाओं में बहुत है । वेस्टफुलनेस केवल शासन में ही नहीं है । मैं एक मिनट बाद उस की बात करता हूं । परन्तु जिन उपयोगी चीज़ों की हम रक्षा कर सकते हैं वह रक्षा हम नहीं कर रहे हैं । आप का ध्यान भी देश के मल-मूत्र की तरफ नहीं जाता; आप का रुपयों पैसों पर ध्यान जाता है, सोने चांदी पर ध्यान जाता है, मगर देश के मल मूत्र पर ध्यान नहीं जाता । आवश्यकता है कि देश के मल-मूत्र की हम रक्षा करें । उस में बड़ी सम्पत्ति है । अगर हर एक घर में आप आधी एकड़ भूमि देंगे, जैसा मेरा सुझाव है, तो उस घर का मल-मूत्र वहां की मिट्टी में जायेगा । छः इंच मिट्टी के नीचे मल-मूत्र सुवर्ण होता है ।

मेरा यही सुझाव नगरों के लिये भी है । आज की तरह उन को न रखिये । आधा एकड़ आप वहां नहीं दे सकेंगे। परन्तु यह सिद्धान्त स्मरण रखने के योग्य है कि प्रत्येक घर के साथ वाटिका हो । यह कहना कि भूमि कहां है बिल्कुल व्यर्थ की बात है ।

भूमि है हर जगह पर हर गांव के साथ रास्ता निकालने की बात है । हर गांव के साथ भूमि मिल सकेगी ।

बहुत ब्योरों में तो मैं जा नहीं सकता, यह इतनी बड़ी रिपोर्ट है । परन्तु दूसरा मोटा सुझाव मेरा यह है कि आप ने इस रिपोर्ट में फिर कंट्रोल की चर्चा की है और कंट्रोल की चर्चा करते हुए सीलिंग प्राइसेज़ (यह रिपोर्ट के शब्द हैं) रखने की बात की है । सीलिंग प्राइसेज अर्थात् निश्चित अधिकतम मूल्य बांधने के क्रम का हमें खूब अनुभव हो चुका है और कौन ऐसा बचा होगा जिस को इस का अनुभव न हुआ हो । घर-घर में बेईमानी हुई है सीलिंग प्राइसेज़ की वजह से । जाति की जाति और नगर के नगर बेईमान बनाये गये हैं । मैं ने एक रोज़ उदाहरण दिया था कि खले बाजार में चना जिस की सीलिंग प्राइस

[श्री टंडन]

गवर्नमेंट की ओर से १२ रुपये मन है वह १९ और २० रुपये मन बिक रहा था। इसी तरह गुड़ का भी मैं यहां पर उदाहरण दे चुका हूं। और भी कितने ही उदाहरण मैं आप को दे सकता हूं कि आप ने एक वस्तु की सीलिंग प्राइस रख दी, अर्थात् इस से अधिक भाव पर वह वस्तु न बिक पायेगी, परन्तु परिणाम उस का यह हुआ है कि उस से अधिक भाव पर वह खुले बाज़ार में बिकी। आप की आंखों के सामने बिकी लेकिन आप में साहस नहीं है कि आप उस अपराध करने वाले के विरुद्ध कोई मुकदमा चला सकें। दो मिनिस्टर जो यहां इस समय बैठे हुए हैं मैं उन से पूछता हूं कि उन को इस चीज़ का अनुभव है या नहीं, मैं चाहता था कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर मौजूद होते। मैं जो बात कह रहा हूं, वह ठीक है या नहीं, उस की छान बीन गवर्नमेंट करे, उस की नाक के नीचे सीलिंग प्राइस से ज्यादा ऊंचे दाम पर वस्तुएं बिकती हैं, परन्तु अपराध करने वालों के विरुद्ध वह मुकदमा नहीं चला सकती। मैं ने इस चीज़ की तरफ एक मिनिस्टर का ध्यान खींचा था। उन्हों ने मुझे जवाब दिया कि हमें भी तो इसी बाजार भाव पर खरीदना पड़ता है। आखिर यह क्या तमाशा है, क्या शासन है ?

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : तमाशा है।

श्री टंडन : आप जानते हैं कि जो कार्यवाही आप कर रहे हैं, उस से बेईमानी फैलती है, लेकिन फिर भी आप वही कार्यवाही करते हैं। आप को लोगों की रोटी और भौतिक चीज़ों का तो ख्याल है, लेकिन लोगों की आत्मा कहां जा रही है, गड्ढे में गिर रही है, उधर बिल्कुल आप का ध्यान नहीं है। गांधी जी चले गये, आप आज गांधी जी से लाखों कोस दूर बहते चले जा रहे हैं। शासन-कर्त्ताओं के लिये गांधी जी का नाम लेना असत्य है। गांधी जी सत्य को सब से ऊपर रखते थे, क्या आप आज जो कुछ कर रहे हैं, वह सत्य की रक्षा करेगा ? मैं चाहता हूं कि योजना बनाने वाले यह देखें कि सीलिंग प्राइस और सत्य दोनों अलग-अलग वस्तुएं हैं, सीलिंग प्राइस और सत्य का मेल नहीं हो सकता। अपने अनुभव के बाद सीलिंग प्राइस के क्रम को फिर रखना सिवाय अशुद्ध स्वप्न देखने के और कुछ नहीं है। मेरा सुझाव है कि अब तो आप को उस का स्वप्न नहीं देखना चाहिये और प्राप्त किये गये अनुभव से आप को लाभ उठाना चाहिये।

कंट्रोल की बात आप करते हैं, कंट्रोल होना चाहिये, इसे मैं भी जानता हूं, नियंत्रण होना चाहिये। लेकिन केवल कीमत पर ही नहीं, मुख्य चीज़ तो यह होनी चाहिये कि जीवन पर एक कंट्रोल और नियंत्रण हो लेकिन आज जीवन पर वह कंट्रोल कहां है ? कंट्रोल अपने ऊपर और अपने शासन पर और अपने कार्यकर्त्ताओं पर होना चाहिये। पहला कंट्रोल यह है। अगर आप का कंट्रोल अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने आदमियों पर नहीं है, तो यह सारी योजना जो कमीशन की आप ने बनाई है वह ढह जायेगी और ठहरेगी नहीं। मैं इधर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आप को साफ साफ बतला देना चाहता हूं कि अगर आप सरकारी कार्यकर्त्ताओं का ठीक मसाला तैयार नहीं करते और ऐसे आदमी नहीं ला सकते जो आप के भावों को ठीक तरह समझ कर उन पर अमल करें, तब फिर यह जितनी रिपोर्ट और योजना है, शेखचिल्ली की कहानी रह जायेगी। शेखचिल्ली ने भी बड़ी एक योजना बनाई थी कि मेरे कुटुम्ब में यह होगा और वह होगा। अपने मन में बहुत लम्बा चौड़ा ढांचा उसने बनाया था, लेकिन जो सिर से उस के हांडी लुढ़की तो सब ढांचा ढह गया (हंसी) मैं यह हंसी के लिये नहीं कहता,

यह गहरी चीज़ है, अगर आप के आदमी ठीक नहीं चल सकेगें तो आप की यह सारी रिपोर्ट ढह जायेगी । आदमी अर्थात् मसाला आप के पास जैसा है वह आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं । इस को यहीं छोड़ कर अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं ।

आप ने बीस अरब का खर्चा इस में कूता है और आप को चिन्ता है कि वह रुपया किसी प्रकार आये । आप ने अनुमान किया है कि आप टैक्सों के द्वारा और जनता की बचत से बारह अरब रुपया प्राप्त कर लेंगे । आप ने अपनी आमदनी से भी अधिक खर्चा कूता है । आप ने डैफिसिट बजटिंग की बात कही है । मैं इतने बड़े डैफिसिट बजट के पक्ष में नहीं हूं । छोटी मोटी डैफिसिट एक अलग चीज़ होती है । मैं इस समय ब्यौरे में नहीं जाता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप रुपया बचाना चाहें तो बचाने की बहुत गुंजायश है । आप के खर्च में बहुत रुपया बर्बाद हो रहा है । अभी उस रोज मैं ने पढ़ा था कि हमारे भाई नन्दा जी ने इंजीनियरों से बात करते हुए कहा था कि आप लोग अपना नैतिक स्तर ऊंचा करें । मुझ को अपने भाई की वह बात अच्छी लगी थी और इसलिये अच्छी लगी थी कि यह इंजीनियरिंग विभाग बहुत अधिक रुपया व्यय करने वाला विभाग है । उस में खूब रिश्वतखोरी चलती है और यह किसी से छिपा नहीं है । यह एक मशहूर बात है ।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा--दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली--उत्तर) : हमारे फीरोज़ भाई कहते हैं कि उधर हीराकुड में बहुत है ।

श्री टंडन : इस प्रकार का काम ज्यादा है और उस में इंजीनियरों का ही हाथ होगा । श्री नन्दा जी बहुत करेंगे तो कहीं कहीं चले जायेंगे, लेकिन क्या उन की बात चल पायेगी ? मुझे तो सन्देह है कि इस विषय में गवर्नमेंट के अफसरों की सृष्टि इतनी जल्द बदलने वाली नहीं है । मैं तो देख रहा हूं कि आज सरकारी आदमियों में ईमानदारी मुश्किल से मिल रही है । मैं यह बात खूब नाप तोल कर कह रहा हूं कि नौकरी में अधिकतर आदमी जहां उन को अवसर मिलता है, बेईमानी करते हैं और रिश्वत लेने को तैयार रहते हैं और यह कोई छिपी बात नहीं है । जुडीशरी में नीचे का जो अमला है, जजेज़ के ऊपर मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, नीचे के अमले में रिश्वतख़ोरी खुली चलती है । सप्लाई विभाग का लगभग एक-एक इंस्पैक्टर खुली तौर पर रुपया खाता है । इंजीनियरिंग विभाग में जो ठेकेदार हैं उन के ऊंचे-ऊंचे महल उठे हुए हैं । ये क्या उन्होंने सही तरीके से रुपया पैदा करके बनाये हैं ? इंजीनियरिंग विभाग के आदमियों का एक निश्चित कमीशन बंधा हुआ होता है और इंजीनियर और ओवरसियर इस तरह नाजायज़ तौर से रुपया कमाते हैं । अगर आप बजाय प्राइस कंट्रोल करने के रुपया बचाने के हेतु कंट्रोल करते तो इस रिपोर्ट के सफल होने की अधिक आशा होती ।

मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूं कि सरकारी विभागों में किस तरह से रुपया लीकेज होने के कारण बर्बाद हो रहा है । सिर्फ लीकेज से ही नहीं, उस में तो एक छोटा सा सूराख होता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि रुपया वहां बड़े पाइप के ज़रिये बहाया जाता है । मैं जानता हूं कि जल्दी उस का अनुभव लोगों को नहीं होता है । मैं आप को अपने अनुभव की बात बतलाता हूं । मैं यह बात अपने मित्र वित्त विभाग के राज्य मंत्री को बता चुका था । मैं चाहता था कि आज श्री देशमुख जी यहां पर होते और वह इस को सुनते । अभी

[श्री टंडन]

कल की ही तो बात है जब उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम के लिए एक कमेटी की स्थापना की घोषणा की थी, अर्थात् अंग्रेज़ी में जिस को इंडस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन कहते हैं, उस के सम्बन्ध में एक जांच कमेटी की नियुक्ति करने की उन्होंने कल घोषणा की थी, क्योंकि यहां पर यह आक्षेप किया गया था कि उस में व्यापारियों ने रुपया उचित रीति से उधार नहीं लिया है । यह घोषणा कर के उन्होंने साहस का काम किया और मैं उन्हें इस के लिये बधाई देता हूं ।

मैं उन के सामने अब दूसरी बात रखने जा रहा हूं । पहली तो सन्देह की बात हो सकती थी, लेकिन जो मैं अब बतलाऊंगा यह प्रमाण की बात है । मैं वह बात आप के सामने रखने जा रहा हूं जो अभी तक अखबारों में आई नहीं है और जिस के बारे में पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी नहीं मालूम है ।

एक माननीय सदस्य : आप को तो मालूम है ।

श्री टंडन : मुझे को तो मालूम है ही, और मैं कह रहा हूं । मैं तो कभी अनुमान नहीं कर सकता था कि किसी भी शासन में मुझे यह अनुभव होगा । मुझ को तो अन्धेर नगरी की बात याद आने लगी ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : चोपट राजा । (हंसी)

श्री टंडन : आप हंसिये नहीं तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी । यह एक गम्भीर विषय है, मेरे लिये तो रोने का है हंसने का नहीं । मैं सन् १९४८ की बात कह रहा हूं । मैं यहां पर कांस्टीटुएन्ट ऐसेम्बली का मेम्बर था । कानपुर में एक मेरे जाने हुए बड़े अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं । उन के भाई यहां रहते हैं, दिल्ली में । उन सज्जन से मेरा अच्छा परिचय है, उन के एक भाई मेरे पास आये । उन्हों ने मुझ से अपनी कथा कही कि उन को अपना १६ हज़ार रुपया बकाया सेन्ट्रल रेवेन्यूज़ के ऐकाउन्टेन्ट जेनरल के कार्यालय से मिलना था । वह बहुत रोज तक पड़ा रहा । यहां जो लड़ाई का बचा हुआ मलबा बिकता है उस का एक विभाग है जिस को डिस्पोजल्स विभाग कहते हैं, उस में से वह साहब कुछ खरीदने वाले थे और उस के वास्ते उन्होंने वह रुपया जमा किया था । जब काम खत्म हो गया तो उन्होंने चाहा कि जमानत का रुपया वापस मिले । वह मुश्किल से उन्हें मिला जिस में लगभग दो वर्ष लगे ।

एक क्लर्क ने आ कर उन के हाथ में एक चैक दिया और कहा कि यह आप का चैक है लीजिये । उस चैक के देने के बाद उस क्लर्क ने उन से कहा कि यही चैक मैं आप को फिर दे सकता हूं । आप का जितना रुपया था वह तो आप को मिल गया, लेकिन अब मैं इस के बाद आप को १६ हज़ार का चैक देने को तैयार हूं, और कई बार देने को तेयार हूं, शर्त यह है कि आप आधा हम को दें ।

उस व्यापारी ने आ कर यह बात मुझ से कही । मैं तो दंग रह गया कि आखिर यह क्या बात है । उस ने मुझ से कहा कि, "बाबू जी, क्या सरकारी काम इसी तरह से चलेगा।" वह केवल इसीलिये मेरे पास आया कि आखिर इस गर्वनमेंट में हो क्या रहा है । सन् १९४८ की बात थी, नई नई स्वतंत्रता मिली थी और लोगों में जोश था कि हम अपनी गवर्नमेंट की सेवा करें । मैं ने भी सोचा कि यह बात क्या है । इसी बीच में उस के कानपुर वाले भाई भी आ गये, जो कानपुर के जाने हुए और प्रतिष्ठित कांग्रेसी हैं । उन्होंने भी आ कर इसी तरह की बात दोहराई कि उन को भी यह अनुभव है कि इस प्रकार की बात वह क्लर्क कह रहा है । उन्होंने

पूछा कि क्या मैं इस चैक को ले लूं, जो १६ हज़ार का वह देने को तैयार है। एक चैक तो मैं ले चुका हूं, अगर मैं दुबारा ले लूं तब बता सकता हूं कि यह बात गलत है या सही है। कहिये तो मैं प्रमाण के लिये ले लूं। मैं ने उन्हें सलाह दी कि तुम उस क्लर्क से पूछो कि डिस्पोज़ल्स में तो बहुत से चैक उस को देने पड़ते हैं, क्या किसी दूसरे का चैक भी, जो अदा हो चुका है, वह तुम को फिर दे सकता है। दो एक दिन बाद उन्हों ने मुझे आ कर जवाब दिया कि वह दे सकता है, दूसरे का चैक भी दे सकता है तब मैं ने उन मित्र से कहा कि दूसरा चैक तुम ले लो। चार पांच दिन के बाद एक चैक २८०० रुपये का ला कर उन्हों ने मेरे सामने धर दिया। वह चैक उन को ड्यू नहीं था। लेकिन वह चैक उन के पक्ष में था, जिस का रुपया उन को मिलना नहीं था। उन्हों ने उस को मेरे सामने धर दिया और मुझ से कहा कि, "बाबूजी, आप बताइये कि यही आप की गवर्नमेंट है कि जितनी बार चाहे आदमी जा कर चैक ले आये।" मैं ने उन मित्र से कहा कि अभी तुम इस को भुनाना नहीं, ऐसे ही पड़ा रहने दो। मैं सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं ने फाइनेन्स विभाग के एक अधिकारी को यह चैक दिखाया और मैं उन व्यापारियों को ले गया, मैं उन आदमियों के नाम भी बता सकता हूं। अधिकारी ने उस चैक को देखा और वह भी परेशान हुए, और थोड़ी बहुत इधर उधर जांच की। इस के बाद एक बहुत ऊंचे अधिकारी जो फाइनेन्स विभाग के थे, आडिट विभाग के शायद दूसरे नम्बर पर थे, बिल्कुल टाप के नहीं, वे मेरे पास आये। मैं ने उन से बात की। मैं ने हिसाब रखने का क्रम समझना चाहा क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत हिसाबिया हूं, और जानता हूं कि किस तरह से ऐकाउन्ट्स रखे जाते हैं। मुझ को हिसाब का कुछ अनुभव है। मैं ने उन से समझना चाहा कि यह सब कैसे सम्भव है, आप की चैकिंग का क्या तरीका है जो कि चैक इस तरह से किसी को भी दिया जा सके। मुझे ऐसा लगा कि वह खुद समझ नहीं पा रहे थे और न मुझे वह कुछ समझा सके। फिर मुझ को यही चारा दिखाई पड़ा कि मैं होम विभाग की शरण लूं। मैं ने उन व्यापारियों को ले जा कर सरदार वल्लभभाई के सामने पेश किया। उन्होंने वह चैक उन के सामने रखा। मैं ने उन से कहा कि यह चैक जाली नहीं है, सही है, इस का रुपया मिल सकेगा। लेकिन यह चेक ऐसा है जिस के बारे में पाने वाला कह रहा है कि रुपया मेरा नहीं है और यह चैक उसी को दिया गया है। यह तो एक ही चैक है, लेकिन इस तरह के हज़ारों चैक हो सकते हैं। आप रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन रुपया इस बड़े सूराख से बह रहा है, मैंने उन से निवेदन किया कि एक आदमी को गिरफ्तार करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप को यह समझना है कि यह कैसे हो रहा है, इस हिसाब का क्रम क्या है जिस में ऐसी बात हो सकती है। मगर वह बेचारे क्या करते। उन के सामने चारा ही क्या था। उन का तो होम डिपार्टमेंट था, उन्हों ने अपने सेक्रेटरी श्री शंकर को आज्ञा दी कि इंटेलिजेन्स ब्रान्च के सुपुर्द यह काम किया जाय। उन्हों ने जो कुछ भी लिखा हो, मैं नहीं जानता उस के कुछ दिनों बाद मैं ने यह सुना कि पुलिस वालों ने उस क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। मैं जानता नहीं, लेकिन मैं ने सुना कि पुलिस वालों ने उस आदमी को भी मांगा था जिस ने चैक पर दस्तखत किये थे। लेकिन फाइनेन्स विभाग ने या गवर्नमेंट के लोगों ने उस को गिरफ्तार नहीं होने दिया। और वह छोटा क्लर्क जो सौ पचास रुपया का नौकर था गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास पुलिस के एक अफसर आये और कहा कि बताइये कि बात क्या है। यह

[श्री टंडन]

सन् १९४९ की बात है । मैं ने उन को अपना बयान लिखा दिया । वह जो दोनों व्यापारी थे उन्होंने भी अपने बयान दिये । उस के बाद मुकदमा चला, मुकदमा चला उस डाक क्लर्क के ऊपर । लेकिन जिसने चैक पर दस्तखत किये थे वह गिरफ्तार नहीं हुआ : और आज तक नहीं हुआ । मेरे पास गवाही के लिये सम्मन आया । मैं गवाही में गया और गवाही मैं ने दी । मेरी लिखित गवाही मिसल पर है । मेरी यह गवाही सन् १९५१ में हुई थी । मैं ने समझा था कि केस आगे चलेगा और बात आगे बढ़ेगी । मुख्य बात तो जांच थी । अब मुझे उन व्यापारियों में से एक के द्वारा, जिन के कहने से यह मामला चला था, पता चला है कि उन के पास फाइनेंस विभाग से खत पहुंचा है कि वह मुकदमा वापस ले लिया गया है और दफ्तर की कार्यवाही जिस को डिपार्टमेंटल जांच कहते हैं, होगी । यह खत इसी अक्टूबर सन् १९५२ का है । मैं नहीं जानता कि इस तरह से कितने लाखों और करोड़ों रुपये गये होंगे । यह आदमी ईमानदार था, उस के दर्द था, वह मेरे पास दौड़ा आया । लेकिन जो बेईमानी करते हैं वे तो मेरे पास आने वाले नहीं हैं । न मालूम कितने लाखों और करोड़ों आप के रुपये इस सूराख से निकल गये इस का आप को पता नहीं है और आज तक उस की जांच नहीं हुई है । फाइनेन्स विभाग के मंत्री यहां नहीं हैं । उन्होंने कल एक कमेटी बनाई थी । मैं चाहता हूं कि उन को साहस हो कि वे एक ऐसे स्वतंत्र कमीशन को बनावें जिस में आडिट और हिसाब जानने वाले आदमी हों । आप के आडिटर लोग पकड़ नहीं सके कि रुपया किस तरह से गया है । आडिटर जनरल हैं, डिप्टी आडिटर जनरल हैं, लेकिन उन को जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है । यह शिकायत चार बरस की है और ज्ञान पड़ता है कि चार बरस में उन की यह समझ में नहीं आया कि रुपया किस तरह से गया है । आप होशियार लोगों का कमीशन बनावें । यह चैक इम्पीरियल बैंक के नाम है । यह कमीशन यह देखे कि किस तरह के हिसाब रखने से रुपया जाता है । यह इतनी बड़ी रिपोर्ट है । मैं इस के एक ही अंग पर बोल सकता था । मैं ने इतना समय ले लिया इस बात के दिखाने में कि आप का रुपया किस तरह बह रहा है । आप बीस अरब की फिक्र में हैं पर न मालूम इस तरह से आप का कितना रुपया गया है । मैं सुझाव देता हूं कि जब तक आप का दफ्तर, आप का इन्तज़ाम इस तरह का है, आप बड़ी-बड़ी प्लानें न बनावें, आप छोटी प्लानें बनावें, अपने दफ्तर को संभालें और कुल शासक वर्ग को संभालें । इन बेईमानों को जो आप के पास इकट्ठे हैं ठीक करें तब प्लानिंग में सफलता की आशा हो सकती है ।

इसके पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्याह्न भोजन के लिये पौने तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

सदन की बैठक भोजनोपरान्त पौने तीन बजे पुनः प्रारम्भ हुई ।

[**उपाध्यक्ष-महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं योजना मंत्री को विश्वास दिला दूं कि मैं इस योजना का वस्तुनिष्ट रूप से अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा हूं तथा अपने कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं । योजना के इन दोनों अंकों का प्रयोजन देश में चीजों की कमी को दूर करना है । एक प्रकार से तो मुझे प्रसन्नता है कि यह सरकार देश की तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है जो कि असाध्य रुप में हमारे सामने खड़ी हैं । किन्तु प्रश्न यह है कि इन समस्याओं के निदान का क्या

यह ईमानदार और व्यवहारिक ढंग है ? क्या हम वास्तविक्ता में इसे योजना कह कर पुकार सकते हैं ? योजना का आशय होता है कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना, देश को कुछ गम्भीर व्याधियों से छुटकारा दिलाना, और इसके लिए योजना का सम्पूर्णतायुक्त एवम् अवयवभूत होना आवश्यक है । किन्तु प्रस्तुत योजना महज़ विभिन्न परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा मिलाकर बन दिया गया एक स्वरूप भर है । यह कोई सह-परिपूर्ण योजना नहीं है । और इसलिए, यदि इसका कोई भाग असफल हो जाए, मूर्तरूप न हो, तो इसका अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । मैं आपके सम्मुख यह लाना चाहता हूं कि इस योजना का लक्ष्य क्या है । कोई भी योजना किसी साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है और जब कि साध्यों को भली भांति न वर्णित किया गया हो तब तक साधनों के लिए साध्य को प्राप्त करना कठिन है । प्रस्तुत योजना में जो केन्द्रभूत लक्ष्य वर्णित किया गया है वह समुचित रूप से तथा वैज्ञानिक रीति से नहीं वर्णित किया गया । लक्ष्य बतलाया गया है लोगों का जीवन-माप ऊँचा उठाना तथा अधिक उत्तम जीवन के लिए उन्हें अवसर प्राप्त कराना । यह सुन्दर किन्तु अस्पष्ट भाषा है । आपके ठोस सुझाव क्या हैं ? किन आंकड़ों पर आप अपना ढांचा निर्माण करेंगे ? इस समय लोगों की दशा क्या है ? वर्तमान जीवन-मान पर कितनी वृद्धि की जाएगी ? ये सब बातें योजना में स्पष्ट होनी चाहिएं । आगे एक स्थान पर कहा गया है कि सरकार आय की असमानताओं को दूर करना चाहती है, किन्तु फिर इस लक्ष्य को विशिष्ट रूप से क्यों नहीं वर्णित किया गया है ? यदि सरकार आर्थिक समानता लानी चाहती हो तो "समाजवादी राज्य" अथवा "वर्ग-रहित राज्य" शब्दों का बिल्कुल जिक्र क्यों नहीं किया गया है ? फिर इस सम्बन्ध में हमें कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं कि इस समय सम्पत्ति तथा आय के वितरण में आय की असमानताएँ क्या हैं । मैंने अन्य योजनाओं का अध्ययन किया है और उनमें मैंने इस प्रकार के ठोस आंकड़े पाए हैं । यहां वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत न करके महज़ एक आशा व्यक्त की गई है ।

योजना में कई नारे दिए गए हैं । एक नारा है 'जमीन किसान को' । यदि यह एक लोकतंत्री योजना का नारा है तो इसके पहले यह अनिवार्य हो जाता है कि ज़मीन का राष्ट्रीयकरण किया जाए । किन्तु इस योजना में जमीन का स्वामित्व चिरकालिक बनाने का प्रयत्न किया गया है । केवल यही नहीं, उत्तराधिकार भी जमीन पर होगा । यदि किसी किसान 'क' का पुत्र न्यायाधीश या कोई और बड़ा आदमी हो जाता है तो भी उस जमीन पर उसका अधिकार बना रहेगा । परिणाम यह होगा कि उसे उस जमीन को जोतने में कोई रुचि नहीं होगी तथा ज़मीन बेकार पड़ी रहेगी । यदि ज़मीन उन किसानों को दी जाए जो इसकी जुताई में प्राणप्रण से जुट जाएं केवल तभी देश के सामने एक उज्ज्वल भविष्य हो सकता है तथा हम अपनी खाद्यानों की कमी पूरा कर सकते हैं ।

फिर, एक नवीन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है । यदि यह पाया जाता कि कोई व्यक्ति क्षमतापूर्वक कृषि नहीं कर रहा तो भूमि व्यवस्था बोर्ड, जिसकी कि स्थापना की जायेगी, उसकी जमीन को आपने हाथ में ले लेगा । प्रश्न यह है कि इस बात को कौन निर्णीत करेगा कि जमीन ठीक प्रकार जोती जा रही है अथवा नहीं? ऐसा निर्णय करने का मान क्या होगा ? मुझे डर है कि आजकल सरकार में जिस प्रकार का

[श्री एस० एस० मोरे]

भ्रष्टाचार और अक्षमता है उसे देखते हुए यह अधिकार क्रूरता का एक शस्त्र बन जाएगा । भूमि के व्यवस्था बोर्ड द्वारा नियंत्रित होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु भ्रष्ट अधिकारी इसे किसानों से रुपया ऐंठने का एक साधन बना लेंगे । और यदि अफसरों को खुश करने के लिए उसके पास रुपया नहीं होगा तो उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा ।

इसके पश्चात् उस व्यवस्था-तंत्र को लीजिए जिसके द्वारा कि यह योजना कार्यान्वित की जाएगी । यह काम किया जाएगा नौकरशाही द्वारा जहां भ्रष्ट और अक्षम लोग भरे हुए हैं जिनमें से बहुत से पक्षपात द्वारा आए हैं । कुछ विभागों के प्रमुख बिलकुल मस्तिष्क-रहित हैं । हमें इस व्यवस्था को चोटी से नीचे तक सुधारना होगा, तभी जनता में भरोसा पैदा किया जा सकता है । प्रधान मंत्री से भी हम यह प्रश्न पूछने में कोई गुनाह नहीं करेंगे कि कितने मंत्रियों को उन्होंने उनकी कार्य-कुशलता और सक्षमता पर लिया है । प्रधान मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि वह नौकरशाही को समाप्त करना चाहते हैं, उसे भ्रष्टाचार-रहित बनाना चाहते हैं तो यह काम ऊपर से—मंत्रियों के स्तर से—प्रारम्भ होना चाहिए, दूसरे सिरे से नहीं ।

में एक बात और कह कर समाप्त करूंगा । बम्बई के अनेक भागों में अकाल पड़ रहा है । योजना का विरोधी होते हुए भी में आपको अपना सहकार देने को तैयार हूं । किन्तु में लोगों से कहूंगा क्या ? महाराष्ट्र में, कर्नाटक के कुछ भागों में, हज़ारों पशु चारे की कमी के कारण मर रहे हैं, लाखों व्यक्ति अपना घरबार छोड़ रहे हैं, और आप अब कहते हैं कि २५ वर्ष में उनकी आयु दूनी हो जाएगी । एक शताब्दी के चतुर्थांश में ! शायद इनमें से कितने ही पशु और आदमी २५ मास बाद जीवित भी नहीं रहेंगे । में नहीं समझता कि में उन में किसी प्रकार का उत्साह पैदा कर सकता हूं । में अपने ही लिए नहीं कांग्रेस की टिकट पर आए लोगों के लिए भी कहता हूं कि दशा इतनी हृदयद्रावक है कि आप उनके सामने पड़ने का साहस नहीं कर सकते ।

श्री चट्टोपाध्या : पंचवर्षीय योजना दो भागों में विभक्त की गई है । प्रथम भाग में परिस्थिति का आर्थिक विश्लेषण किया गया है तथा वे परिस्थितियां बतलाई गई हैं जिनका मुकाबला कि हमें करना है । दूसरे भाग में उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उन्हें आंकड़ेबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

प्रथम भाग पर में योजना आयोग को बधाई देता हूं जिसे उसने इतने अच्छे तरीके से पूरा किया है । किन्तु द्वितीय भाग प्रथम के प्रयोजन का निरसन कर देता है । एक प्रकार से पहला भाग तो प्राण है और दूसरा उसकी कब्र । जिस रूप में यह पंच वर्षीय योजना हमें प्रस्तुत की गई है वह उस कहावती पहाड़ के समान है जिसमें से कि चूहा निकला, किन्तु इस मामले में पंच वर्षीय योजना रूपी पहाड़ में से दुम कटा चूहा निकला है जो कि जाल में से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहा हो । पहले सौ पृष्ठों में समस्या की बृहतता महसूस की गई है । इसके तीव्र विरोध में, आगामी पृष्ठों में अत्यन्त न्यून लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।

एक वर्ष पूर्व जो योजना का मसविदा तैयार किया गया था उससे इस अंतिम योजना की लागत २० प्रतिशत अधिक

हो गई है जब इसमें उत्पादन उससे केवल पांच प्रतिशत ही अधिक है । एक वर्ष में इतना अंतर पड़ा । यदि प्रति वर्ष इसी दर से लागत में वृद्धि होती चली जाए तो पांच वर्ष के अंत में लागत दुगनी हो जाएगी, जब कि उत्पादन-लक्ष्य में बहुत मामूली सी वृद्धि होगी ।

योजना में अधिकतर उत्तरदायित्व उद्योगी वर्ग पर रखा गया है । किन्तु उद्योगी वर्ग में आज बड़ी निराशावादी मनोवृत्ति छाई हुई है । इसका क्या कारण है ? मुख्य कारण यह है । हमारे उद्योगों के ८५ प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुएं निर्माणकर्त्ता हैं । और सरकार की औद्योगिक नीति में उन लोगों को अनेक छूटें दी गई हैं जो यहां नई फैक्टरियां स्थापित करेंगे । ये छूटें हैं करों से मुक्ति, मशीनों के आयात पर शुल्क की छूट, दूना अवक्षयण भत्ता तथा लाभ को बाहर भेजने की अनुमति । यह विदेशी उद्योगपतियों के लिए एक अच्छा आकर्षण था । उन्होंने यहां आकर नई फर्मों की स्थापना की तथा छोटे और मध्यन पैमाने के हमारे देशी उद्योगों को समाप्त कर दिया । हमारा देश विदेशी फर्मों के लिए एक चमन और स्वयं हमारी फर्मों के लिए कब्रस्तान बन गया है । विदेशी यहां आकर जम गए हैं और हमारा परिममापन कर दिया है । आप बाज़ार में निकल जाईए, आपको तमाम चीज़ें देश में स्थापित इन विदेशी फर्मों की ही बनी हुई मिलेंगी ।

मुझे कहना बहुत कुछ था, किन्तु समय बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए सीधे परिवार आयोजन के विषय में मैं कुछ बातें कह कर भाषण समाप्त करूंगा योजना आयोग ने उच्चतर जीवनमान प्राप्त करने के लिए संतति-निग्रह पर ज़ोर दिया है । इस सम्बन्ध में "ईस्टर्न इकॉनामिस्ट" ने लिखा है कि विश्व-समग्र में खाद्य-परिमाण में जनसंख्या से अधिक वृद्धि हो रही है तथा की जा सकती है । फिर, खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रमुख, डाक्टर डी० केस्ट्रो, ने अपनी पुस्तक "ज्योग्रफी आफ हंगर" में लिखा है कि विश्व का जीवन नव-माल्थसवाद के अतिरिक्त लोगों के उन्मूलन के सिद्धांत पर अथवा संतति-निग्रह पर आधारित नहीं है; वरन् इसका निदान है धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक बनाना । दूसरे शब्दों में खाद्य-समस्या का हल संतति नियंत्रण नहीं वरन् कमी का नियन्त्रण अर्थात उसे दूर करना है । वह आगे कहते हैं कि भूख और कष्ट का कारण यह नहीं है कि विश्व में बहुत अधिक लोग मौजूद हैं; इसका कारण यह है कि उत्पादन करने वाले बहुत थोड़े हैं और उन पर निर्भर रहने वाले बहुत अधिक ।

समय अब समाप्त हो चुका है, किन्तु मैं एक निवेदन करना चाहूंगा । कलाकार के रूप में, और आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले के रूप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे भी इस योजना से अपने को सम्बद्ध कर देने की बड़ी अभिलाषा है । किन्तु दुर्भाग्यवश, हम कलाकारों—लेखकों, गायकों, चित्रकारों, अभिनेताओं—के लिए आप की योजना में कोई स्थान नहीं है । हम लोगों के लिए कोई ठोस चीज नहीं है । फिर हमें उत्साह कैसे हो सकता है ? आप मरे हुए दिलों को सोत्साह नहीं बना सकते । आप हम में तभी उत्साह का संचार कर सकते हैं जब आप सृजानात्मक क्षेत्र में कलाकार का मूल्य समझें ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : जब कुछ सदस्य इस योजना को कागज़ की बर्बादी कह कर पुकारते हैं तो मैं यह कहने से अपने को नहीं रोक पाता कि इस प्रकार की बातें करना इस सदन के मूल्यवान समय की बर्बादी करना है ।

[श्री ए० एस० टामस]

इस योजना की यह विशिष्टता है कि इसमें आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त और क्षेत्र भी सम्मिलित किए गए हैं । उदाहरणार्थ, सार्वजनिक स्वास्थ के लिए काफी राशि का उपबन्ध किया गया है । मलेरिया नियंत्रण के लिए केन्द्र द्वारा १७ करोड़ रुपए तथा राज्यों द्वारा ७.०५ करोड़ रुपए का उपबन्ध है । हमारी नैतिकता के सम्बन्ध में भी विधान बनाने का उपबन्ध है ।

कठिनाइयां बहुत हैं । हमारा अर्थतंत्र अविकसित तथा असंगठित है । हमारा शासन-तंत्र इतना अधिक कार्य कठिनाई से संभाल सकता है । डा० मुखर्जी ने यह आशंका प्रकट की कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं । किन्तु मुझे यह आशंका है कि २०६९ करोड़ रुपया क्या हम व्यय कर सकेंगे । यदि हम इन रुपयों का ठीक प्रकार व्यय कर सकें तो देश की हालत पहले से कहीं अच्छी हो जाएगी ।

हमारे लक्ष्य अधिक ऊंचे नहीं हैं और मैं एक-दो पहलुओं पर अपने विचार प्रदर्शित करूंगा जिन पर कि विरोधी दल के सदस्यों ने पूरा ध्यान नहीं दिया है । यह प्रश्न पूछा गया है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता । इंग्लैंड जैसे आधुनिक देश में जो इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रयत्न का इतिहास है वह हम सब की नजरों में है ही । गत दो-तीन निर्वाचनों में यह मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न रहा है और हमने देखा है कि जनता ने किस प्रकार इस पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया की है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, बजाय इसके कि विद्यमान उद्योगों को राष्ट्रीकृत किया जाए, यह कहीं अधिक वांछनीय होगा कि राज्य द्वारा नवीन आधारभूत उद्योगों को प्रारम्भ किया जाए ।

यह भी कहा गया है कि औद्योगीकरण के लिए पर्याप्त राशि नहीं रक्खी गई है । हमारे यहां टेकनीकल कुशलता की कमी है तथा औद्योगिक समवायों के प्रबन्ध में हम अन-अनुभावी हैं । परिणामस्वरूप, जिस औद्योगिक क्रान्ति को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं उसके पूरा करने में निर्माण-काल के दौरान में हमें विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा । जिन औद्योगिक परियोजनाओं को हम प्रारम्भ कर चुके हैं उनके सम्बन्ध में जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं हम उनका अनुभव कर रहे हैं । मशीनी औज़ार उद्योग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर कि राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है । उसकी भारत में स्थापना करने के लिए सरकार को आवश्यक रूप से एक स्विस फर्म के सार्थ समझौता करना पड़ा । गैर-सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में असमर्थ हो सकता है । पेनिसिलिन की फैक्टरी की स्थापना के लिए हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ व्यवस्था करनी पड़ी । इसी प्रकार इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिए हमें अमरीका से बात चीत करनी पड़ रही है । मैं समझता हूं कि गत आयव्ययक में हमने १.७५ करोड़ रुपए का जो उपबन्ध ढलवां लोहे के कारखाने के लिए किया था उस रुपए को हम अभी व्यय ही नहीं कर सके हैं । इन बातों से यही विदित होता है कि जो राशि औद्योगीकरण के लिए हम ने रक्खी है उसके उपयोग में हम कठिनाई महसूस कर रहे हैं । हमारे आगे जो तीन वर्ष हैं उनमे हमें अपनी वर्तमान औद्योगीकरण की नीति पर संतोष अनुभव करने का प्रत्येक कारण है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । औद्योगीकरण पर ९४ करोड़ रुपए के व्यय के अतिरिक्त मूलभूत उद्योगों के विकास

के लिए योजना में ५० करोड़ रुपए का और उपबन्ध है। हमारी विद्युत परियोजनाओं के विकास के साथ, सरकार इन ५० करोड़ रुपयों का विशेषकर भारी विद्युत सामग्री उत्पादित करने में करेगी जो हमारी अन्य परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भी सहायक होगा।

योजना आयोग ने भूमी सम्बन्धी अपनी नीति के विषय में कोई निश्चित सुझाव नहीं दिए हैं। यह स्वभाविक ही है क्योंकि हमारे देश में भूमि सम्बन्धी विस्तृत गणना राज्यों की सहायता से सन् १९५३ में हाथ में ली जाएगी। किन्तु मैं आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता भूमि सम्बन्धी समस्याओं का हल देखने को अत्यन्त उत्सुक है। वह इसके लिए अधीर है। कई राज्यों में भूमि की समस्या का समाधान योजना आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा है और यदि इस सम्बन्ध में हम एक या दो वर्ष और रुकेंगे तो जनता संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकती। कुछ राज्यों में, जैसे बम्बई और उत्तर प्रदेश में, भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून पास हुए हैं; किन्तु अन्य राज्यों में कोई भी प्रगति नहीं हुई है और मेरा निवेदन है कि योजना आयोग इस बात को ध्यान में रखे तथा एक विस्तृत भूमि-विधान यथासम्भव शीघ्र तैयार करे।

एक बात और। वित्त मंत्री जी के मुख से यह सुनकर बड़ा उत्साह पैदा हुआ कि योजना के कार्यान्वित होते समय प्रादेशिक शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। मेरे राज्य त्रावनकोर-कोचीन में ९२ लाख लोग हैं और वहां के लिए पंच वर्षीय योजना में उपबन्धित २०६९ करोड़ की राशि में से केवल २७ करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह बिल्कुल अपर्याप्त है। पिछले आय-व्ययक पर चर्चा के समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन को शिक्षितों में फैली अपनी बेकारी की समस्या तथा कुछ और औद्योगीकरण का आवश्यकता है। मुझे खेद है कि इस दिशा में इस योजना में कोई ठोस उपबन्ध नहीं किया गया है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): माननीय उपाध्यक्ष जी, आप ने जो मुझे इस समय बोलने का अवसर दिया है उस के लिये मैं आप को अनेक धन्यवाद देता हूं।

श्रीमान्, हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश की विधान निर्मात्री परिषद् ने ढाई साल के परिश्रम के बाद एक सुन्दर विधान तैयार किया और उस विधान में कुछ पालिसी बतलाई और कुछ डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स दिये और इस दिशा में निदश किया कि किस रास्ते से हमें चलना है और कैसा हमको अपने देश को बनाना है। यह खुशी की बात है कि विधान पास होने के तुरन्त ही बाद शासन ने एक प्लैनिंग कमीशन नियुक्त किया और उसकी अन्तिम रिपोर्ट आने के पूर्व ही योजनाबद्ध कार्य में शासन प्रवृत्त हो गया। इस के बारे में जब ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले प्रकाशित हुई थी तो उस समय इस पर काफी विचार हुआ था। कई व्यक्तियों ने और संस्थाओं ने इस पर अपने वक्तव्य दिये और अपने विचार प्रकट किये। उस के बाद शासन ने उस में काफी परिवर्तन तथा सुधार किया है।

पिछले वर्षों में हमारे देश की मुख्य समस्या खाद्यान्न की रही है और लगभग जो बीस अरब रुपया खर्च हो रहा है, उस का दो तिहाई से भी अधिक देहातों के सुधार पर तथा कृषि की उन्नति पर, कम्युनिकेशन्स, ट्रान्सपोर्ट उत्पादन पर ही खर्च होने जा रहा है, जिस से हमारे देश का नक्शा बहुत कुछ बदलने वाला है।

[श्री राधेलाल व्यास]

पिछले वादविवाद के बाद और देश में चर्चाओं के बाद जो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं उन में सब से बड़ा परिवर्तन विलेज कम्युनिटी प्राजैक्ट्स का है। पहले देहातों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया था। यद्यपि हमारे साधनों को देखते हुए सारे देश में वह प्रोग्राम एक साथ नहीं शुरू किया जा सकता था परन्तु यह खुशी की बात है कि अगर यह कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स सफल हुए तो निश्चय ही भविश्य में देश का नक्शा, जहां तक देहातों का सम्बन्ध है, बिल्कुल बदलने वाला है। और इस काम के लिए ९० लाख रुपया शासन ने मंजूर किया है। इस के अलावा बड़ी-बड़ी योजनायें तो शासन के सामने थीं ही। लेकिन छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये भी तीस लाख रुपया शासन ने और भी मंजूर कर के दूसरे स्थानों के लिये जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं, यह रकम मंजूर की है। इस के अलावा सायेल कन्जर्वेशन और लैंडलैस लेबर को बसाने के काम से लेकर रिवर वैली प्रोजैक्ट्स को, जिस में कि खास तौर पर मेरे राज्य की चम्बल रिवर वैली प्रोजैक्ट भी सम्मिलित है, शामिल किया है। इस के लिये मैं शासन को और प्लैनिंग कमीशन को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि हमारे साथ पूरा न्याय जो किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया है। चम्बल प्रोजैक्ट को नई स्कीम माना गया है। मैं ने इस सम्बन्ध में पिछले समय में प्लैनिंग कमीशन का ध्यान आकर्षित किया था। मध्य भारत, राजस्थान, भोपाल और अजमेर के प्रतिनिधि प्लैनिंग कमीशन से मिले थे और उन्होंने यह बतलाया था कि यह नई योजना नहीं है बल्कि पुरानी है। प्लैनिंग कमीशन ने जो सिद्धान्त निर्धारित किया था उस के अनुसार जो स्कीम विचाराधीन थी, और जिन में काम होने वाला था उन को भी नई योजनाओं में नहीं बल्कि पुरानी योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिये था। इस स्कीम पर लगभग दो करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। सन् १९५० से उस पर कार्य हो रहा है और पचास हजार रुपये मासिक का खर्च उस पर हो रहा है। काफी काम हो चुका है, उस को नई योजना में शामिल कर के तीन वर्ष बाद हाथ में लिये जाने की जो बात है उस से वास्तव में सन्तोष तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह खुशी की बात है कि इस योजना को स्वीकार कर लिया गया है।

इस के अलावा मुझे शासन से केवल इतना ही निवेदन करना है और जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अभी कोई चीज़ आखिरी नहीं है। अगर कोई गलती हुई है, तो उस में सुधार हो सकता है, दुबारा विचार हो सकता है। मुझे प्लैनिंग कमीशन से यह निवेदन करना है कि जो पंच वर्षीय योजना की रिपोर्ट है या जो क्विन्क (CWINC) की रिपोर्ट है जिस में सन् १९४५ से १९५० तक की बातें दी गई हैं, उस में सफा ३६ पर रिवर वैली प्रोजैक्ट्स का नक्शा दिया हुआ है जिस में सब रिवर वैली प्रोजैक्टस थीं। चम्बल रिवर प्रोजैक्ट्स थीं जिस को नई योजना नहीं माना गया था उस को पुरानी मानने के बाद, और उस पर काम शुरू हो जाने के बाद, उस को नज़रअन्दाज़ करना उचित नहीं है। मध्य भारत की जो प्लैन है यदि उस में यह चम्बल योजना न होती तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना से मध्य भारत की जनता में बड़ी निराशा फैलने वाली थी। प्लैनिंग कमीशन ने उस का ध्यान रखा यह बड़ी अच्छी बात है।

एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब प्लैनिंग कमीशन नियुक्त

किया गया था उस वक्त जो टर्म्स आफ रिफरेन्स दिये गये थे उन में यह था कि वह देश के मैटीरियल कैपीटल और हयूमन रिसोर्सेज़ हैं और जो देश के ऐफेक्टिव साधन हैं उन का अच्छी तरह से सदुपयोग हो सके, इस दृष्टि से प्लैन तैयार की जाय। हमारे विकास के लिये और उद्योगों को बढ़ाने के लिये काफी काम किया गया है और सब से बड़ा और अच्छा काम जो किया गया है वह यह है कि बिजली पैदा करने के लिये जो बड़ी बड़ी मशीनरी की आवश्यकता थी उस के लिये पचास लाख रुपया प्लैन में रखा गया है। यह एक बहुत बड़ा काम है, जिस की सारे देश में कमी थी उस चीज की पूर्ति की जा रही है। लेकिन इस के साथ ही मुझे यह कहना है कि बड़ी मशीनरी से ही हमारा काम नहीं चलेगा। जो भूमि के बड़े बड़े ब्लाक्स हमारे यहां तैयार होने वाले हैं उस को सारे देश में बढ़ाने के लिये और उस का उपयोग करने के लिये कई छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है जैसे क्वायल वायर्स, हैं, इन्सुलेटर्स हैं, हीटर्स हैं इन सब साधनों की ज़रूरत है जिस में बिजली का सदुपयोग हो सके। इस की देश में लाखों की तादाद में ज़रूरत होगी। इस की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द ऐसी योजना तैयार की जानी चाहिये जिस में यह सब चीज़ें हमारे ही यहां बनने लगें।

इस के अलावा मुझे यह कहना है कि हमारे देश में इस बात की ओर ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि कई ऐसे कारख़ाने हैं जो बन्द पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं। मैं आप को मध्य भारत का हाल बतलाऊं कि हमारे यहां कई ऐसी जिनिंग फैक्टरीज़ हैं जो काम में नहीं आती हैं। इस समय इस की जांच की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो बेकार पड़े हुए हैं। कौन ऐसी मशीनरी है जो काम में नहीं आ रही है, और उन का कौन सा उपयोग होना चाहिये जिस से जो बेकार दो करोड़ की पूंजी बरबाद हो रही है और जिस से कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है, ठीक उपयोग में आ जाय। हमें इस को ऐसेस करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि प्लैनिंग कमीशन शीघ्र ही सारे देश के साधनों की जांच करेगा और देश के हित में उस का सदुपयोग करेगा।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक नेशनल कमीशन का निर्माण किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जो प्रतिनिधि पार्ट 'ए' और पार्ट 'बी' स्टेट्स के हैं अगर वह ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं होंगे जो इस योजना को ठीक ढंग से बना सकें, जो अपनी स्थानीय भावनाओं को अलग रख कर स्वतन्त्रता के साथ ही कह सकें कि कहां किस चीज़ की ज़रूरत है. जो अपने भावों से ऊंचे उठ कर योजना न बना सकें, उस वक्त तक योजना का जितना उपयोग होना चाहिये और जितनी सफलता मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस के साथ ही साथ एक कमेटी ऐसी होनी चाहिये जो हर रियासत से सम्बन्ध रक्खे, हर रियासत के अलग अलग सर्वे करने वाले लोग हों, वह इन योजनाओं को देखें जो राज्यों की ओर से रिपोर्ट आयें उन पर निर्भर न करें बल्कि यह देखें कि फलां योजना ठीक है या नहीं। स्थानीय भावनाओं के आवेश में आकर लोग अपने कार्यों में अपने स्थानों को प्रमुख स्थानों पर रख देते हैं, लेकिन जिन की आवाज़ जिन के प्रतिनिधि कैबिनेट में नहीं रहते हैं या जिन के लिये बोलने वाले कोई नहीं हैं वह यों ही रह जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर बतलाऊं कि मध्य भारत की योजना में एक छोटी सी बात है, जो कुएं खुदवाने की बात है, उस के लिये अगर आप देखेंगे तो उस की ज़रूरत सभी ज़िलों में है। लेकिन

[श्री राधेलाल व्यास]

मध्य भारत के शुजालपुर, उज्जैन और रतलाम जैसे ज़िलों के लिये जहां मध्य भारत की सब से ज्यादा उपजाऊ भूमि है एक पैसा भी नहीं दिया गया है ।

इसी तरह से और भी बातें हैं । मेरे पास इतना समय नहीं है, श्रीमान्, कि मैं उन सब की ओर हाउस का ध्यान दिलाऊं । लेकिन मैं ने देखा कि यह बतलाया गया है कि कहीं-कहीं किसी किसी ज़िले के अन्दर काफ़ी खर्च किया गया है सभी प्रकार का । इन्डस्ट्रियल हाउसिंग वहां है, माइनर इरिगेशन वर्क्स वहां हैं, हास्पिटल्स वगैरह भी हैं, स्कूलों की योजनायें हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां कोई काम नहीं होने वाला है । इसलिये प्लैनिंग कमीशन को देखना चाहिये, खास तौर पर बी और सी राज्यों में जहां अभी अभी नये नये शासनों का संगठन हुआ है, कि कोई स्थान पिछड़े हुए नहीं रहते, कोई स्थान ऐसा न रह जायें । देश का हर भाग ध्यान में रहे और किसी को नज़रअन्दाज़ न किया जाये ।

एक अन्तिम शब्द मुझे और कहना है और वह यह है कि शासन की जो मशीनरी हो वह ईमानदार हो, और स्वतंत्रता के साथ काम करे तभी यह योजना सफल हो सकती है । यह प्लैन बहुत बड़ी चीज़ है और अगर एक भी आदमी जो इस से सम्बन्धित है, बेईमानी करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, मज़दूर से ले कर मिनिस्टर तक यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो यह समझना चाहिये कि वह राज्य का दुश्मन है और उस के लिये बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिये, उन को कैपिटल पनिशमेंट तक भी दिया जाय तो कोई हर्ज़ नहीं है ।

यदि ज़िम्मेदार आदमी जैसे कि बड़ा इंजीनियर या हैड आफ डिपार्टमेंट कोई छोटी सी भी बेईमानी करता है तो मैं समझता हूं कि उस के लिए बड़ी से बड़ी सज़ा फांसी की सज़ा भी दी जानी चाहिये । तब लोगों में एक अच्छी भावना जाग्रत हो सकती है । तभी लोग सहयोग कर सकते हैं । लेकिन अगर यह बेईमानी रही और यह फेवरिटिज्म, निपाटिज्म और नैगलीजेंस रहा, तो श्रीमान मेरा यह निश्चय ही कहना है कि लोगों में उत्साह की कमी होगी । शासन इस ओर भी ध्यान दे ।

श्री निर्जलिंगप्पा (चितलद्रुग) : योजना आयोग ने जो महान कार्य अपने हाथ में लिया है तथा जिस सन्तोषजनक ढंग से उसमें प्रगति हो रही है उस पर मैं उसे बधाई देता हूं । मैं उसे विशेष रूप से इस बात पर बधाई देता हूं कि उसने देश की मुख्य और आधारभूत समस्या---देश के जनबल के उपयोग---की महत्ता को समझ लिया है ।

एक माननीय सदस्य : यह तो योजना में है नहीं ।

श्री निर्जलिंगप्पा : जो इसे देखना ही नहीं चाहते उन्हें दिखाई ही नहीं दे सकता । ऐसे लोगों को तो जगाया जा सकता है जोकि स्वाभाविक रूप से सो रहे हों, किन्तु जोकि सोने का बहाना करके पड़े हों उन्हें जगाया नहीं जा सकता । जिन लोगों ने योजना को यह जानने की दृष्टि से पढ़ा है कि इसमें वास्तव में क्या है उन्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि गावों के बेरोजगार लोगों के प्रति काफी चिन्ता प्रकट की गई है। शक्ति के विशाल स्रोत के प्रयोग पर, जिसका आजकल उपयोग नहीं किया जा रहा, काफी ज़ोर दिया गया है । उस दृष्टि से यह ठीक ही है कि कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है । इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि यदि वह जन-उत्साह पैदा करना चाहती है और उसका उपयोग करना चाहती है तो उसे सिंचाई की छोटी-छोटी परियोजनाएं चालू करनी चाहिएं ।

इनका परिणाम जल्दी प्राप्त होगा तथा इससे लोगों में उत्साह की भावना का संवरण होगा। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकारों से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए जोकि स्थानीय नेतृत्व से परामर्श करके विभिन्न स्थानों पर इन छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करें।

मैं इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देना चाहता हूं। मेरे खुद के ज़िले के एक गांव में एक गौ-खट्टी, अर्थात्, ढोरों का तालाब, २० वर्ष पूर्व टूट-फूट गया था और लोक-निर्माण विभाग ने उसके पुनर्निर्माण की लागत का ८,५०० रु० का प्राक्कलन किया। किन्तु कुछ स्थानीय नेता आगे आये और वहां एक सौहार्द्धपूर्ण पदाधिकारी था जो उनके पास गया और कहा "मेरे पास ३,००० रु० हैं। यदि आप ग्राम-निवासी इस रुपए से इसे ठीक करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सारी राशि आप को देने को तैयार हूं।" मैं स्वयं वहां गया और मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि यह कार्य एक मास के अन्दर केवल ३,००० रु० में पूरा हो गया और इससे १० एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये पानी और प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों से हम जनता में उत्साह भर सकते हैं। हमें छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं हाथ में लेनी चाहिएं। बड़ी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में भी मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां भी सम्भव हो मशीन के स्थान पर मानव-श्रम से काम लिया जाये।

मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि विदेशी विशेषज्ञों पर सरकार अनुचित रूप से अधिक जोर दे रही है। बहुत सा काम जो हमारे खुद के इंजीनियर कर सकते हैं, उसके लिए भी बाहर से विशेषज्ञों का आयात किया जाता है।

योजना आयोग ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में जो मत व्यक्त किया है उसके सम्बन्ध में एक पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर विशेष रूप से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र का नाम मालनाद है। यह दक्षिण भारत में है और इसका क्षेत्रफल लगभग २५,००० वर्ग मील है। यह अत्यन्त मूल्यवान क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि इस पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया है। योजना आयोग इस बात से अवगत था और इस क्षेत्र की जांच के लिए उसने एक समिति की भी स्थापना की थी। किन्तु प्रतिवेदन के बाद सब चीज़ वहीं समाप्त हो गई। अब भी मेरा यह निवेदन है कि समस्त प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय आयोग की नियुक्ति की जाए। मैं इस क्षेत्र पर इसलिए इतना अधिक जोर दे रहा हूं कि यह बहुत अच्छे परिणाम देने में समर्थ है। यहां खूब वर्षा होती है तथा चंदन की लकड़ी और चन्दन का तेल, सुपारी, मिर्च इत्यादि पैदा होते हैं। इसी क्षेत्र से आपको ९० प्रतिशत कहवा मिलता है। यह क्षेत्र बहुत सी बिजली उत्पादित कर सकता है। इसके तट पर अत्युत्तम पत्तन हैं। इसलिए इस क्षेत्र की बहुत महत्ता है किन्तु इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि भारत के अन्य भागों पर। इन बातों से कुछ ऐसी अनुभूति होने लगती है कि दक्षिण भारत अन्य भागों के मुकाबले में उपेक्षित है। अब भी बहुत देर नहीं हुई है और मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र पर तत्काल ध्यान दिया जाए।

दूसरा क्षेत्र जोकि उतना ही महत्वपूर्ण है जिस पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है, रायलसीमा का है जो सूखी पट्टी कहलाता है। इसके अतिरिक्त मैसूर, कोलार, चित्रालद्रुग और तुमकुर के जिले हैं तथा बम्बई और बीजापुर के लगभग तीन ज़िले हैं। फिर हैदराबाद का कुछ क्षेत्र है। ये ऐसे क्षेत्र हैं

[श्री निजलिंगप्पा]

जहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है किन्तु जहां वर्षा बहुत कम होती है। इन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। बेलगांव जिले के लिए घट-प्रभा नामक परियोजना है जिसके अन्तर्गत कि नहर में प्रति मील वृद्धि पर १,००० एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए अनुबन्धित ५ करोड़ रुपए की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इसे आगामी पांच वर्षों में ही पूरा कर लेना चाहिए।

मैसूर की लक्कावाली परियोजना तथा तुंगभद्र परियोजना की उच्च-स्तरीय नहर का काम भी पूरा किया जाना चाहिए। बम्बई में जो कोयना योजना प्रारम्भ की गई है वह भी पूरी करनी चाहिए। अभी इसे केवल आंशिक रूप में ही लिया जा रहा है। इसे बम्बई तथा हैदराबाद के बड़े बड़े ऐसे क्षेत्रों में जहां की मिट्टी उपजाऊ है किन्तु जहां पानी की कमी है सिंचाई होने लगेगी।

अंत में, मैं सदन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यमान परिस्थितियों में यह सर्वोत्तम योजना है। यह कोई दावा नहीं करता कि यह शत प्रतिशत सन्तोषजनक है—सभी वर्गों को सन्तुष्ट करना सम्भव नहीं है—किन्तु हमारे महान् देश में आयोजन का यह प्रथम प्रयास है तथा प्रारम्भ है। मुझे आशा है कि हममें से प्रत्येक इसके कार्यकरण में अपनी पूरी शक्ति लगाएगा तथा सहयोग प्रदान करेगा।

सरदार लाल सिंह (फीरोजपुर - लुधियाना) : योजना आयोग के प्रतिवेदन का भारत के विकास के इतिहास में एक अत्यन्त विशिष्ट स्थान है। आयोग ने उसमें बहुत परिश्रम किया है। किन्तु फिर भी मुझे यह कहना पड़ता है कि जो लोग कृषि के व्यवहारिक पक्ष के ज्ञाता हैं उनके लिए यह योजना निराशामयी होगी क्योंकि इस में व्यवहारिक अनुभव की परिपक्वता तथा वास्तविक ग्रामीण दशाओं के ज्ञान की कमी झलकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना तैयार करने में आयोग परिस्थिति की वास्तविकताओं से प्रभावित न होकर ऐसे राजनीतिज्ञों से प्रभावित हुआ है जो अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें भारत को खाद्य के मामले में आत्म-भरित बनाने पर उस लगन और तीव्र इच्छा से काम नहीं लिया गया है जिससे कि हमें दूसरे देशों के आगे सर न नवाना पड़े और १००० करोड़ रुपए बाहर से नाज के आयात पर खर्च न करने पड़ें जिससे हम इस रुपए को देश के औद्योगीकरण के हेतु बाहर से मशीनें मंगवाने में व्यय कर सकें। केवल कोरी बातें हमें परिस्थितियों की वास्तविकता से नहीं बचा सकतीं।

हमारी सरकार विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने के लिए सदा तत्पर रहती है और उनकी मंत्रणा बड़े ध्यान से सुनी जाती है। मुझे भी इस प्रकार का एक कटु अनुभव है। लगभग २५ वर्ष पूर्व जब कि शाही कृषि आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही थी, मैंने सुझाव दिया था कि भूमि की चकबन्दी के लिए कुछ सख्ती का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे उस समय हंस कर उड़ा दिया गया। किन्तु अब सभी राज्य इस निदान पर पहुंचे हैं कि यह आवश्यक है। इसी प्रकार लगभग पांच वर्ष पूर्व विभिन्न राज्यों के कृषि-मंत्रियों की एक सभा में जिसका सभापतित्व श्री जयरामदास दौलतराम कर रहे थे, मैंने कहा था कि कृषि में बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिए विधान की आवश्यकता है। उस समय श्री दौलतराम ने कहा था : "भारत कोई फासिस्ट देश नहीं है। हम समझ कर काम करना चाहते हैं। बलपूर्वक नहीं।" निराश हो कर मुझे कहना पड़ा था कि "तब

तो किसी भी बड़े सुधार के लिए हमें प्रलय तक परीक्षा करनी पड़ेगी।" किन्तु आज मैं देखता हूं कि राज्य इसी दृष्टिकोण पर आगए हैं तथा विधान बना रहे हैं। जब मैं पंजाब में कृषि-संचालक हुआ तो मैंने धारा सभा के सदस्यों को थोड़े-थोड़े करके अपने घर पर आमंत्रित किया, उन्हें यह समझाने के लिए कि विभिन्न मामलों जैसे कीट नियंत्रण अधिनियम, शुद्ध बीज अधिनियम, खाद अधिनियम इत्यादि के सम्बन्ध में विधान बनाया जाए। इसका परिणाम आश्चर्य-जनक और आशातीत हुआ। उदाहरणार्थ, शुद्ध बीज अधिनियम के पास होने के प्रथम वर्ष में ही हम कपास के ९० प्रतिशत क्षेत्र को सुधरी हुई किस्म के अन्तर्गत ला सके। यह काम समझाने से पन्द्रह वर्ष में भी नहीं हो सकता था। इस परिणाम से सभी प्रसन्न थे। कपास उत्पादकों को अपनी चीज़ का अच्छा मूल्य मिला; मिलों को लम्बे रेशे की रूई मिलने से प्रसन्नता हुई क्योंकि वे पाकिस्तान पर इसके लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थीं। इसी प्रकार खाद के मामले में हम बिना एक पाई की आर्थिक सहायता दिये दस मास के अन्दर ढाई लाख खाद के गड्ढे खुदवा सके जबकि गत ३० वर्षों में समझाने से हम २०,००० या ३०,००० खाद के गड्ढे भी नहीं खुदवा सके थे। जबकि अन्य प्रान्त इस चीज़ के लिए भारी आर्थिक सहायता दे रहे थे, हम बिना अधिक व्यय किये कहीं शीघ्र इस कार्य को करा सके।

गत तीन दिनों की चर्चा में यहां भी ऊंची-ऊंची बातें हुई हैं, उच्चादर्शों तथा महत् भावनाओं से परिपूर्ण, किन्तु यदि उनका वैज्ञानिक-विश्लेषण किया जाए तो वे बातें व्यवहारिक नहीं उतरतीं। उदाहरणार्थ, भूमि-रहित किसानों को जमीनें देने के सम्बन्ध में बहुत ऊंची आवाज़ें उठाई गई हैं किन्तु यह कोई नहीं सोचता कि ये जमीनें आयेंगी कहां से। कम से कम पंजाब के बारे में मैं कह सकता हूं कि यदि ५० एकड़ से अधिक भूमि वाले जमीन के मालिकों से ज़मीनें ले ली जायें तो अन्य ज़मीनों के क्षेत्र में आधा एकड़ भी वृद्धि नहीं होगी और इससे आन-आर्थिक ज़मीनों को आर्थिक भी नहीं बनाया जा सकता। दूसरे, तर्क के लिए यदि यह मान भी लिया जाये कि हम भूमि-रहित मज़दूरों को एक या दो एकड़ ज़मीन दे भी देंगे तो वे लोग बैल, औजार तथा अन्य वस्तुएं कहां से लायेंगे? तीसरे, क्या एक या दो एकड़ भूमि की खेती से उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार होगा? इस समस्या का हल केवल यही है कि अतिरिक्त श्रम को उद्योग में भेजा जाए। भूमि पर श्रम का दबाव वैसे ही बहुत अधिक है। दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शारीरिक श्रम के गौरव को ऊंचा उठाना चाहिए। शारीरिक श्रम को हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम आस्ट्रेलिया और अमरीका से सबक ले सकते हैं। आस्ट्रेलिया के हमारे प्रधान प्रदेष्टा ने मुझे बतलाया कि जब वे वहां पहुंचे तो वहां के गवर्नर ने उनका स्वागत किया और दोनों भोजन के लिए गए। जिस मेज़ पर वे लोग भोजन के लिए बैठे उसी मेज़ पर उस ड्राइवर ने भी अपनी सीट ली जो उनकी कार चला रहा था। इसी प्रकार का अनुभव मुझे अमरीका में हुआ। इसका परिणाम यह होता है कि मज़दूर की भी उतनी ही इज्जत की जाती है जितनी किसी और की। किन्तु हमारे यहां शारीरिक श्रम को उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। इसलिए हमारे लोगों में श्रम की महत्ता की भावना भरना बहुत आवश्यक है।

सब से बड़ा दोष जो मुझे इस योजना में दिखाई देता है यह है कि यह योजना दो आदर्शों अथवा सिद्धान्तों की खिचड़ी है।

[सरदार लाल सिंह]

यदि हम साम्यवाद के रूसी आदर्शवाद पर चलें तो हम वांच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं; और यदि हम पूंजीवाद की स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार चलें तो भी वांच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु दोनों को मिलाकर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। जब हमारी सरकार बड़े-बड़े उद्योगों की बात करती है तब तो प्राइवेट उद्योगपतियों को बढ़ावा देने, उन्हें करोड़ों रुपए का ऋण देने के लिए औद्योगिक वित्तीय निगम की स्थापना करने इत्यादि की बात करती है और उन्हें करोड़ों रुपए की सम्पत्ति रखने देती है और लाखों रुपए प्रति मास कमाने देती है। किंतु जब ग्राम्य क्षेत्रों का प्रश्न आता है तो वह अति-प्रकार के साम्यवाद की पक्षपोषक बन जाती है। मिश्र में जहांकि भूमि समस्या भारत से भी बदतर है उपरि सीमा २५० एकड़ निर्धारित की गई है। पूर्वी जर्मनी तक में जोकि रू के अन्तर्गत है २०० एकड़ क्षेत्र तक की ज़मीन को नहीं छुआ गया है। किन्तु हमारे राजनीतिज्ञ २० और ३० एकड़ की सीमा बांध रहे हैं। इसका अर्थ है कि गांव में सबसे अमीर व्यक्ति के पास केवल १५,००० रुपए तक की सम्पत्ति हो सकती है जिससे उसे १२५ रुपए प्रतिमास की आमदनी होगी। और इस आमदनी में उसे समस्त परिवार का भरम-पोषण करना है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इसका परिणाम होगा न केवल बड़े किसानों को वरन् छोटे किसानों को भी भगा देना। इसका परिणाम होगा कृषि के पेशे को अशिक्षित, गरीब और अज्ञान किसानों का एकाधिकार बना देना। इस तरह से कृषि--जो देश का सबसे बड़ा उद्योग है--प्राथमिक अवस्था में ही रहा आएगा।

हमारी सबसे बड़ी समस्या खेती योग्य बेकार पड़ी ज़मीन का उद्धार करना है। करोड़ों एकड़ भूमि जो खेती योग्य है, पीढ़ियों से बेकार पड़ी हुई है। लेकिन इस काम को कौन करे? किसान कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। सरकार अपनी अकुशलता तथा लाल-फीतई के कारण आर्थिक-रूप से इसे नहीं कर सकती। इसलिए केवल वैयक्तिक उपक्रम द्वारा ही यह काम किया जा सकता है। किन्तु योजना आयोग ने ५० एकड़ की सीमा बांध कर उसके लिए भी दरवाज़ा बन्द कर दिया है। कौन ऐसा मूर्ख होगा कि बहुत बड़ी राशि खर्च करके ट्रैक्टर खरीदे, जमीन तोड़ कर बोए और पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करे और उसके पश्चात् ५० एकड़ अपने पास रखकर शेष सरकार को दे दे। अतएव इसका अर्थ यही है कि ऐसा एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे खेती योग्य बनाकर भूमि-रहित मज़दूरों को दिया जा सकता था अब बेकार पड़ा रहेगा।

आयोग ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस सम्बन्ध में, मैं देखता हूं कि फल उत्पादन तथा फल-संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण उद्योग को उचित स्थान नहीं दिया गया है। खाद्य की दृष्टि से फल अत्यन्त पोषक हैं। किसी दिए हुए क्षेत्र में खाद्यान्नों की अपेक्षा फल अधिक उगते हैं मज़दूरों को अधिक काम मिलता है तथा सहायक उद्योग पनपते हैं। आस्ट्रेलिया जैसे नवीन देशों ने इस उद्योग में बहुत प्रगति कर ली है और करोड़ों रुपए के फल वहां उगाए जाते हैं। अपने पिछले भाषण में मैंने सुझाव दिया था कि प्रधान मंत्री कृषि संचालकों अथवा कृषि विशेषज्ञों की एक बैठक बुलायें और देखें कि हम इसके लिए गांव में क्या कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है। वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मौलाना मसूदी।

मौलाना मसूदी (जम्मू व कश्मीर): जो पंच साला प्लान हाऊस के सामने ज़ेरे-ग़ौर है मैं उसको नई आज़ादी शुदा वतन के लिए आजादी की दूसरी मंजिल से ताबीर करता हूं। मेरा इस बात पर ईमान है कि हिन्दुस्तान जैसे सदियों से कुचले हुए मुल्क के लिए खाली आजादी कोई मानी नहीं रखती अगर इस आजादी को आबादी के साथ जमा न कर दिया जाये। हमारी आजादी हम से अव्वलीन तकाजा जिस बात का करती है वह इस मुल्क के छत्तीस (३६) करोड़ इन्सानों की आबादी है। इस आबादी के बगैर हमारी आजादी ज्यादा देर तक जिन्दा नहीं रह सकेगी। और अगर हमने अपने मुल्क में अपने लोगों को आबाद न कर लिया तो दुनिया की कोई न कोई ताकत हम से यह ताजा हासिल की हुई दौलत छीन ले जायेगी। इसलिए यह मन्सूबा पेश करके हमारी हिन्दुस्तान की मौजूदा हकूमत ने और सही कदम उठाया है। आप जानते हैं जनाबवाला कि गुलामी की बदौलत और इम्पीरियलिजम् के एक्सप्लायटेशन की बदौलत हमारा मुल्क तरक्की की दौड़ में दुनिया के बाकी मुल्कों से बहुत पीछे रह चुका है और अगर हम इस फासले को जो फासला हिन्दुस्तान की पसमान्दगी और दुनिया के दूसरे मुमालिक की तेज रफ्तार और तरक्की के दरम्यान वाक्या है हम तै कर सकते हैं तो इस किस्म के बाकायदा मन्सूबों के जरिये ही तै कर सकते हैं।

इस चार दिन की बहस के दौरान में कहीं-कहीं यह देखकर ताजुब हुआ कि हिन्दुस्तान की आबादी के पंचसाला प्लान को किसी किसी हल्के में एक जमाअती प्लान की सूरत में देखा गया और इस रंग में इस की मुखालफत की गई, नक्ता चीनी की गई। एक हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियों का होना जरूरी है। लेकिन वतन-परस्ती और ताजा हासिल की हुई आज़ादी की हिफाजत का यह तकाजा है कि कुछ चीजें हमारे दरम्यान ऐसी हों जो पार्टी पालिटिक्स से बालातर होकर के देखी जायें। और मैं यह समझता हूं कि यह पंच साला प्लान ऐसी चीजों में से एक होनी चाहिए थी जिस पर गौर करते वक्त हम जमाअती हदों से जरा ऊपर हो जाते और इसको सिर्फ अपने वतन, कौम और मुलक की बहबूदी की निगाह से देखते।

जनाब वाला, मैं यह समझता हूं कि इस प्लान में जो कुछ भी वक्त के महदूद जरिये आम्दन के लिहाज से मुमकिन हो सकता था उससे भी कुछ ज्यादा रखा है और दुरुस्त तौर पर। मैं यह यकीन करता हूं कि इसकी काम्याबी के लिए कौम में एक जोश सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि इसके बारे में पार्लियामेंट के मेम्बर इस हाल के अन्दर अच्छी अच्छी तकरीरें करके चले जायें। मैं समझता हूं कि इस हाऊस का वह हिस्सा वह अरकान और वह मैम्बर जो इस प्लान की ताईद में हैं उनमें से हर एक पर इस हाऊस के बाहिर बहुत सा फर्ज आयद होता है और जब तक हर एक मेम्बर चाहे वह इस हाऊस का मेम्बर हो या किसी इस्टेट लैजिस्लेटिव का मेम्बर हो अपने-अपने हल्का इन्तखाब में अपने-अपने इलाका में इस प्लान को कामयाब करने के लिए जिम्मेदारियां अपने जिम्मे नहीं लेगा, तब तक प्लान की कामयाबी के लिए हम पर जो फर्ज आयद होता है उसका पूरा-पूरा हक अदा नहीं हो सकेगा। और मुझे यकीन है कि अगर हिन्दुस्तान के मरकजी लैजिस्लेचर और इस्टेट लैजिस्लेचर्स के मैम्बर अपने ऊपर इस को कामयाब करने की जिम्मेदारी ले लेंगे तो वह दो चीजें दो दिक्कतें जिन की तरफ यहां बराबर इशारा किया गया है एक तो अवाम का कोआपरेशन और दूसरा इसको चलाने वाली जो सरकारी मशीनरी

[मौलाना मसूदी]

होगी उसकी कमजोरियां हैं, दोनों बातों की तलाफी हो जायेगी । वह इस हाऊस और बाकी हाउसेज़ के मैम्बर ही हैं जो एक तरफ लोगों का कोअपरेशन इसके साथ ला सकते हैं और दूसरी तरफ अपनी अपनी इस्टेट्स में उन महकमों और काम करने वालों सरकारी अफसरों और सरकारी अमलों को सही रास्ते पर रख सकते हैं और अच्छी तरह से इनको चैक कर सकते हैं ।

जनाब वाला, इस प्लान में सबसे बड़ी खुशखबरी इस इस्टेट के लिए जिससे आने का मुझे शरफ हासिल है—जम्मू और कश्मीर की इस्टेट—इस के लिए जो सबसे बड़ी तारीफ के काबिल चीज इस प्लान में रखी गई है वह है बानहाल पहाड़ में तीन करोड़ रुपया खर्च करके एक सुरंग निकालना, एक तनल निकालना । आपको इल्म है कि कश्मीर जिसका दरवाजा सर्दी गर्मी के मौसम में सब पर खुला रहता है कुदरत की ताकतें इसका सर्दी के मौसम की खूबसूरती के लिए दरवाजा बन्द कर देती हैं। मैं इस वक्त जब पूरी वैली और इसके पहाड़ एक सफेद चादर में लिपट जाते हैं उस वक्त कश्मीर पर कश्मीर के बाहिर वालों को कुदरत नजर नहीं डालने देती है और खास कर बानहाल पहाड़ एक बहुत ग़जबनाक मुहाफ़िज बन कर सामने खडा हो जाता है । कुदरत के इस कुफ़ल को तोड़ने के लिये और इस बढ़ो रुकावट को दूर करने के लिये बानहाल पहाड़ में कुफल लगाने के बगैर और कोई सूरत नहीं हो सकती । मै यह कहते हुए कश्मीर और जम्मू के तमाम लोगों के दिलों के जजबात की तरजमानी करूंगा कि यह प्लान कश्मीर के लिए सही मानी में साल भर कश्मीर का मुकम्मल एक्सैशन हिन्दुस्तान के साथ कायम करने के लिए एक बहतरीन जरिया बन रहा है । नहीं तो स्यासी और लीगल एक्सैशन हो जाने के बावजूद भी बानहाल पहाड़ सरदी के मौसम में हमारे अमली एक्सैशन में बड़ी भारी रुकावट बन जाया करता था ।

लेकिन, जनाब वाला, जहां बानहाल पहाड़ में सुरंग लगाने के लिए कमीशन ने बड़ी फयाजी से और खुले दिल से काम लिया है वहां मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कन्यूनिकेशन के कुछ और जरा हैं जिनको नजरअन्दाज कर दिया गया है । बिल्खसूस पठानकोट से जम्मू जाने वाली रेलवे लाइन के लिए मुझे इस प्लान में कोई चीज दिखाई नहीं देती । इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की रियासत में जहां इस वक्त एक मील भी रेलवे नहीं और जहां तमाम ट्रान्सपोर्ट का दारोमदार लारी और मोटरों पर है और जहां कश्मीर की हकूमत ने थोड़े से वक्त में ट्रान्सपोर्ट के एक बड़े हिस्सा को नैशनलाईज करके काफी तरक्की दी है वहां इसकी मजीद तरक्की के लिए मुझे इस प्लान में कोई चीज दिखाई नहीं देती ।

इसके अलावा एक दो चीजें जो बहुत अहम थीं उनको नजरअन्दाज किया गया है । जनाबवाला, मैं उनकी तरफ भी इस कमीशन की तवज्जो आपके जरिये दिलाना जरूरी समझता हूं । इनमें से एक चीज कश्मीर के घरेलू धन्धे हैं । जनाबवाला, कश्मीर में कुछ ऐसी पोजीशन है कि वहां सात महीने लोग काश्तकारी कर सकते हैं, बागबानी कर सकते हैं लेकिन पांच महीने ऐसे आ जाते हैं जबकि वह मजबूर हो जाते हैं दरवाजा बन्द करके बन्द मकानों में बैठने के लिए । ऐसे मौका के लिए जरूरी है कि उनके सामने घरेलू धन्धों का इन्तजाम हो जिसकी वजह से वह पांच महीने उन लोगों के जाया न हों और वह कमा करके पूरे साल खा सकें क्योंकि मौजूदा वक्त में वह सिर्फ सात महीने कम

हैं और बारह महीने खाते हैं। इस प्लान में उन घरेलू धन्धों के लिए भी कोई चीज दिखाई नहीं देती।

इसके अलावा कश्मीर में कोअपरेटिव की तहरीक जो एक काफी हद तक काम्याब तहरीक साबित हो चुकी है और जिसके जरिये जरूरियात जिन्दगी और दूसरी चीजें लोगों में तक्सीम करने का काम और उनकी पैदा की हुई चीजों को मारकीट तक ले जाने का काम बहतरीन जरिये पर हुआ है, इस कोअपरेटिव सिस्टम को भी इस प्लान में बढ़ाने के लिए कोई खास चीज नहीं रखी गई है।

यह चन्द एक जरूरी बातें जो इस छोटे से वक्त में जनाब वाला में पायेंट आऊट कर सकता हूं मैं चाहता हूं कि कमीशन के मुअज़्ज़ अरकान की तवज्जो इसकी तरफ ममज़ूल कराऊं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बहैसियत एक मजमूअी प्लान काबिले तारीफ है और इसके सिलसिले में लीडर आफ दी हाऊस ने जो तजवीज़ पेश की है, जनाब वाला, मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस संसद् के बाहर लोग यही सोच रहे हैं कि यह पंचवर्षीय योजना भारत के प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित एवम् प्रभावपूर्ण उपयोग करने में समर्थ होगी अथवा केवल कुछ राजनीतिज्ञों को अपने पदों पर बनाये रखेंगी। अंग्रेजी माल समाप्त होने के पश्चात् लोगों ने आशा लगाई थी एक नए आर्थिक युग की। पांच वर्ष गुज़र जाने के पश्चात् भी लोग भूख और संक्रामक आर्थिक विकलता के शिकार बने हुए हैं।

भारत की सर एम० विश्वेश्वरय्या ने जो सेवा की है उसे हमें नहीं भुलाना चाहिए। उन्होंने अपनी सर्वप्रथम योजना "भारत के लिए आर्थिक योजना" के नाम से प्रस्तुत की। तब से देश में आयोजन पर बराबर ध्यान दिया जाता रहा है। श्री विश्वेश्वरय्या ने अपनी योजना में कहा था कि भारत के निर्माण और आर्थिक उत्थान के लिए तीन आधारभूत बातों की आवश्यकता है : शिक्षा, उद्योग तथा सैनिक प्रशिक्षण। उन्होंने रक्षा सम्बन्धी उद्योगों पर बहुत जोर दिया था। किन्तु हमारे आयोजकों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। अनाज की जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, कश्मीर की समस्या है, पाकिस्तान का भारत के प्रति जो रुख है और तिब्बत की हमारी सीमा तक जो विदेशी आ पहुंचे हैं इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने युद्ध उद्योगों को एक ऐसे स्तर पर संगठित करने की आवश्यकता है कि कुछ समय में भारत अपनी रक्षा-सम्बन्धी सामग्री के मामले में आत्म-निर्भर हो जाये।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, देश में निरक्षरता ९० प्रतिशत है। इसके बारे में क्या किया गया है ? इस योजना में उन मुसीबतजदा शरणार्थियों के लिए भी बहुत न्यून व्यवस्था की गई है जो पूर्वी बंगाल से आए हैं। इस योजना में पंजाब और बंगाल से आए हुए शरणार्थियों की कुल संख्या ७५ लाख बतलाई गई। यह संख्या गलत है। हम सब जानते हैं कि लगभग १ करोड़ लोग पाकिस्तान से यहां आये हैं। जब कि सरकार सही आंकड़े भी नहीं जानती तो आयोजन कैसे कर सकती है ? इन एक करोड़ लोगों को पुनर्वासित करने का कोई कार्यक्रम इस योजना में नहीं है। और सरकार गलत प्रचार कर रही है। वह कहती है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए अधिकतर शरणार्थी बसा दिए गए हैं। मैं समझता हूं सदन में कोई भी इससे सहमत नहीं होगा। इसी प्रकार यह कहा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ७५ प्रतिशत लोगों को बसा दिया गया है। यह अतिशयोक्ति है।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

आयोजन करने का यह तरीका नहीं है । गलत आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने से आप कभी सफल नहीं हो सकते ।

इसके अतिरिक्त और बातें हैं । अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उनमें उत्साह पैदा करे । पंच वर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए टेकनीकल, चिकित्सक तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देनी चाहिए । इससे उनमें उत्साह जाग्रत होगा । इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग चलाने के लिए भी पर्याप्त राशि का उपबन्ध होना चाहिए । पूर्वी बंगाल में एक क्षेत्र है जहां अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और वे लोग अब यहां आ रहे हैं । इन शरणार्थियों के लिए कुछ नहीं किया गया है जो वहां से निकाल दिए गए हैं । यह कहने से कोई लाभ नहीं कि भारत सेवक समाज यह कर देगा । हमें शंका है कि यह पार्टी आधार पर चल रहा है । मंत्री जी को यहां खड़े हो कर बतलाना चाहिए कि भारत सेवक समाज पर इस योजना से कितना रुपया खर्च किया जाएगा और वचन देना चाहिए ।

श्री नन्दा : सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं स्पष्ट रूप से बतला चुका हूं कि भारत सेवक समाज को कोई भी राशि, किसी भी प्रकार आर्थिक सहायता सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी और भारत सेवक समाज के लिए योजना में कोई राशि उपबन्धित नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : योजना में सामाजिक तथा धर्मार्थ संगठनों के लिए ४ करोड़ की राशि निर्धारित है । मैं जानना चाहता हूं कि यह राशि किसे दी जाएगी । हमारा ख्याल था कि भारत सेवक समाज को कुछ दिया जाएगा । किन्तु हम यह जानना चाहते हैं यदि भारत सेवक समाज का इस योजना की कार्यान्विति में कोई भी भाग रहे तो यह सर्वदलीय बात होनी चाहिए और कोई दल या सदस्य उससे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए ।

श्री नन्दा : कोई भी दल बाहर नहीं रखा जा रहा । कोई भी आ सकता है ।

सभापति महोदय : मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देते समय इन बातों का उत्तर दें तो अच्छा होगा । अन्यथा चर्चा का रूप बदल जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : भारत सेवक समाज का इस योजना में जिक्र किया गया है । इसका जिक्र ही क्यों किया ? इतने समाज और संघ हैं जो बहुत अच्छा सामाजिक और धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं । मैंने सोचा कि इसका इसलिए जिक्र किया गया है कि योजना कार्य से इसका कोई सम्बन्ध था । हम यथार्थ स्थिति जानने के इच्छुक हैं । इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

मेरा समय समाप्त हो चला है । अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगा बांध योजना के लिए कुछ करना चाहिए । हुगली नदी और कलकत्ता खतरे में हैं । इस बात को देखते हुए कि जहां से हुगली नदी मुख्य धारा के रूप में बहती है वहां से पाकिस्तान की सीमा बहुत पास है । इसलिए इसका महत्व और भी अधिक है । यदि आप हुगली को और कलकत्ता नगर को जिन्दा रखना चाहते हैं तो आपको गंगा बांध योजना को पुनः प्रारम्भ करके उसके लिए पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध करना चाहिए ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : सर्वप्रथम मैं उन वित्तीय साधनों का प्रश्न लूंगा जिन्हें यह योजना विभिन्न स्रोतों

से उगाहएगी। १५६ करोड़ रुपए को निकाल कर जोकि बाहरी सहायता से प्राप्त होंगे योजना में १२५८ करोड़ रुपए का उपबन्ध है। यह कहा गया है कि केन्द्रीय राजस्व के स्रोतों से १६० करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्राप्त हो सकेंगे। राज्य के राजस्वों से ४०८ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की प्राप्ति की आशा की गई है। मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये ४०८ करोड़ रुपए किस प्रकार प्राप्त होंगे। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि १७६ करोड़ रुपए उपभोग पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना तथा विनियोजन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना उगाहे जा सकते हैं। फिर भी २३२ करोड़ रुपए की खाई रहती है। इसमें से कहा गया है कि १६५ करोड़ रुपए करारोपण द्वारा उगाहे जायेंगे जैसे भूमि-राजस्व पर कर, कृषि-आय कर, बिक्री कर, मृत्यु कर, सिंचाई शुल्क इत्यादि। हम सब जानते हैं कि कुछ राज्यों को अतिरिक्त कर लगाने में कठिनाई पड़ रही है। ६७ करोड़ रुपये फिर भी शेष रहते हैं। मैं नहीं जानता कि ६७ करोड़ रुपये की यह कमी कहां से पूरी की जाएगी। योजना में यह नहीं बतलाया है।

इसके अतिरिक्त ३६५ करोड़ रुपए की खाई और है। वास्तविक खाई तो ६५५ करोड़ रुपए की हैं किन्तु २९० करोड़ की घटी की व्यवस्था करके ३६५ करोड़ की खाई पाटने को रहती है। जहां तक केन्द्रीय राजस्व का प्रश्न है, योजना में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है और मुझे नहीं मालूम कि ये ३६५ करोड़ रुपए कहां से आयेंगे। मैं समझता हूं कि घटी की अर्थ-व्यवस्था की जितनी राशि का उपबन्ध किया गया है और कहीं अधिक राशि हमें इस प्रकार से उठानी होगी। यदि ऐसा किया गया तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी। इससे सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्रों में संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। सिद्धान्त रूप से मैं घटी की अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु विशेषकर हमारे देश में जहां के अर्थ-तंत्र में विकास हो रहा है यदि हम बिना समुचित नियंत्रण तथा विनियमन के घटी की व्यवस्था लागू करें तो मैं समझता हूं हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक बार मुद्रा स्फुरण प्रारम्भ होने पर उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। हमें नहीं मालूम कि मुद्रा-स्फुरण प्रारम्भ होने पर वित्त मंत्री जी इसे रोकने के लिए क्या उपाय प्रयुक्त करेंगे।

योजना में वैयक्तिक क्षेत्र को निश्चित रूप से स्थान दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं तथा यह वैयक्तिक क्षेत्र वालों पर ही छोड़ दिया गया है कि देश के विनियोजन साधनों की खोज स्वयं करें। मेरा यह कहना है कि लगभग सभी उपलब्ध विनियोजन स्रोत तो सरकार द्वारा प्रयुक्त कर लिए जायगे और वैयक्तिक क्षेत्र तो सूखा रह जाएगा। जबकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक ऐसी अवस्था में यदि एक क्षेत्र साधनों की कमी से प्रभावित हो तो दूसरे पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए वैयक्तिक क्षेत्र के सम्बन्ध में भी साधनों और स्रोतों को निश्चित रूप से इंगित करना पड़ेगा जिससे कि यह क्षेत्र अपना पूरा भाग अदा कर सके।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का प्रश्न है, मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि छोटे पैमाने के उद्योगों, कुटीर उद्योगों, तथा बड़े उद्योगों के मध्य समन्वय का सिद्धान्त सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यहां भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि एक क्षेत्र को कुछ लाभ देते समय हम दूसरे क्षेत्र को कोई हानि न पहुंचाएं। हमें प्रयत्न करना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि हम बिना तीनों से किसी को हानि पहुंचाये हुए यह कार्य किस प्रकार कर सकते हैं। हमें देखना

[श्री तुलसीदास]

चाहिए कि जापान ने यह किस प्रकार किया है। देश में कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का बड़े उद्योगों के साथ साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें हर प्रकार का संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री तुलसी दास : एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। योजना के कार्यकरण के सम्बन्ध में सभी ने यह कहा है जनता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। यह ठीक है क्योंकि विना इसके योजना सफल नहीं हो सकती। मेरे माननीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि प्रति वर्ष योजना में हुई प्रगति के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाए। इससे व्यय के सम्बन्ध में जांच हो सकेगी और हमें व्यय को पुनरीक्षित करने का मौका मिल सकेगा। हमारे प्राक्कलन बहुधा गलत हुआ करते हैं। इससे व्यय सम्बन्धी गलतियों पर अंकुश लगेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य १० के स्थान पर १७ मिनट बोल चुके हैं। मैं उन्हें और समय अनुमत नहीं कर सकता। वे कृप्या अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हीरासिंह चिनारिया।

श्री हीरासिंह चिनारिया : पंच-वर्षीय योजना हमारे सम्मुख है। यह एक बहुत गम्भीर चीज है और इसका प्रभाव न केवल हमारे देश की वरन समस्त संसार की शांति और समृद्धि पर पड़ सकता है। इस पर कुछ और कहने से पूर्व मैं अपने मित्रों को यह बतलाना चाहता हूं कि यह योजना पूर्णतया व्यावहारिक है। यह सरकार की उत्सुकता तथा गम्भीरता प्रकट करती है।

किन्तु मुझे खेद है कि योजना मंत्री चले गए हैं। मैं यह जानना चाहता था कि इस योजना के पीछे सिद्धान्त क्या है। हमारे माननीय मित्र डा० खरे ने बड़े तिरस्कार के साथ कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि योजना में कहीं भी गांधीवादी आदर्श नहीं है। यहां गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं। और वे दृढ़तापूर्वक उठकर यह उत्तर नहीं दे सके कि "इस योजना में यहां गांधीवाद है।" मुझे कहना पड़ता है कि इसमें गांधीवाद नहीं है। देश और विश्व ने गांधी जी से बड़ी-बड़ी चीजों की आशा की थी। उन्हें गांधी जी के सिद्धान्तों और आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए था। किन्तु इसमें कोई सिद्धान्त दिखाई नहीं देता। स्वतन्त्र भारत ने सदा विश्व का नेतृत्व किया है, किन्तु आज वह उसका अनुसरण कर रहा है। हम समाजवादी राष्ट्रों का अनुसरण कर रहे हैं। हमें नियंत्रित अर्थतन्त्र का कई वर्षों का अनुभव है। इन नियंत्रणों से हमें क्या मिला है? चोरबाज़ारी, भ्रष्टाचार और घूस। समस्त देश में बेईमानी छाई हुई है और सब ओर काला नज़र आता है। अन्यथा डा० खरे की इस बात का उत्तर देने की दृढ़ता होनी चाहिए थी कि इस योजना में गांधीवाद बिल-कुल नहीं है। वे नहीं कह सके कि इसमें सब कुछ गांधीवाद ही है। किन्तु गांधीवाद में नियंत्रित आयोजन नहीं होता और उसका आधार वैयक्तिक सम्पत्ति है।

जहां तक योजना की क्रियान्विति का प्रश्न है, खाद्य के मामले में तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना नहीं है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना थी जो सन् १९४६ से १९५१ तक संगठित किया गया था। किन्तु वहां हमारी सफलता क्या रही? आंकड़े देखिए। सन् १९५१ में १९४६ से उत्पादन कम हुआ।

इन बातों से हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ? ये सब तो काल्पनिक हैं। मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां कानून तो है ही नहीं। मैं पेप्सू से आता हूं। मैं समझता हूं वहां ऐसी स्थिति में कोई भी योजना बेकार है।

श्री दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज हमारे सामने पंचवर्षीय योजना है, उसी तरह से मेरे सम्मुख भी बोलने का अवसर पाने की योजना थी। मुझे आज बोलने का अवसर मिला है, उसको मैं सफलता समझता हूं और वह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

पंचवर्षीय योजना जो सदन के सम्मुख है उसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस योजना के अच्छे होने का अगर सबसे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है तो केवल यही है कि हमारे देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण नेता उसके बनाने में हैं और उन्होंने थोड़े समय में नहीं, अपितु करीब एक हजार दिन परिश्रम करने के बाद उस योजना को तैयार किया है। हां, तो जहां तक इस योजना के महत्वपूर्ण होने का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा न कह कर के केवल थोड़ी सी बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि जिसका सम्बन्ध विशेष रूप से मेरे जैसे देहात के रहने वाले आदमियों से होता है। योजना की अच्छाई के सम्बन्ध में तो मैं समझता हूं कि जो समझदार व्यक्ति हैं वह इन्कार नहीं कर सकते और जिन लोगों ने इस योजना का विरोध किया है, वह केवल पार्टी की दृष्टि से विरोध किया है, या इसलिए विरोध किया है कि उनकी विरोध करने की आदत पड़ गई है। उन आदमियों के अलावा मैं समझता हूं कि सामूहिक रूप से अधिकतर सदस्य इस योजना का समर्थन ही करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे सम्मुख पेश है, वह यह है कि इस योजना को सफल किस तरह से किया जाये। एक सुन्दर बच्चे की योग्यताओं, उसकी काबलियत और उस के होनहारपन को देखकर हमें खुशी होती है, लेकिन अगर उस बच्चे के रास्ते में रुकावटें हों, बीमारियां हों, जहरीले कीड़े-मकोड़े हों, जो बीमारी पैदा करने वाले हों, और खूंख्वार जानवर हों, तो हमें खतरा होता है, कि कहीं हमारा यह होनहार बच्चा उस रास्ते पर चलकर उस मंजिल और अवस्था तक पहुंच सकेगा या नहीं जिसकी कि हम उससे आशा कर रहे थे। मैं एक देहाती एरिया का रहने वाला होने की हैसियत से यह कहने का साहस कर सकता हूं कि वहां देहात की बहुत सी बातें होंगी जिनको हमारे अन्य सदस्य लोग नहीं जानते होंगे, मैं उन बातों की जानकारी रखता हूं, क्योंकि मैं वहीं रहा हूं मुझे माफ़ करेंगे जो मैंने यह बात कही, लेकिन है यह बात सही।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना की सफ़लता के लिए सबसे बड़ी आवश्यक बात यह है कि जो भ्रष्टाचार आज फ़ैला हुआ है और जिस अवस्था तक वह पहुंच गया है उसको खत्म किया जाये। और मैं आपको बतलाऊं कि जिस तरह से हमारी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, उसी तरह से भ्रष्टाचारियों ने भी उस योजना से फ़ायदा उठाने के लिए एक अलग योजना बना ली है। मैं समझता हूं कि इस योजना के अन्दर ज थोड़े से सुझाव भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रखे गये हैं वह अपर्याप्त हैं और मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि उनसे भ्रष्टाचारियों का नियंत्रण नहीं हो सकेगा। चाहिए यह था और मुझे विश्वास भी था कि उस व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और खत्म करने के लिए सरकार कोई एक अलग विभाग बनायेगी और उसके लिए अलग मंत्री नियुक्त करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे टंडन जी सरीखे नेता उस विभाग के संचालक हों,

[श्री दिगम्बर सिंह]

तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह योजना अवश्य सफ़ल होगी और जनता में भी इससे एक विश्वास उत्पन्न होगा।

मैं आपको एक मिसाल दूं कि उन दिनों जब मैं योजना के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिए गांवों में गया तो गांव के एक साधारण आदमी ने मुझसे कहा कि साहब जिस तरह से नहर का पानी आता है, उस पानी में हमारे जैसे गरीबों का कहां हिस्सा होता है। और वह कहता है कि हमारे जैसे गरीब लोग वहां जाकर क्या करेंगे, वहां तो बड़े बड़े आदमी आ कर पानी नहर का लेने वाले हैं। वही इस योजना में होगा। आज गांव वाले गरीब किसान समझते हैं कि इस योजना का लाभ बड़े बड़े लोगों को होगा, उनको लाभ होगा जिनके पास भ्रष्टाचार करने के साधन मौजूद हैं या कैपीटिलिस्ट अथवा पूंजीपति हैं। इसलिए जैसा मैंने ऊपर भी निवेदन किया, आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हमें एक विभाग बनाना है जो भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न करे। टंडन जी ने भी हमें बतलाया है कि आज जनता और देश के सामने सबसे बड़ी समस्या फ़ैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करना है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, योजना पूर्ण रुप से सफ़ल नहीं हो सकती। टंडन जी फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत को महसूस करते हैं और उन्होंने एक प्रमाण सहित उदाहरण भी हाउस के सामने रखा। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी किस हद तक हमारे अन्दर फ़ैली हुई है मेरे सामने भी ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। क्या मैं उम्मेद करूं कि गवर्नमेंट उन दृष्टान्तो के बारे में ध्यान करेगी और छानबीन करेगी ? पता नहीं गवर्नमेंट उस बारे में सुनेगी और कुछ करेगी भी, अगर मैं दो चार दृष्टान्त और उनके सामने रखूं तो मुझे तो इस बात का भी विश्वास नहीं है कि गवर्नमेंट तक मेरी बात भी पहुंचेगी या नहीं।

मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूं और जब मैं गावों में जाता हूं तो कहते हैं कि पटवारी, आदि रिश्वत ले रहे हैं, या फ़लां पटवारी ने यह ग़लती की है। मुझे अफ़सोस के साथ यह तसलीम करना पड़ता है कि बावजूद यह बातें उन पटवारियों के ऊपर के अफ़सरान तक पहुंचाने के और मैं आपको बतलाऊं कि मैं उन शिकायतों को लेकर मिनिस्टर साहब तक पहुंचा हूं, वह शिकायतें दूर नहीं हो पाई हैं।

भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस डिपार्टमेंट के द्वारा भ्रष्टाचार होता है, उस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उसी डिपार्टमेंट के लोगों से जांच न कराई जाये, बल्कि जांच करने के वास्ते कोई एक दूसरा डिपार्टमेंट हो, क्योंकि यह अक्सर देखा गया है कि उसी डिपार्टमेंट के ऊंचे कर्मचारी अपने नीचे के कर्मचारियों का जिनके खिलाफ़ शिकायत होती है, पक्ष लेते हैं और समर्थन करते हैं और शील्ड करने की कोशिश करते हैं; नतीजा यह होता है कि जांच पूर्णतया निष्पक्ष नहीं हो पाती है।

भूमि समस्या के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि समस्या को हल करने के लिए इस योजना में विचार किया गया है। और उसमें एक उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए सुझाव दिया गया है, लेकिन उसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। जैसा कि मेरे एक साथी कह चुके हैं उसके लिए कोई हद नियत होनी चाहिए, लेकिन उन भाई ने उस हद को २०० एकड़ बतला कर बहुत ज्यादा बतलाया है, मेरी राय में तीस एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है, उस को मिटाना चाहते हैं। विनोबा भावे आज इसी हेतु गांव गांव घूम रहे

हैं और भूदान यज्ञ का आन्दोलन देश भर में चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हमारी गवर्नमेंट एक सीमा निर्धारित कर दे। अधिक भूमि वालों से भूमि बिना भूमि वालों को लेकर दे दी जाये। इससे विनोबा जी की समस्या हल हो जायेगी। आज हम लोग देखते हैं कि क्या हाउस में और क्या बाहर और अखबारों के रिपोर्टर्स की बैठकों में, हमारे नेता कहते हैं कि विनोबा भावे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप वाकई यह समझते हैं कि विनोबा जी अच्छा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। वह क्यों नहीं भूमि का राष्ट्रीयकरण कर देती और एक योजना के अनुसार पूंजीपतियों के पास जितनी भूमि और पूंजी है वह अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? ऐसा करना हिंसा नहीं होगा, यह तरीका तो बिल्कुल अहिंसात्मक होगा, क्योंकि अगर सरकार ऐसा स्वयं नहीं करती और भूमि की समस्या हल नहीं होती, तो इस बात का पूरा अन्देशा है कि एक क्रान्ति द्वारा उन पूंजीपतियों के पास अधिक जो भूमि और पूंजी है, वह छिन जायेगी और उस क्रान्ति की लहर में वे भी नष्ट हो जायेंगे। इससे उन्हें बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि फ़ौरन भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाये और सरकार ऐसे पूंजीपतियों के पास, जिनके पास अधिक भूमि है, उनसे लेकर भूमि का समुचित वितरण करने का प्रबन्ध करे। आज समस्या मेरी समझ में इस बात की इतनी नहीं है कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाय, बल्कि इस बात की है कि उसका समान बंटवारा कैसे हो। दूध जो पैदा होता है, उसको कुत्ते और घोड़े पीते हैं, लेकिन दूध बच्चों को पीने के लिए नहीं मिलता। आज आर्थिक असमानता इस हद तक बढ़ी हुई है कि एक के पास तो चार-चार, छै-छै कारें खड़ी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ देहात में मरीज़ पड़ा रहता है उसको अपना इलाज़ कराने, शहर जाने के लिए कोई सवारी भी प्राप्त नहीं होती। मुख्य समस्या आज इस बात की है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं, उसका वितरण ठीक ढंग से हो। समस्या आज यह है कि जिन आदमियों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है उनको पेटभर खाना मिल सके, और आर्थिक असमानता को अधिक से अधिक दूर किया जा सके, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन यह सदा ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि पूंजीपति लोग और बढ़ते चले जायें और गरीब लोग और ज्यादा पिसते चले जायें। कहीं ऐसा न हो कि जिनके पास दो कारे थीं, उनके पास चार कारें हो जायें।

अन्त में मैं मिनिस्टर साहब से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विचार से तो यह पंचवर्षीय योजना तभी सफ़ल होगी और पूर्ण होगी जब इसके विकास के बाद और चरम सीमा पर पहुंचने के बाद एक गांव का मजदूर व किसान जो कालज में नहीं पढ़ सकता था वह वहां पढ़ सके और उस गांव के रहने वालों का सौ रुपये मासिक की आमदनी का प्रबन्ध हो जाये, जिससे बच्चों को पढ़ा सके। जब यह चीजें होंगी तो मैं समझूंगा कि हमारी यह योजना वास्तव में सफल गई है। हम हर एक किसान और मजदूर को आज विश्वास दिला सकें कि पांच वर्ष के बाद तुम्हारे अन्दर शिक्षा हो जायेगी और तुम्हारी आर्थिक दशा में भी सुधार हो जायेगा। आप मानें या न मानें, मेरी समझ में आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि बड़े और छोटे का जो भेद है, उसको मिटाया जाये, और वह भेद यहां तक बढ़ गया है कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स भी उस रोग से नहीं बच सके हैं और आप देखते हैं कि मेम्बर्स में भी आपस में दो वर्ग हैं जिसके दो भाग हैं एक विद कार और दूसरे विदाउट कार। विद कार वालों को अनेक सुविधाएं हैं।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि): आदरणीय सभापति जी, मैं इस अवसर पर

[श्री बी०डी० शास्त्री]

आपका आभार प्रकट करता हुआ इस योजना पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति जी, सौभाग्य की बात है कि आज पंचवर्षीय योजना संसद् में आ रही है। इस पंचवर्षीय योजना की ओर बड़ी बड़ी आशायें रक्खे देश इस दिन को जोह रहा था कि हमारे सामने एक ऐसा अवसर आये कि हम स्वतन्त्रता के बाद ऐसी योजना पा सकें जिसमें हर एक मजदूर जो श्रम करने वाला है, किसान जो खेती करने वाला है और बेशुमार लोग जो छोटे छोटे धंधे करने वाले हैं, उनको उस से राहत मिल सके। लेकिन इस प्लान के देखने से ऐसी कोई आशा नजर नहीं आती कि जिन लोगों ने बन्धन में रहते हुए भी वास्तव में स्वराज्य के प्राप्त करने में इतने बड़े बलिदान किये हैं, जिन्होंने अपनी जान ही नहीं बल्कि सभी कुछ अर्पण कर दिया है, ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, ऐसे लोगों को भी सुख और सुविधायें इस प्लान में हों। इसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती।

प्लान प्रस्तुत करते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि हम समाज में व्यक्ति से वर्ग-वाद को हटा देना चाहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि वर्ग शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है। क्या वर्ग केवल एक व्यक्ति विशेष में होता है या वर्ग एक समाज विशेष में होता है? वर्ग तो जहां वर्गवाद चलाया जाय वहां पैदा हो जाता है। इस प्लान में जो सब से बड़ा वर्गवाद है वह प्रान्तीय वर्गवाद है। जो तीनों श्रेणी के राज्य हैं, ए, बी, और सी। उनमें से ए श्रेणी के राज्यों को जो ब्रिटिश शासन काल से ही काफी उन्नति के स्तर पर थे, जिनके पैरों में दम था, कुछ चल सकते थे, जिनके हाथों में ताकत थी, जो स्वावलम्बी हो सकते थे, उनको विशेष सहायता दी गई है। अगर उनके आंकड़ों को लिया जाये तो शायद बम्बई को डेढ़ अरब इसी प्रकार मद्रास को भी बम्बई से थोड़ा कम और उत्तर प्रदेश को करीब एक अरब रुपया दिया गया है। इनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। दें उन्हें, लेकिन इतने ज्यादा देने के बावजूद जो पिछड़े हुए हैं उनको ज्यादा देने की बात कही जाये तो बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि हमें निराश ही होना पड़ता है। ऐसी दशा में उनकी उन्नति कैसे सम्भव है? मैं इसका विरोध नहीं करता कि इन प्रदेशों को इतनी सहायता क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर पिछड़े हुए प्रदेशों को कोई राहत नहीं मिलेगी, उनको कोई मार्ग नहीं मिलेगा कि वह स्वावलम्बी हो सकें और उनके पैरों में ताकत आ सके, तो कैसे देश उन्नति के स्तर पर आगे आ सकता है?

मैं खास कर विन्ध्य प्रदेश की ओर आपका दृष्टिकोण खींचना चाहता हूं। विन्ध्य प्रदेश एक ऐसा प्रान्त है जिसके पास सौ लाख एकड़ जमीन है। आज विन्ध्य प्रदेश में केवल ५० लाख एकड़ भूमि में खेती होती है और पचास लाख एकड़ भूमि जो खेती के योग्य है, जिसमें अच्छा उत्पादन हो सकता है, बेकार पड़ी हुई है। अगर वास्तव में खाद्य की समस्या मुख्य समस्या है, और सरकार को यह सोचना ह कि हमें खाद्य की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए तो सबसे पहला कदम उसका यह होना चाहिए कि जहां ऐसी जमीन पड़ी हुई है उस जमीन को ठीक करके उसे कृषि के योग्य बनायें और उससे अधिक उत्पा-दन करें ताकि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, खाद्य की, उसे हल कर सकें। आज मैंने सुना है कि सरकार ने विन्ध्य प्रदेश के लिए एक छोटी सी योजना बनाई है, जहां पर खेती नहीं होती उस जमीन को वह कृषि योग्य बनाने की बात सोच रहे हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पंचवर्षीय योजना के बीच वह केवल पचास हजार एकड़ भूमि जोतने के काबिल बनायेंगे। वास्तव में अगर

यही गतिविधि रही, अगर इसी रफ्तार से चला जाये तो आज जो पचास लाख एकड़ भूमि खेती के योग्य पड़ी हुई है उसको ठीक करने के माने यह हैं कि हम उसको पांच सौ सालों में जोतने के लायक बना पायेंगे । अगर यह गतिविधि रही तो कैसे आशा की जा सकती है कि कृषि के उत्पादन की ओर हमारा विशेष ध्यान है और हम खेती की समस्या को हल करना चाहते हैं ।

दूसरी चीज़ मुझे सिंचाई के बारे में कहना है । आज बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है । विंध्य प्रदेश एक ऐसा भाग है, आपको पता होगा, वहां एक वर्ष पूर्व पिछले तीन वर्षों तक लगातार पानी नहीं बरसा था । वहां तमाम लोग अकाल से पीड़ित थे क्योंकि वह केवल वर्षा पर निर्भर करते हैं । वास्तव में यदि हमारे यहां सिंचाई के साधन मौजूद हों तो उसका प्रोडक्शन डयोढ़ा हो सकता है ।

इसके अलावा मैं उद्योगों के बाबत भी थोड़ा सा दृष्टिकोण आकर्षित करना चाहता हूं । उद्योग या इंडस्ट्रीज बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, जितनी कि खाद्य समस्या है, मनुष्य इस काबिल बने कि उसके हाथ और बढ़ें, वह अपने सुख और सुविधाओं की ओर दृष्टि दे सके । इसके लिए आवश्यक है कि उसको उद्योगी होना चाहिए । आज उद्योग के सम्बन्ध में भी मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज सीमेंट फैक्टरी कहां खोली जा रही है, वह किसी बड़े प्रान्त में खोली जा रहीं हैं या जहां कई सीमेंट फैक्टरियां पहले से मौजूद हैं । आज पेपर मिल्स वहां खोले जा रहे हैं जहां बहुत सी पेपर मिलें मौजूद हैं । आज आप हर प्रकार से उन फैक्टरीज़ को एड दे रहे हैं जो अपने आप सम्पन्न हैं और जो प्रान्त अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं वहां ही अनेक फैक्टरियां खोली जा रही हैं । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विंध्य प्रदेश में कोई फैक्टरी नहीं है, कोई भी उद्योग धंधे नहीं हैं, वहां पर लाखों मजदूर बे रोजगार हैं, लाखों मजदूर बेचारे बेकार पड़े हुए हैं और वह दूसरे प्रान्तों में भीख मांगने वालों की तरह से जाते हैं, और अब जब वहां काम नहीं मिलता है तो महीने दो महीने के बाद लौट आते हैं । ज़रूरत इस बात की है कि अगर सरकार को ठीक दिशा में इस देश को ले जाना है और इस देश को ऊंचा उठाना है तो वह ऐसे प्रयत्न करे कि जिस से हर प्रान्त में मजदूरों को कोई काम मिले, और वहां की आर्थिक व्यवस्था सुधरे । वर्षों पहले जब अंग्रेजी शासन काल था तब विंध्य प्रदेश के लिये ऐसी स्कीम सोची जा रही थी कि वहां पर एक सीमेंट फैक्टरी खोली जाये । वहां सीमेन्ट फैक्टरी खोलने के सारे साधन मौजूद हैं, महज रुपये की कमी की बिना पर नहीं खोली जा सकी । इस के अलावा वहां पेपर मिल खोलने की बात भी थी । लेकिन रुपये की ही कमी के कारण वह स्कीम भी चालू नहीं हो सकी । बिहार प्रान्त में सोन नदी के ज़रीये न जाने कितना बांस बिन्ध्य प्रान्त से जाता है । इसी प्रकार और जगहों में भी जाता है । लेकिन चीज़ यह है कि हमारे पास जो कच्चा माल है वह हम बिना इस प्रकार की सुविधा के कैसे उपयोग में ला सकते हैं, जब तक कि उसकी फैक्टरी हमारे पास न हो । और इसीलिये हमें उस को मंहगा सस्ता बेचना पड़ता है । कच्चा माल हम यातायात के खर्चे से बचा कर फैक्टरी में उस का सही माल तैयार कर के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कुछ सस्ता बेच सकते थे ।

इन सब बातों के होते हुए हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज विंध्य प्रदेश के उद्योगों के सम्बन्ध में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है । यही नहीं बल्कि वहां कोयले की

[श्री बी० डी० शास्त्री]

इतनी बड़ी खान है, एक नहीं अनकों ऐसी खदानें कोयले की हैं कि मेरा ख्याल है कि उस से प्रदेश बहुत धनी हो सकता है। इस के अलावा जो बड़ी कीमती चीज हैं जिप्सम, कुरन्द, अभरक वगैरह वह वहां पाया जाता है। और इसी प्रकार की और और भी चीजें हैं जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास साधन नहीं हैं कि हम वहां रुपया खर्च कर सकें। इस वास्ते हम उन को उन्नति के स्तर पर लायें तो कैसे ?

थोड़ा सा मुझे रेलवे के सम्बन्ध में भी कहना है। रेलवे एक ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है। रेलवेज़ की पंच वर्षीय योजना में इतनी चर्चा की गई है कि रेलवे के इतने इंजन तैयार किये जायेंगे, इतने डिब्बे तैयार किये जायेंगे। लेकिन इस में कोई ऐसी झलक दिखाई नहीं देती कि ऐसी कोई भी स्कीम हो कि इस पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन प्रदेशों में भी रेल की लाइनें खोली जायेंगी आज वहां की जनता इतनी पिछड़ी हुई है कि उस ने केवल रेल का नाम सुना है, लेकिन उस को अपनी आंखों से नहीं देखा है। आज उन प्रदेशों की जरूरत है कि उन को कम से कम यातायात के साधन और सुविधायें दी जाय। यह सब चीजें वर्तमान प्रान्तीय स्थिति के नाते बहुत आवश्यक हैं। तो में देखता हं कि इस प्लान में सब से बड़ी चीज यह है कि एक प्रान्तीय वर्गीय सीमा है। सी श्रेणी के सभी राज्यों की उपेक्षा की गई हमारा ख्याल है कि राजस्थान की भी यही शिकायत है। मुमकिन है बी और सी श्रेणी के और राज्यों की भी ऐसी शिकायतें हों। लेकिन मैं कहूंगा कि इन में से विन्ध्य प्रदेश को इन अभावों की सब से बड़ी शिकायत है। विन्ध्य प्रदेश को अगर कोई ऐसी आशा दी जाये कि उस प्रान्त में भी कुछ उन्नति हो सकती है, उस के पैरों में भी कुछ शक्ति आ सकती है तो हम समझते हैं कि इस पंच वर्षीय योजना में हम वर्गविहीनता का कोई दृश्य देख सकते हैं।

इस के अलावा मुझे इस पंच वर्षीय योजना के बाबत दो शब्द और कहने हैं। इस पंच वर्षीय योजना में ज़मीन की बाबत, जैसा कि मेरे साथी ने बतलाया है, भूमि सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। भूमि सीमा निर्धारित न करने से आज वे लोग जो, ज़मीदार हैं, जागीरदार हैं, इलाक़ेदार हैं उन के इलाके और ज़मीदारियां जा रही हैं, उन के लिये यह बहुत बड़ी छाया है। वे सोचते हैं कि बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े खेत अपने कब्ज़े में कर लें ताकि जो ज़मीदारियों की हानियां हैं वह उन से वसूल कर लें। आज भूमि सीमा के निर्धारण की बहुत आवश्यकता है। जब तक भूमि सीमा का कोई काम नहीं होता तब तक वह मनमाना खेल खेल सकते हैं।

इस के अलावा दूसरी बात यह कही गई है कि ज़मींदारों की और जो बड़े खेतों वाले हैं उन की दो किस्म की ज़मीनें हैं। एक ज़मीन ऐसी है जिस का वितरण हो सकता है और दूसरी ज़मीन ऐसी है जिस का वितरण नहीं हो सकता है। इस के माने यह हैं कि जो बड़े बड़े बांध हैं, जहां पानी रुकता है उन का वितरण नहीं हो सकता है और जहां पानी नहीं है उस ज़मीन का वितरण हो सकता है। यह भी ज़मींदारों के लिये बहुत बड़ी आड़ है। वह सौ सौ और दो दो सौ एकड़ के बांध बना लेंगे क्योंकि अगर उस का वितरण किया जाता है तो एक आदमी अपने हिस्से के बांध की रक्षा करेगा और दूसरे की रक्षा नहीं करेगा इस से सारी फसल का नुक्सान होगा। इसलिये वह लोग बड़े बड़े बांध बनायेंगे और ऐश व आराम करेंगे और गरीबों का शोषण करेंगे

जैसा कि आज तक ज़मींदार और इलाक़ेदार करते थे।

श्री नटेशन: योजना आयोग के प्रतिवेदन की स्वीकृति का प्रस्ताव करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि उद्योग के विकास के लिये भी आधारभूत चीज बिजली है। जब तक कि आप के पास पर्याप्त शक्ति न हो तब तक आप न तो उद्योग चला सकते हैं और न कुछ और कर सकते हैं। मैं उन की इस बात से बल्किुल सहमत हूं। किन्तु यदि आप पर्याप्त मात्रा में बिजली चाहते हैं तो बिजली के कारखानों को चलाने के लिये एक उचित संगठन होना चाहिये। सरकार ने सन् १९४८ में एक बिजली प्रदाय अधिनियम पास किया था जिस में बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिये बिजली बोर्डों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकारों को यह अधिनियम अपने यहां दो वर्ष के अन्दर ही लागू करना था। किन्तु मध्य प्रदेश और दिल्ली को छोड़ कर किसी भी राज्य ने उसे लागू नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने उस अधिनियम को क्यों कार्यान्वित नहीं किया है। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिये ज़ोर डालेगी अथवा इसे यों ही रहने देगी? इन बोर्डों को बहुत अधिकार हैं। वहां कोई लाल फीतई नहीं होगी। वे अपने वित्त का प्रबन्ध स्वयं करेंगे। बिना उनके किसी भी विद्युत योजना का सफल होना असम्भव है। मुझे मालूम हुआ है कि मद्रास सरकार ने योजना आयोग के सम्मुख यह प्रस्ताव किया है कि पैरियार तथा कुन्द्रा जल-विद्युत योजनाओं को प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये। हो सकता है कि योजना आयोग का विचार इन योजनाओं को पंच वर्षीय योजना के द्वितीय प्रक्रम पर अथवा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का इरादा हो। किन्तु योजना आयोग से मेरा निवेदन है कि किसी इन दोनों योजनाओं को प्रथम पंच वर्षीय योजना में ही वरीयता दे इसके अतिरिक्त मद्रास सरकार पर ताप-विद्युत केन्द्र की स्थापना के औचित्य पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिये। जिससे कि मानसून की असफलता राज्य के औद्योगिक तथा कृषीय अर्थतंत्र को अव्यवस्थित न करदे। आप को मालूम होगा कि हाल में मद्रास राज्य में बिजली में बहुत कटौती की गई है। मानसून असफल हो गई और कोयम्बटूर तथा अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए। ताप-विद्युत केन्द्र ऐसे समय काम आ सकता है।

डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने डा० कमेसन के विषय में कहा। मैं स्वयं लकड़ी के संस्कारित लट्ठों का एक कारखाना खोलना चाहता हूं और २५ वर्ष से मैं डा० क्रमेसन को जानता हूं। किन्तु दिक्कत यह है कि यह संस्कारण बड़ा मंहगा पड़ता है क्योंकि जो रसायनिक प्रयुक्त किये जाते हैं वे बहुत मंहगे हैं।

उस दिन माननीय वाणिज्य मंत्री ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया जिसके अनुसार कि सरकार २५ करोड़ रुपये की प्रत्याभूति देगी और १० करोड़ ऋण के रूप में देगी। आप दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस्पात की बहुत कमी है। अभी हाल में दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा-नागल परियोजना तथा मुचकुंड परियोजना के लिये 'गैलवेनाईज्ड' इस्पात के स्तम्भ इटली से भारी संख्या में आयात किये गये हैं और उनका बहुत मुल्य चुकाना पड़ा है। हम एक 'गेलवेनाईजिंग संयंत्र की स्थापना यहां ही क्यों न करें? इस्पात में आत्म-निर्भर हो कर हमें देश का पैसा बचाना चाहिये।

[श्री नटेशन]

औद्योगिक वित्त निगम पर चर्चा होते समय माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि बंगाल पौटरीज़ को २० लाख रुपये दिये गये हैं। मैं इस फैक्टरी के विषय में जानता हूं और कह सकता हूं कि यह अनेक उपयोगी वस्तुएं तैयार कर रही है। हम इस देश में क्या कर रहे हैं ? जो 'इंसूलेटर्स' हम इंगलैंड और जापान से मंगाते हैं उन्हें हम बंगलोर अथवा कलकत्ते में तैयार कर सकते हैं। किन्तु कौन इसका परवाह करता है ? अल्यूमीनियम के 'कंडकटर्स' अब कलकत्ते और त्रिवन्द्रम की दो फैक्टरियों द्वारा बनाये जा रहे हैं। उनको आर्थिक सहायता देकर उन्हीं से सारी सरकारी आवश्यकतं की पूर्ति करने की क्यों न कहिये, मद्रास में 'ट्रान्सफार्मर' बनाने की एक बड़ी फैक्टरी खुली थी जिसे इसलिये बन्द हो जाना पड़ा कि वह 'व्यापारिक मूल्य' पर उनका उत्पादन नहीं कर सकी। आपको इन सब फर्मों की आर्थिक सहायता करनी चाहिये और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे कि वे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

पंचवर्षीय योजना जो अब सदन के सम्मुख है लोकतंत्रीय कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रथम सबसे बड़ा प्रयास है। यदि केवल विरोधी दल के सदस्य सहकार प्रदान करें तो वे इसे सफल बना सकते हैं। आलोचना करना बहुत सरल है। मैं भी मद्रास विधान सभा में विरोधी दल में रहा हूं। विरोधी दल का प्रयोजन रचनात्मक आलोचना करना है। हम अपने सीमित साधनों से भी आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं ठीक जिस प्रकार कि देशी राजाओं को हटा कर तथा ज़मींदारी अन्मूलित करके हमने देश में क्रान्तिकारी परिवतन किया है।

एक शब्द और। मैं चाहता हूं वि उद्योगों पर सबसे पहले विशेष ध्यान दिय जाये। ऐसे उद्योगों के बिना जिनमें स्वय हमारी पूंजी लगी हो और जो हमारे निरक्षण में हों, हमारे लिये देश में कोई प्रगति दिखाना सम्भव नहीं होगा।

श्री त्यागी: आपकी आज्ञा से मैं अभी कुछ समय पूर्व श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा लगाये गये आरोपों के प्रश्नों के उत्तर में एक वत्कव्य देना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों में चल रहे भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में उन्होंने महालेखा पाल, केन्द्रीय राजस्व, के एक क्लर्क के मामले का भी जिक्र किया। मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य सदन के सन्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिससे कि कोई गलतफहमीं न हो।

यह ए० जी० सी० आर० के कार्यालय के एक क्लर्क श्री ज़े० एस० भटनागर का मामला था जिसमें कि उसने एक ठेकेदार को डिस्पोजल के सम्बन्ध में जमानत जमा किये हुए रुपये की वापसी के रूप में २८०० रुपए चैक द्वारा वापस किये और यह भी कहा वह उस ठेकेदार को २८०० रुपये के कितने ही चैक दे सकता है। यह बात श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा अधिकारियों के ध्यान में लाई गई। मामला फौरन पुलिस में दे दिया गया और पुलिस ने उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की। १६ अक्तुबर १९५० को यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लगभग ६ मास पश्चात् जब कि नौ अभियोजन गवाह अपनी गवाही दे चुके, अभियुक्त के वकील द्वारा २८ मई १९५१ को एक डाक्टरी प्रमाण-पत्र पेश किया गया कि उसे क्षय रोग हो गया है और इसलिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसी बीच अभियुक्त के पिता से एक याचना पत्र प्राप्त हुआ कि उसके

पुत्र के विरुद्ध चल रहा मामला वापस ले लिया जाये क्योंकि इस मामले के परिणाम-स्वरूप उसे इतना गम्भीर धक्का पहुंचा है कि उसे फेफड़ों का क्षय हो गया है और वह इरविन अस्पताल में इलाज करा रहा था जहां से उसे पटियाला में क्षय चिकित्सालय में भेज दिया गया। उसके पिता ने सरकार से दया दान की प्रार्थना की थी। तत्कालीन गृह मंत्री, श्री राजगोपालाचार्य ने इसे अस्वीकृत कर दिया। एक और अर्जी दी गई और उसे भी अस्वीकृत कर दिया गया। इस अर्जी के साथ एक्सरे इन्स्टीट्यूट, पटियाला तथा टी० बी० क्लिनिक पटियाला के प्रमाण-पत्र भी थे जिनमें बतलाया गया था कि ये भटनागर क्षय रोग से पीड़ित हैं। प्रश्न का निबटारा अंतिम रूप से तब हुआ जब कि अतिरिक्त जिलाधीश ने यह कहा कि अभियुक्त एक लम्बे इलाज के अंतर्गत है और इसलिये मामले को अनिश्चत काल के लिये विचाराधीन नहीं रक्खा जा सकता। तब वह मामला न्यायालय से वापस लेलिया गया और उसे विभागीय जांच के लिये भेजने का निर्णय किया गया।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

महालेखापाल को विभागीय जांच के लिये एक पत्र लिखा गया और उन्होंने इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभियुक्त को मुअत्तिल कर दिया तथा उसकी चार्ज-शीट कर दी। चार्ज-शीट का उसका जवाब भी मिल गया तथा आर्डर की अन्तिम तिथि दिसम्बर १९५२ निर्धारित कर दी गइ। आर्डर जारी कर दिया गया है कि उक्त क्लर्क को बरखास्त कर दिया जायेगा।

जहां तक उस पदाधिकारी का प्रश्न है जिसके हस्ताक्षर कि उस क्लर्क ने चेकों पर लिये, उस पदाधिकारी के हस्ताक्षर के अंतर्गत जारी किये समस्त चेकों तथा लेखों की जांच की गई। यह पाया गया कि उक्त क्लर्क ने पहली बार ही इस पदाधिकारी से इस प्रकार हस्ताक्षर कराये थे। किन्तु उक्त पदाधिकारी को भी अपना असावधानी के लिये छोड़ा नहीं गया और उसकी पदानवति कर दी गई तथा उस अधिकारी के विरुद्ध मामले में और आगे जांच की जा रही है।

श्री बी० एस० मूर्ति: हमारे देश के करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं तथा आशाओं की दृष्टि में योजना आयोग का प्रतिवेदन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख्य है। किन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा कि हम इसे पांच वर्ष के अन्दर किस प्रकार पूरा कर सकेंगे। प्रधान मत्री जी बहुधा कहा करते हैं कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिये लोगों में भावात्मक जाग्रती पैदा करना आवश्यक है। उनका कहना ठीक है, किन्तु लोगों मे भावात्मक जाग्रति पैदा करने के लिये कहने से पूर्व यह पूछना ठीक ही है— यह योजना क्या प्रदर्शित करती है? क्या यह एक क्रान्तिकारी योजना है? यह बिल्कुल भी क्रान्तिकारी योजना नहीं है। इसमें मानवता के तत्व——मजदूर——की अवहेलना की गई है और हमारे देश के करोड़ों भूखे-नंगों के लिये पूर्ण रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। पांच वर्ष में यह केवल ५७½ लाख लोगों को ही रोजगार देगी जिनमें से केवल २३½ लाख कृषि-श्रमिक हैं। भूमि रहित मजदूरों की बिलकुल उपेक्षा कर दी गई है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर पाई है कि भूमि व्यवस्था क्या हो। श्री कुमारप्पा का प्रतिवेदन उसके सम्मुख है और फिर भी वह इस महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित करती रही है।

इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहूंगा कि कई राज्यों में जमींदारी प्रथा को उन्मूलित

[श्री बी० एन० मूर्ति]

कर दिया गया है। यह ठीक ही था क्योंकि ये लोग देश में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के पोषण में सहायक थे। किन्तु उनका उन्मूलन करके सरकार नये जमींदारों का सृजन कर रही है। और मैं तो कहूंगा कि ये कांग्रेसी जमींदार हैं। किसानों को हम जमीन अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। मद्रास में मैं जानता हूं लाखों एकड़ भूमि ली गई है तथा क्षतिपूर्ति के रूप में जमींदारों को ७½ से ९ करोड़ रुपये के लगभग दिये गये हैं। जब कि इन जमींदारों को सरकारी खजाने से रुपया दिया जाता है तब सरकार को क्या अधिकार है कि जिसे चाहे इन जमीनों को दे दे और उस किसान को उपेक्षित कर दे जो वास्तव में भूमि को जोतता है, सुबह मीलों चल कर तड़के ही खेत में पहुंच जाता है और शाम दिन छुपे तक वहां काम करता है। इसीलिये बिना समय नष्ट किये हमें इस पर पूरा विचार करना चाहिये। भूमि-रहित किसानों में पर्याप्त उत्साह पैदा किये बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

दूसरी बात में अनुसूचित जातियों के विषय में कहना चाहता हूं। उनके लिये इस योजना में क्या किया गया है? ४०० पृष्ठों में से इसमें उनके लिये केवल २½ पृष्ठ रक्खे गये हैं और महज १४ करोड़ रुपये की राशि उनके उद्धार के लिये उपबन्धित की गई है। यदि आप अनुसूचित जातियों व आदिमजातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के प्रति जिनकी सदियों से उपेक्षा भी की जा रही है तथा जिन पर उच्च वर्ग के हिन्दू बड़ा अत्याचार करते रहे हैं यही रुख रखेंगे तो राष्ट्र-निर्माण का कार्य भली भांति नहीं हो सकता। रुपये के बारे में मैं चिन्तित नहीं हूं। मुख्य चीज हृदय-परिवर्तन है। उनके प्रति उपेक्षा भावना दूर होनी ही चाहिये। मुझे इस बात का और दुख है कि हमारे देश के नेता श्री जवाहरलाल नेहरू अनुसूचित जातियों के विषय में प्रोत्साहन का एक शब्द भी नहीं कहते। वह देश तथा दुनिया की दर्जनों समस्याओं पर बोल जाते हैं किन्तु अनुसूचित जातियों के लिये उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। जब तक आप उनका उद्धार नहीं करेंगे तब तक आप संसार से यह नहीं कह सकेंगे कि हम प्रगति कर रहे हैं। यह योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि प्रधान मंत्री अपना हृदय-परिवर्तन नहीं करते। उनके एक वक्तव्य से भारत के हरिजनों को शान्ति मिल सकती है। मुझे रुपये की चिन्ता नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी से, गांधी जी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में हरिजनों के लिये आश्वासन मात्र चाहता हूं इससे उनमें आशा और उत्साह का संचार होगा तथा वे बिना मुसीबतों या पारिश्रमिक की पर्वाह किये प्राण प्रण से इस योजना को कार्यान्वित करने में जुट जायेंगे।

अब मैं योजना के सिंचाई के पहलू के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। यह बड़े खेद की बात है कि विभिन्न प्रान्तीय हित खाद्य आत्म-निर्भरता के सम्बन्ध में परस्पर संघर्ष में आकर केन्द्रीय सरकार की दृष्टि धुंधली कर रहे हैं। जहां तक दक्षिण का प्रश्न है, वहां कोई बड़ी परियोजना नहीं है और हम बराबर यह आशा करते रहे हैं कि गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के जल का उपयोग किया जायेगा किन्तु दुर्भाग्यवश इसकी उपेक्षा कर दी गई है। तथा रामरस सागर को गहरा गाढ़ दिया गया है। इस बृहत बांध के निर्माणार्थ सहस्त्रों मजदूर स्वेच्छापूर्वक अपना श्रम देने को तैयार थे तथा गोदावरी, विजगापटम् और कृष्णा जिले कम से कम २-३ करोड़ रुपये प्रदान करने को प्रस्तुत थे।

किन्तु हमें नहीं मालूम कि उक्त दोनों नदियों के पानी को उपयुक्त करके बिजली बनाने और खेती के लिये प्रयोग करने की सम्भावना है या नहीं । यदि नंदीकोंडा, पुलीछींटला तथा सिद्धेश्वर परियोजनाएं हाथ में ली जायें तो केवल दक्षिण की ही नहीं वरन् उत्तर की भी चावल की समस्त कमी पूरी हो सकती है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार दक्षिण के साथ न्याय करने में पीछे नहीं रहेगी । मैं समझता हूं कि इन परियोजनाओं का सरकार शीघ्र ही परिमाप करायेगी ।

श्रीमती गंगा देवी : (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अन्तिम समय में आप ने मुझे जो कुछ समय देने की कृपा कि है इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं ।

इस समय पंच वर्षीय योजना चल रही है। लगभग चार रोज से उस पर विचार हो रहा है। हमारे हाउस में बहुत से भाइयों ने इस पर बहुत कुछ कहा है। मेरे ख्याल से अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है जो कहा जाय । फिर भी, मैं इतना अवश्य कहुंगी कि इस पंच वर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने एक बात पर—जो शायद उनकी निगाह में बहुत छोटी सी है, किन्तु मेरी दृष्टि में बहुत आवश्यक है— बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, उसे बिल्कुल छोड़ ही दिया है। वह है ग्रामीण स्त्रियों की शिक्षा का विषय। मैं नहीं जानती कि आप ने इस प्लान में ग्रामीण-स्त्रियों की शिक्षा के बारे में क्या सोचा है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम राष्ट्र की चतुर्मुखी उन्नति करेंगे, इस राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनायेंगे, दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण बिल्कुल अन्धकार में पड़े हुए हैं। उन में भी खास कर स्त्रियां ऐसी हैं कि उन को किसी बात का अवसर नहीं मिलता है। गांवों के लड़के तो किसी तरह दौड़ भाग कर स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं, और चार चार पांच पांच मील की दूरी पर जा कर स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं कर सकतीं न उन के माता पिता इस चीज की कभी आज्ञा दे सकते हैं। गांवों की अधिकतर जनता ऐसी है जो कि यह चाहती है कि हमारी लड़कियां भी कुछ शिक्षित हों, उन को अच्छी शिक्षा दी जाये, लेकिन उन के पास कोई साधन नहीं है इसलिये बहुत सी लड़कियां जो कि शिक्षा पाना चाहती हैं अशिक्षित ही रह जाती हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्लान में ग्रामीण स्त्रियों की शिक्षा के लिये कुछ सुविधायें दी जायें। हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि गांव गांव में उन के लिये स्कूल खोलें, गांव-गांव में शिक्षा का प्रबन्ध करें। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। पढ़ने का सामान उन को मुफ्त मिलना चाहिये जिस से कि ग्रामीण लड़कियां सुशिक्षित हो सकें ।

इस के अलावा अगर हम अपने गांवों को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम गांवों में अच्छे प्रचारकों को नियुक्त करें। जिस समय अंग्रेज भारतवर्ष में आये थे तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम को चालू किया था जिस से कि गांव गांव में ईसाइयत का प्रचार बड़ी आसानी के साथ और तेज़ी के साथ हो पाया था। वही स्कीम हमें भी चालू करनी चाहिये। यानी ऐसे प्रचारकों को नियुक्त किया जाय जो अच्छे शिक्षित हों और उन्हें उन कानूनों का ज्ञान हो जो यहां बनाये जाते हैं, जैसे अनटचैबिलिटी एबोलीशन का कानून आदि, जिन की हवा भी गांव वालों को नहीं लगती है, गांव वालों में प्रचार करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कानून यहां बनते हैं, जो जो सुविधायें प्लान अथवा विधान में दी गई हैं और दी जायेंगी वे यहीं तक टकरा कर रह जायेंगी और वह उन लोगों तक

[श्रीमती गंगा देवी]

नहीं पहुंच सकेंगी और उन से ग्रामीणों को फायदा नहीं होगा । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि ऐसी ऐसी पार्टियां बनाई जायें जो गांवों में जा जा कर एक कानून का प्रचार करें कि सरकार ने ग्रामीणों को क्या क्या सुविधायें दी हैं, क्या क्या स्कीमें बनाई हैं। इन चीजों का अच्छी तरह से प्रचार होना चाहिये । इसी तरह से जो बहुत से अन्ध विश्वास हैं और जो बहुत सी बुराइयां हैं वे दूर हो सकती हैं । गांवों की सफाई बहुत जरूरी है । हमारे गांव गन्दे पड़े हुए हैं । उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता । हैल्थ विभाग की तरफ से वहां कोई काम नहीं हो रहा है । कोई स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार वहां नहीं हो रहा है । इसलिये ऐसी पार्टियों के जरिये से गांवों का सुधार हो सकता है । गांवों में शिक्षा का प्रचार हो सकता है, गांवों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है और उन को आदर्श गांव बनाया जा सकता है । यदि हम यहां पर अपने कानून बना कर बैठे रहगे, तो गांव वैसे क वैसे ही बने रहेंगे । बिना ग्रामोत्थान के राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकेगी ।

इस के बाद मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि हमारीस पंचवर्षीय योजना में बैकवर्ड क्लासेज़ सोशियल बैलफेयर वाले अध्याय में कहा गया है कि ४१ करोड़ रुपया शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिये उन की उन्नति के लिये रखा गया है लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप इस शिड्यूल्ड कास्ट को, सदियों से कुचली हुई जाति को दस वर्ष में समान स्तर पर लाना चाहते हैं तो आप को इस के लिये अलग से सुविधा देनी चाहिये । इस के लिये आप को एक अलग मिनिस्ट्री कायम करनी होगी, जिस के अधिकार में हो कि वह अच्छे तरीके से शिडयूल्ड कास्ट को उन्नत बनाये । उस मिनिस्ट्री को पचास करोड़ रुपया देना चाहिये जिससे कि वह उनकी ऐजुकेशन के लिये, हाउ-सिंग के लिये, और प्रोफैशन के लिये, अच्छा इन्त-जाम कर सके । नहीं तो इस तरीके से हमारी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग बहुत ही दबे हुए हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं और कुचले हुए हैं ; जिस तरह से आज काम चल रहा है इस तरह से हमारी उन्नति दस या पांच साल में नहीं हो सकती । इस तरह से हम कभी भी समान स्तर पर नहीं आसकते । इसलिये सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस देश से दलित नाम को मिटाना है और शिड्यूल्ड कास्ट को आगे बढ़ाना है और छूत-छात की बुराइयों को मिटाना है तो इस के लिये एक अलग मिनिस्ट्री कायम की जाये और उस के हाथ में पचास करोड़ रुपया दे दिया जाये ताकि वह शिड्यूल्ड कास्ट का उद्धार कार्य निष्पक्षरूप से और तेजी से कर सके । अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि दस साल में हमारी उन्नति होती है या नहीं जिस तरीके से इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है उस से हमारी उन्नति नहीं हो सकती ।

अब दूसरी बात है फौरिन स्कालरशिप की । इस के लिये हम से कहा जाता है कि हमारे देश ही में ऐसी युनिवर्सिटियां हैं ऐसे कालिज हैं, जिन में वही शिक्षा दी जाती है जो विदेशों में दी जाती है । लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब हमारे ही देश में ऐसी युनिवर्सिटियां हैं, जिन में वही शिक्षा दी जाती है जो कि विदेशों में दी जाती है तो फिर क्या वजह है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के लड़कों को फारिन स्कालरशिप दिया जा रहा है । अगर वही शिक्षा अपने ही देश में मिल सकती है तो यह सब के लिए कर दीजिये । अगर यह चालू करना है तो सब के लिये चालू करिये और नहीं तो हम यही कहेंगे कि

हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है ।

दूसरी चीज मैं इस प्लान में यह देखती हूं कि इस में "पुअर हाउसेज" का जिक्र नहीं आया है । हमारे देश की तरक्की के लिये "पूअर हाउसेज" का बनाना बहुत जरूरी है । हमारे देश में दिन पर दिन फकीरों की संख्या बढ़ती जा रही है । क्या यह देश के लिये कोई शोभा की बात है कि उन को इस तरह से भूखा छोड़ दिया जाय । उन को कोई रोजगार न दिया जाय । यदि उन को भी मनुष्य का सा जीवन बिताने का अवसर देना है तो पुअर हाउसेज बनाइये और उन को उन में रखिये जिस तरीके से कि विदेशों में होता है । हमें अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाना है । राष्ट्र को ऊंचा बनाने के लिये देश के हर एक तबके को, देश की हर एक जाति को, समान स्तर पर लाने की जरूरत है और यह तभी हो सकता है जब हमारी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें इस तरफ खास तौर से ध्यान दें और हर विषय में दृढ़ कदम उठावें । अन्यथा जो आप कनून बनायेंगे वह यहीं तक सीमित रह जायेंगे । उन का प्रचार सब जगह नहीं हो सकता । और हर जगह उन की हवा भी नहीं पहुंच सकती ।

एक चीज मुझे और कहनी है । हरिजनों का जो एक बहुत बड़ा व्यवसाय चमड़े का था यह दूसरों के हाथों में जा रहा है । चमड़े के व्यवसाय के सम्बन्ध में सरकार को चाहिए कि जो भी फैसिलिटीज और सुविधायें दी जायें वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ही दी जायें क्योंकि यह उन का अपना निजी कार्य है ।

इन सब बातों के बावजूद जिस तरीके से ग्राम्य इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया गया है उसी तरीके से लैदर इंडस्ट्रीज को भी सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाय । तभी इस कार्य में तरक्की हो सकती है ।

इन सब सुझावों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूं और प्लानिंग कमीशन को इस योजना के लिये धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि जिन बातों का मैं ने यहां उल्लेख किया है सरकार उन पर विशेष ध्यान देगी और हमें वह सुविधायें देने का कष्ट करेगी ।

श्री नामधारी (फाजिल्का-सिरसा) : मुझे विश्वास है कि पेशेवर प्रोपेगेंडा करने वालों की रुकावटों के बावजूद इस योजना को सफल होने से ससार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती । योजना के दोनों अंकों को देखने से मुझे ऐसी अनुभूति होती है मानो मैं एक समुद्र में पहुंच गया हूं । इस में कृषि उद्योग शिक्षा, स्वास्थ्य, मृत्स्य-पालन और तमाम प्रकार की चीजों को लिया गया है । मैं नहीं जानता कि नन्दा जी और उनके साथी मानव हैं अथवा अति-मानव हैं । कुछ विरोधी दल के सदस्यों का काम ही राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालना है तथा जिनका लक्ष्य सरकार को नीचा गिराना है । दुर्भाग्यवश, वे पथभ्रष्ट हैं । वे लोग कहते हैं कि "आप विदेशी सहायता ले रहे हैं ।" उन्हें जानना चाहिये हमारा एक तटस्थ देश है और सबका यहां स्वागत है । अमरीका ने हमारी सहायता की है, न्यूजीलैन्ड और कनाडा ने हमारी सहायता की है, आस्ट्रेलिया तक ने हमारी सहायता की है । आप लाल चचा स्टालिन ' के पास जा कर उनसे हमारी सहायता करने को क्यों नहीं कहते ? यदि हम वह सहायता अस्वीकार कर दें तब आप कह सकते हैं कि हम किसी गुट में शामिल हो गए हैं । वास्तव में हम किसी भी गुट में नहीं हैं ।

इस योजना के पूरे होने पर देश के धन में बहुत वृद्धि होगी और एक बढ़िया

[श्री नामधारी]

गुलजार होगा । सब कोई खुशहाल होगा । अच्छा यही है कि आप लोग ठीक प्रकार से व्यवहार करें ।

शत्रु दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक तथा बाहरी । हमारे देश के दो आंतरिक शत्रु हैं साम्यवादी तथा सम्प्रदायवादी । ये लोग गलत और झूठा प्रचार करते रहते हैं । हमारा संविधान धर्म-निरपेक्ष राज्य की अपेक्षा करता है । यहां हिन्दू मुसलमान तथा सिख सबको बराबर अधिकार हैं । मैं पूछता हूं कि महात्मा गांधी ने अछतों के लिए इतना काम किया है, आमरण अनशन तक किया है । किन्तु हिन्दू महासभा ने क्या किया है ? मुहम्मद गजनी ने १७ बार सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया किन्तु उस मन्दिर को अभी तक हिन्दुओं ने नहीं बनवाया । कांग्रेस ने ही यह काम किया । मैं अपने साम्यवादी मित्रों से भी यह कहता हूं कि वे हमें समझने की कोशिश करें अन्यथा हम भी उन्हें समझ लेंगे । वह शक्स जिसकी आन्ध्र में मृत्यु हुई हमारा आदमी था, एक कांग्रेसी था, वह आपका नेता कैसे बन गया । जन साधारण को बहकाने का प्रयत्न मत कीजिये । भारतीयों की भांति व्यवहार कीजिये, विदेशियों की भांति नहीं । जब आप भारतीय बन जायेंगे तो हम आपकी और बात सुनेंगे ।

इस के पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हो गई ।

———

GIPD—HS—150 PSD—2-7-53—285